'व्याघ्र संरक्षण प्लान' के तहत

पलामू व्याघ्र परियोजना और वाइल्ड लाइफ कोरीडोर का सच

संपादन

जेरोम जेराल्ड कुजूर

प्रकाशक

झारखंड इंडिजिनस पीपुल्स फोरम

सहयोग

SRUTI

Society For Rural Urban & Tribal Initiative

'व्याघ्र संरक्षण प्लान' के तहत

पलामू व्याघ्र परियोजना और वाइल्ड लाइफ कोरीडोर का सच

संपादन
जेरोम जेराल्ड कुजूर

प्रकाशक
झारखंड इंडिजिनस पीपुल्स फोरम, राँची

सहयोग
श्रुति
क्यु-1, हौज़ ख़ास एनक्लेव, नई दिल्ली - 110016
वेब : www.srutiorg.in ई-मेल : core@sruti.org.in

संपादन
जेरोम जेराल्ड कुजूर

प्रकाशक
झारखंड इंडिजिनस पीपुल्स फोरम, राँची

सहयोग
श्रुति (सोसाइटी फोर रुरल एंड
ट्राइबल इनीसिएटीव)

प्रुफ रीडिंग
शशि वंदना तिर्की

मूल्य
100/-

मुद्रक
आइ. डी. पब्लिशिंग, राँची, झारखण्ड
मो. 9431182812

जल, जंगल, जमीन एवं अपने
अस्तित्व की रक्षा हेतु संघर्षरत
साथियों को समर्पित

अनुक्रम

1. अपनी बात 7
2. दो बातें 11
3. भूमिका 13
4. आदेश – व्याघ्र संरक्षण परियोजना (टी.सी.पी.) को पारित करने की घोषणा 15
5. पलामू व्याघ्र परियोजना – परिचय 20
6. पलामू व्याघ्र परियोजना का उद्देश्य 21
7. कोर जोन (क्षेत्र) और वन ग्राम 23
8. बफर जोन (क्षेत्र) और वन ग्राम 25
9. प्रबंधन परियोजना का उल्लेखित उद्देश्य 40
10. व्याघ्र सुरक्षित क्षेत्र को उल्लेखित खतरे 40
11. खतरों से उल्लेखित समाधान 40
12. पलामू व्याघ्र सुरक्षित क्षेत्र और वहाँ बसे लोग 41
13. मानव–पशु संघर्ष 41
14. वन–ग्राम का पुर्नस्थापना की योजना 42
15. वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर 42
    (1) सिरसी–पालकोट–सारंडा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर 44
    (2) कुरुमडीह–पतकी–लावालोंग वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर 58
        (क) लावालोंग–तुतिलावा–हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य 60
        (ख) लावालोंग–गौतम बुद्धा वन्यजीव अभ्यारण्य 83

(ग) लावालोंग–मनातु–पाटन–कैमूर (बिहार) 95

(3) कुटकू–सलवाही–नगर उँटारी–कैमूर (उत्तरप्रदेश) 104

16. निष्कर्ष 110

17. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की 2 जनवरी 2018 को आयोजित बैठक की रिपोर्ट – 112

18. व्याघ्र परियोजना के विस्तारीकरण एवं वाइल्ड लाइफ कॉरीडोर के खिलाफ आंदोलन – 114

19. मीडिया में पलामू व्याघ्र परियोजना एवं वाइल्ड लाइफ कॉरीडोर 118

20. अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवास (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 124

अपनी बात

झारखंड में प्रतिरोध की संस्कृति रही है। जब भी झारखंडी समाज के अस्तित्व पर संकट आया है। झारखंडी समाज अपने अस्तित्व, जल, जंगल, व जमीन की रक्षा के लिए उठ खड़ा हुआ है। प्रतिरोध की इसी संस्कृति के कारण झारखंड का इतिहास संघर्षों से भरा पड़ा है। तिलका मांझी से लेकर बिरसा उलगुलान तक तथा देश की स्वतंत्रता से अब तक झारखंडी समाज अपने जल, जंगल,जमीन एवं अस्तित्व की रक्षा के लिए आंदोलन करता रहा है।

इतिहास के पन्नों को पलटें तो झारखंड में संकट के बादल तब मंडराये, जब अंग्रेजों ने यहाँ के जल, जंगल, जमीन को अपने फायदे के लिए कानूनी जामा पहनाकर अपने कब्जे में करने की कोशिश की। जल, जंगल, जमीन, झारखंडी समाज के लिए ईश्वरीय उपहार ही नहीं उनके अस्मिता से जुड़ा है। 1793 में बनी स्थायी बंदोबस्ती कानून, 1865 में बना रिर्जव फोरेस्ट एक्ट, 1894 का भूमि अधिग्रहण कानून। देश की स्वतंत्रता के बाद 1951 का इंडस्ट्री डेवलॉपमेंट एण्ड रेग्यूलेशन एक्ट, 1957 का कोल ब्यारिंग एक्ट एवं 1972 में बने वन्य जीव संरक्षण कानून ने आदिवासी समाज के सामने उनके जल, जंगल, जमीन से जुड़े झारखंडी अस्मिता को ही संकट में ला खड़ा किया है। स्वतंत्रता के बाद आधुनिक भारत के सपनों को सकार करने के लिए बने कल कारखाने, नदी–घाटी परियोजनाओं ने झारखंडी समाज को उनकी जमीन से ही बेदखल कर दिया। जमीन से अलग होते ही उनके सामने संकट के बादल मंडराने लगे। यदि हम गैर सरकारी आंकड़ों पर विचार करें तो 15,03,017 लोग विस्थापित हुए हैं। जिनमें से आदिवासी समुदाय के 6,20,327 , अनुसूचित जाति के 2,12,892 , एवं अन्य वर्ग के 6,69,753 लोग विस्थापित हुए हैं। विस्थापित करने के बाद सरकार ने भी इनकी सुधि नहीं ली, आज वे कहाँ हैं? सरकार के पास भी इनका कोई आंकड़ा नहीं है। इन विस्थापितों के पास से खनिज खनन के लिए – 5,15124.59 एकड़, बड़ी, मध्यम एवं छोटी

सिचाई परियोजना के लिए 5,07,952.00 एकड़, औद्योगिक इकाईयों के लिए 1,75,730.18 एकड़, थर्मल पावर स्टेशन के लिए 6,026.87 एकड़, रक्षा मामले के लिए 1,12,289.11 एकड़, राष्ट्रीय पार्क एवं अभ्यारण के लिए 5,05,238.50 एकड़, एवं अन्य परियोजनाओं के लिए 2,28,824.29 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया। इसतरह से देखें तो कुल 20,51,185.54 एकड़ जमीन 1951 से लेकर 1995 तक विभिन्न परियोजनाओं के नाम पर ली गई है। *(स्रोत –"डेवलपमेंट इनड्युस्ड डिस्प्लेस्मेंट एण्ड रिहेबिलीटेशन इन झारखंड 1951–1995, अलेक्स एक्का")*

इसके बाद भी सरकार की कई योजनाएँ झारखंडी समाज के सामने मुँह बाये खड़ी हैं। जिनमें पायलॉट प्रोजेक्ट नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के लिए 3,500 वर्ग किलो मीटर जमीन लेना प्रस्तावित है। यदि हम ब्रिगेडियर आई. जे. कुमार के प्रेस रिलिज पर गौर करें तो सेना को 20,000 वर्ग किलो मीटर नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के लिए जमीन की आवश्यकता है।

झारखंड बनने के बाद सरकार द्वारा देशी एवं विदेशी कम्पनियों को झारखंड में निवेश करने के लिए आमंत्रित कर रही है। समय–समय पर झारखंड सरकार द्वारा कई कम्पनियों के साथ एम0ओ0यु0 करने की बातें अखबारों के माध्यम से सामने आयी हैं। पिछले दिनों सरकार द्वारा मोमेंटम झारखंड के नाम पर कई देशी एवं विदेशी कम्पनियों को आमंत्रित किया गया था। इसके पूर्व झारखंड सरकार ने पूरे झारखंड के स्तर पर लैंड बैंक बनाया है। मोमेंटम झारखंड के दौरान सरकार द्वारा 20.56 लाख एकड़ जमीन लैंड बैंक में होने की घोषणा की गई थी। जिनमें से 10,56 लाख एकड़ जमीन निवेशकों को देने की घोषणा सरकार द्वारा किया जा चुका है। लैंड बैंक में चिह्नित जमीन गांव की है। जिसे हमारे पूर्वजों ने सरनास्थल, गोचर, पहनाई जमीन, ससंदिरी, कब्रिस्तान एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के लिए छोड़ दिया है। सरकार ने लैंड बैंक बनाते समय राज्य के कई क्षेत्र में भारतीय संविधान के तहत पांचवी अनुसूची में होने का भी ध्यान नहीं दिया। पांचवी अनुसूची के तहत बने पेसा कानून के अनुसार उपरोक्त जमीन गांव समुदाय की है। जिसे सरकार गांव की सहमति के बिना किसी भी प्रयोजन हेतु नहीं ले सकती। इसके बाद भी गांव की जमीन को चिह्नित करना गैर संवैधानिक कार्य है।

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय झारखंड द्वारा पलामू व्याघ्र परियोजना के विस्तारीकरण का प्रस्ताव सामने आया है। जिसके लिए 1,129.93 वर्ग कि0मी0 जमीन को चिह्नित किया गया है। जिसके तहत कोर एरिया के लिए 414.08 वर्ग कि0मी0 तथा बफर एरिया के लिए 715.85 वर्ग कि0मी चिह्नित की गई है। इसी परियोजना के तहत वाइल्ड लाइफ कोरीडोर के तहत 2,409.05 वर्ग कि0मी0 जमीन चिह्नित किया गया है। प्रस्तावित कोरीडोर 3 किलोमीटर चौड़ा होने की बात कही जा रही है। वाइल्ड लाइफ कोरीडोर के लिए 6 कोरीडोर बनाने की बात सामने आयी है। (1) सिरसी–पालकोट–सारंडा वाइल्ड लाइफ कोरीडोर के तहत 214 गाँव के 1,87,733 एकड़ , (2) कुरूमडीह – पतकी – लावालोंग वाइल्ड लाइफ कोरीडोर के लिए 47 गाँव के 34,559.32 एकड़, (3) लावालोंग – तुतिलावा – हजारीबाग वन्य–जीव कोरीडोर के लिए 151 गाँव के 91,680.81 एकड़, (4) लावालोंग – गौतम बूद्धा वाइल्ड लाइफ कोरीडोर के लिए 243 गाँव 1,32,492.54 एकड़, (5) लावालोंग – मनातू – पाटन – कैमुर(बिहार) के लिए 83 गाँव के 43,798.90 एकड़, एवं (6) कुटकू – सलवाही – नगरउटारी – कैमुर(उ0प्र0) के लिए 132 गाँव 1,05,009.37 एकड़ भूमि चिह्नित की गई है।

कोर एरिया के विस्तारीकरण को लेकर व्याघ्र संरक्षण प्लान के तहत बफर एरिया के आठ गांव को कोर एरिया में शामिल किया गया है। गांव को खाली करने से संबंधित, सहमति व असहमति से संबंधित पत्र, 'वन प्रमंडल पदाधिकारी, बफर एरिया, व्याघ्र परियोजना डालटनगंज, पलामू के द्वारा गारू प्रखंड के कुजरूम, लाटू, बिजयपुर, पंडरा, गोपखाड़, गुटवा, कारीहेनार एवं बरवाडीह प्रखंड के रमनदाग गाँवों के इको विकास समिति के अध्यक्ष को ज्ञापांक संख्या 667, दिनांक 29/05/2017 को प्रेषित की गई है। जिसके विरोध में गारू प्रखंड, लातेहार जिले के क्रमशः विजयपुर, पंडरा, गोपखाड़, गुटवा, कारीहेनार, एवं बरवाडीह प्रखंड के रमनदाग गांव के वासिंदों ने अपने असहमति से संबंधित पत्र संबंधित पदाधिकारियों को दे दी है। इसके बाद भी विभाग द्वारा ग्राम सभा कर उन गाँवों से सहमति एवं असहमति लेने की बात कही जा रही है। कोर एरिया के कुजरूम गाँव के लोग गाँव छोड़ने से संबंधी सहमती पत्र के बारे में प्रस्ताव बनाने के पूर्व ही मिलने की बात कही गई है। फिलहाल कोर एरिया के विस्तारीकरण एवं

वाइल्ड लाइफ कोरीडोर को लेकर क्षेत्र में आंदोलन जोरों पर है। गाँव के लोग किसी भी किम्मत में जमीन छोड़ना नहीं चाहते।

व्याघ्र परियोजना द्वारा आठ गाँव को गाँव खाली कराने संबंधी सहमती एवं असहमती एवं वाइल्ड लाइफ कोरीडोर के खिलाफ जब केन्द्रीय जन संघर्ष समिति ने आन्दोलन विगुल फुंका, इसके साथ ही विभाग के अधिकारी पी.सी.सी.एफ. एल. आर सिंह ने पूरी तरह से ही कोरीडोर बनने की बात से साफ इनकार कर दिया है। (23 नवंबर 2017 के प्रभात खबर,—' वाल्ड लाइफ कोरीडोर का कोई प्रस्ताव नहीं)। इससे यह बात तो सामने आ गई है कि सरकार किसी न किसी बहाने से सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रही है। जब उपलब्ध दस्तावेज साफ—साफ परियोजना के होने का प्रमाण दे रही है।

प्रस्तुत यह पुस्तक सरकार की इसी मंशा को उजागर करने एवं आंदोलनकारियों को सच्चाई के साथ गोल बंद होने के उद्देश्य से आप सभी को समर्पित की जा रही है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आंदोलन में गति आएगी।

दस्तावेज को हिन्दी करने के लिए 'श्रुति' नई दिल्ली, की पूरी टीम के साथ ही एलिन अर्चना लकड़ा एवं एश्वर्य के प्रति अभार, गांव के नाम की सही एवं सटिक उच्चारण में मदद करने के लिए इचाक, हजारीबाग के मारूती दास गुप्ता, कोडरमा के इंदरमणी व गणेश दास, मनिका के साथी सुनील कुजूर, बिजयपुर के रंजित एक्का, गिरिडीह के साथी सरोजित कुमार व डालटेनगंज के प्रेम प्रकाश का शुक्रगुजार हूँ।

आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हर कदम पर साथ देने के लिए संघर्ष के साथी हेनरी तिर्की, अनिल मनोहर, माँ तरशीला खलखो, माँ दोमनिका तिर्की, बहन इमिलिया किस्पोट्टा, मगदली टोप्पो, अल्फोंसा बेंग, पलासिदियुस टोप्पो, जयमंती बाड़ा, रोजालिया लकड़ा, प्रो0 लिबिन बखला, अलर्बट तिग्गा, भाइ सावरी मुथ्थू, भाई प्रदीप खलखो, कोरनेलियुस मिंज, गोपाल खाखा, बहन फलोरा मिंज, इरनूस मिंज, मरीया गोरोती, प्रतिमा कुजूर, फांसिस्का खलखो, अशोक उराँव, शांति प्रकाश, राकेश रोशन किड़ो, सुनील मिंज, बिजू टोप्पो, दीपक बाड़ा, ग्लैडसन डुंगडुग, दयामनी बारला, शिशिर टुडू और केन्द्रीय जन संघर्ष समिति के सभी साथियों का अभार व्यक्त करता हूँ।

दो शब्द

समस्त विश्व में आदिवासी समूहों ने विस्थापन की त्रासदी झेली है। विडंबना यह है कि उनके वास–स्थान, जो आमतौर पर सुदूर वन क्षेत्र में होते हैं, किसी न किसी 'परियोजना' के अंतर्गत चिन्हित हो जाते हैं और इन समूहों को 'जनहित' में विस्थापित होना पड़ता है। इसके अतिरिक्त झारखंड में आजादी के बाद से ही विस्थापित हुए आदिवासी समूहों का अनुभव पुनर्वास और मुआवजे को लेकर अत्यन्त कटु रहा है। इस कारण 'दूध के जले' ये लोग विस्थापन रूपी मट्ठा के नाम से ही बिदक जाते हैं। वैसे भी 'घर' से उजड़ने की व्यथा वही समझ सकता है जो स्वयं 'घर' से उजड़ा हो, बेघर हुआ हो।

वैसे तो यह वर्तमान पलामू व्याघ्र संरक्षण और प्रबंधन परियोजना का खाका विगत कई वर्षों से बनाया जा रहा था परंतु संबंधित सरकारी विभाग इसे लागू करने में अभी तत्पर और सक्रिय हो उठा है। इसके अंतर्गत पलामू क्षेत्र में संबंधित विभाग द्वारा 1,129.93 वर्ग किलोमीटर भूमि चिन्हित की जा चुकी है। इस चिन्हित भूमि में से 414. 08 वर्ग किलोमीटर कोर एरिया तथा 715.85 वर्ग किलोमीटर बफर जोन के लिए प्रस्तावित है। इस पुस्तक में उल्लेख है कि विभाग कोर एरिया का विस्तारीकरण करना चाहता है और इसके लिए वह बफर एरिया के आठ गांवों के बाशिंदों को पत्र के माध्यम से अपनी सहमति–असहमति प्रकट करने का अवसर दे रहा है। संबंधित विभाग की ओर से यह पत्र 29 मई 2017 को जारी किया गया है।

पुस्तक में दी गई जानकारी के अनुसार संबंधित विभाग के इस पत्र के कारण लातेहार जिले के गारू प्रखंड के कई गांव आंदोलित हो उठे हैं और उन्होंने इस विषय पर अपनी असहमति प्रकट करने का मन बना लिया है। वर्तमान में वन्य जीव कॉरिडोर के विस्तारीकरण तथा वन्य जीव कॉरिडोर के निर्माण को लेकर इस क्षेत्र मे आंदोलन तेजी पर है और लोग अपनी जमीन किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए राजी नहीं हैं।

आपको याद होगा नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की प्रस्तावित स्थापना को लेकर भी इससे सटे क्षेत्रों में शांतिपूर्ण आंदोलन हुए हैं जो इस मायने में सफल रहे हैं कि सरकार ने फायरिंग रेंज का प्रस्ताव

अभी स्थगित रखा है। लेकिन त्रासदी यह है कि फायरिंग रेंज उस क्षेत्र में स्थापित न करने संबंधी कोई भी सरकारी अधिसूचना अब तक जारी नहीं हुई है। इसका अर्थ बड़ा स्पष्ट है कि सरकार अपने इस प्रस्ताव को अमली जामा पहनाने के लिए कभी भी फिर से पहल कर सकती है। इसके परिणामस्वरूप उस क्षेत्र के निवासी अब तक उहापोह की स्थिति में जीवनयापन कर रहे हैं।

गौर तलब है कि पलामू व्याघ्र परियोजना के विस्तारीकरण को लेकर जिन आठ गांवों को हटाने के लिए चिन्हित किया गया है, वे गांव आज के बसे गांव नहीं हैं बल्कि वहां के बाशिंदों की कई पीढ़ियां वहां पली–बढ़ी हैं। सामाजिक रीति–रिवाज और आस्था के अनुपालन के लिए उन गांवों के आसपास उनके अपने धार्मिक स्थल, चारागाह, और मसान स्थल भी हैं। इसलिए यह मात्र लोगों को उनके निवास स्थान से हटाकर दूर करने का मामला नहीं है बल्कि इसके साथ उनकी संस्कृति, सामाजिक आचार–व्यवहार, आजीविका के संसाधनों को अनदेखा कर उनको इन सब से भी वंचित कर देने की योजना है। इस परिप्रेक्ष्य में पुनर्वास की बात करना अजीब सा लगता है क्योंकि भौतिक संसाधनों का अगर 'पुनर्वास' हो भी सकता हो तो भावनाओं का पुनर्वास कैसे हो सकता है? दरअसल, आदिवासी समूहों की जल, जंगल और जमीन से जुड़ी यही भावना उनको अपने पूर्वजों का स्थान छोड़ने से रोकती है। आदिवासी समूहों की यह विशेषता है कि वे 'कहीं भी, कुछ भी कर लेने' के आदी आमतौर पर नहीं हैं। उनकी एक विशिष्ट जीवन शैली है जिसके इर्द–गिर्द ही वे अपना जीवनयापन कर पाने में सक्षम होते हैं। इस तथ्य के उदाहरण आदिवासी समूहों के वे गांव, बस्तियां और जनसंख्या हैं जिनको विकास के मंदिर स्थापित करने के क्रम में उजाड़ा गया। ऐसी जनसंख्या को पुनर्वासित किये जाने और मुआवजा दिये जाने के बावजूद उनकी अपनी पहचान तक मिट गई है। वे भू–स्वामी किसान से मजदूर बन गये।

यही कारण है कि आदिवासी समूहों के लिए शब्द 'विस्थापन' एक ऐसा शब्द बन गया है जो उनके मन में भय और आशंका उत्पन्न करता है। प्रस्तुत पुस्तक में पलामू व्याघ्र परियोजना विस्तारीकरण योजना के उद्देश्यों का उल्लेख है। आशा है कि पाठक इस पुस्तक को पढ़कर प्रस्तावित योजना के बरक्स इन इलाकों में रहनेवाले मनुष्यों की बेचारगी और त्रासदी को भी समझेंगे और यह भी कि वे उद्वेलित क्यों हैं।

शिशिर सिदो टुडू
वरिष्ट पत्रकार

भूमिका

प्राकृतिक संसाधन हमेशा से मानव जीवन के अस्तित्व के मूल स्रोत रहे हैं। मानव सभ्यता और संस्कृति के बदलाव के साथ–साथ इन संसाधनों के अत्यधिक दोहन की प्रक्रिया भी बढ़ती गयी। लोग अपने स्वार्थ के लिए निजी सम्पति बनाने की होड़ में आगे बढ़ते गए और इस दौर में, पता नहीं कब यह राज्य का मामला बन बैठा। इन संसाधनों के संरक्षण के नाम कई नीतियां बनायी गयी लेकिन चूँकि राज्य चलाने वाले लोगों में वही लोग शामिल हैं जिनकी प्रथम प्राथमिकता निजी संपत्ति बढ़ाना है तो नीतियां भी उन्हीं के अनुरूप बनती गयी। इस प्रक्रिया में अनेक तरह की व्यवस्थाओं का सृजन हुआ जैसे राजतन्त्र, पूंजीवाद, सामंतवाद, उपनिवशवाद इत्यादि जिनकी आज भी किसी न किसी रूप में सक्रियता दिखती हैं। राज्य के क्रिया–विधि भी इन व्यवस्थाओं से अछूत नहीं है जिसको हम वर्तमान स्थिति में बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। इन व्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करके केवल चन्द लोगों को फायदा पहुंचाने वाली सरकार की नीतियाँ लोगों की बुनियादी जरूरतों को नजर अंदाज करती हैं और यह बार बार होते आया है।

वैज्ञानिक वन प्रबंधन और वैज्ञानिक जैव–विविधता के संरक्षण के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार जमा लिया जाता है। राष्ट्र हित को बहाना बनाकर मुट्ठी भर लोगों के मुनाफे के लिए सरकार काम करती है। जिसका प्रतिफल आम जनता को भोगना पड़ता है। इस निर्मम प्रक्रिया में आदिवासी और अन्य वन निवासी ही अधिकत्तर शिकार बनते हैं। उनके अस्तित्व, आजीविका और अस्मिता के साथ खिलवाड़ होता है। जंगलों के साथ निवास करने वाले ये लोग सैकड़ों सालों से इन्ही जंगलों में और इन्ही जैव–विविधता के सह–अस्तित्व में जीवित हैं और यह छोटी सी बात समझ में नहीं आती है सरकार को, जिसके पीछे इन मुनाफाखोरों का हाथ है। इस पुस्तिका के द्वारा

ऐसे ही झारखण्ड सरकार और राज्य वन्य–जीव विभाग की योजना को प्रकाशित करने का प्रयास है जहाँ पलामू टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के द्वारा यहाँ के निवासियों को प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति में लेकर छोड़ा जा रहा है। उनका अस्तित्व खतरे में है।

झारखण्ड सरकार के द्वारा इस पलामू टाइगर रिजर्व प्रबंधन परियोजना में कई रणनीतियां बनायी गयी हैं जो लोगों के लिए खतरे का विषय है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि जंगलों में निवास करने वाले लोगों का अपने प्रकृति के साथ अटूट रिश्ता, रीति–रिवाज, जीवन शैली और भरण–पोषण के तरीके से इन वनों और उनमें बसे जीव–जन्तुओं के बीच शत्रुता पैदा कर रही है और उनसे छुटकारा पाना ही एकमात्र समाधान है। अतः हमें इस बात को साफ–साफ समझनी पड़ेगी कि यह एक संसाधन लूट की साजिश है।

संसाधन लूटने की इस साजिश को हम आपके सम्मुख रखने की प्रयत्न कर रहे हैं, अतः इस पुस्तिका के आगे का विवरण झारखण्ड के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग **का 2013–14 से 2022–23** तक का **पलामू टाइगर रिजर्व प्रबंधन परियोजना** का अंश है जो **अरुण सिंह रावत, आई.एस.एफ., चीफ कनसेरवेटर ऑफ फॉरेस्ट एंड फील्ड डायरेक्टर** द्वारा तैयार किया गया और इसे सरलता पूर्वक अनुमोदित भी मिल गयी है। आदिवासियों के कानूनी प्रावधानों को अनदेखा करते हुए अति निर्लज्जता पूर्वक कार्यवाही हो रही है।

व्याघ्र संरक्षण परियोजना (2013-14 से 2022-23)

व्याघ्र संरक्षण परियोजना (टी.सी.पी.) को पारित करने की घोषणा

यह पत्र श्री एच.एस.नेगी, इंसपेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, के द्वारा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन,झारखंड को दिनांक 2/11/2015 को भेजी गई चिट्ठी है। जिसमें पलामु टाईगर रिजर्व के लिए सन 2013–14 से 2022–23 तक मान्य व्याघ्र संरक्षण परियोजना (टी.सी.पी) को पारित करने की घोषणा के साथ, जिन कानूनी दाव पेंचो से इस जनता विरोधी योजना को दी गई मान्यता का ब्योरा है।

F. NO. 1-3/2013-NTCA
Government of India
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
National Tiger Conservation Authority
****

B-1 Wing, 7th Floor,
Paryavaran Bhawan, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi- 110003,
Email: ig-ntca@nic.in
igntca@gmail.com
Tel (EPABX): 011-24367837-42

Dated: 02.11.2015

To,

The Chief Wildlife Warden,
Govt. of Jharkhand,
P.O. Hinoo, Ranchi- 834002

Sub: Approval of Tiger Conservation Plan (TCP) for the Palamau Tiger Reserve, Jharkhand - reg.

Sir,

The final draft Tiger Conservation Plan (TCP) prepared by the State of Jharkhand for Palamau Tiger Reserve, ***under sub-section (3) of section 38 V of Wildlife (Protection) Act, 1972***, was submitted to this Authority requesting for approval under section 38 O (1) (a) of the said Act.

After examining the said draft, the observations of NTCA were communicated and discussed with Chief Wildlife Warden, Jharkhand & the Field Director, Palamau Tiger Reserve, for their incorporation in the TCP.

In this context, I am directed to say that further to the compliance furnished by the State Government vide its letter No. 465 dated 24.04.2015, and based on the recommendation of the technical committee, ***approval of the NTCA is hereby granted for the TCP of Palamau Tiger Reserve for the period from 2013-14 to 2022-23, under section 38 O (1) (a) of the Wildlife (Protection) Act, 1972***, subject to following conditions:

a. No deviation shall be made for the prescriptions of the TCP, read with conditions stipulated herein, without prior approval of the NTCA u/s 38 O (1) (a) of Wildlife (Protection) Act, 1972.

b. The approved TCP shall have a provision for mid-term review corresponding to the proposed period of the plan, for appropriate mid course alteration, if any, as required.

c. The State Government shall comply with the guidelines and advisories issued by the NTCA/ Project Tiger from time to time and the commitments made in the tripartite Memorandum of Understanding (MoU).

d. Since the core/ critical tiger habitat has the status of a National Park/ Wildlife Sanctuary, all provisions under Chapter IV of Wildlife (Protection) Act, 1972 would be applicable to such areas, in addition to section 51 (1C), (1D) and 55 (ab), (ac).

e. While implementing various prescriptions of the TCP, it shall be ensured by the Tiger Reserve Administration that no violation of the provisions of the following Acts takes place:
   i. The Wildlife (Protection) Acts, 1972
   ii. The Indian Forest Act, 1927
   iii. The Biological Diversity Act, 2002

iv. The Environment (Protection) Act, 1986
v. The Forest (Conservation) Act, 1980
vi. The National forest Policy, 1988
vii. The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006
viii. Directives issued from time to time by honourable Supreme Court of India.

f. Deviations, if any with respect to the provisions under section 38 O (1) (b) & (g) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 observed/ cognized at any point of time should be brought forward for necessary evaluation and assessment of such cases/ instances by the National Tiger Conservation Authority and State Government joint team for strict compliance as well as to decide upon the future course of action under the provisions of the said Act.

g. The following need to be ensured while executing forestry operations in the buffer area of the tiger reserve:

i. To ensure minimum 'patch disturbance' and minimum human-wildlife conflicts, forestry operations should be restricted only in those coupes which are due for the current year.
ii. Compliance of section 38 V (2) of Wildlife (Protection) Act, 1972 should be strictly ensured
iii. No working and camping should be permitted in the area after sunset.
iv. Daily monitoring of tiger movement, water points and cattle kills should be done and recorded.

h. The Tourism activities should be strictly managed/ regulated as per the comprehensive guidelines issued by the NTCA under section 38 O (c) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 vide letter dated 15.10.2012.

i. The necessary copies of the TCP will be provided to the concerned Department/ Agencies for coordinated implementation of the provisions concerned.

j. The NTCA reserves right to review, modify and withdraw this approval at any time i.e. various map indicative etc., if any of the conditions of approval are violated.

k. Final TCP should have all necessary annexure viz maps etc. duly signed by competent authority.

Attested by :

21/2/15

Yours faithfully,

Sd/-

(Dr. H.S. Negi.)
Inspector General of Forests (NTCA)

Chief Conservator of Forests & Field Director,
Palamau Tiger Reserve, Daltonganj (Jharkhand)

Copy to:
1. The Principal Secretary of Forests, Government of Jharkhand.
2. The Principal Chief Conservator of Forests & Head of Forest Force, Forest Department, Govt. of Jharkhand.
3. The Additional Principal Chief Conservator of Forests (ECZ), MoEF&CC, Regional Office, Ranchi
4. The Inspector General of Forests, Regional Office, Guwahati
5. The Field Director, Palamau Tiger Reserve, for necessary action and information please.

इसका अनुवाद इस प्रकार है :-

व्याघ्र संरक्षण परियोजना का यह समापक प्रारुप झारखंड राज्य सरकार द्वारा पलामु व्याघ्र परियोजना के लिए, वाइल्ड लाइफ : प्रोटेक्शन एक्ट 1972, के खंड 38 ट के उप खंड (3) के तहत एन.टी. सी.ए. को परित करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। राज्य सरकार के अनुपालन से पत्र क्रमांक 465, दिनांक 24/04/2015 में जाहिर करते हुए, एन.टी.सी.ए. ने **वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के खंड 38 भी. (1) ए.** के तहत इस **व्याघ्र संरक्षण परियोजना** को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। आगे 11 बिन्दुओं में निम्नलिखित शर्तों के आधार पर **व्याघ्र संरक्षण परियोजना** का क्रियान्वयन करने के आदेश दिए गए हैं :-

1. योजना से कोई भी अतिक्रम बिना **राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकार** के प्रायः अनुपालन के बिना न किया जाए।
2. पारित **व्याघ्र संरक्षण परियोजना** की योजना की अवधि में मध्य कालीन समीक्षा का प्रावधान है, ताकि जरुरत हेतु कार्यप्रणाली में परिवर्तन किया जा सकता है।
3. राज्य सरकार, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण और टाइगर प्रोजेक्ट द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को पालन करने के लिए, त्रिपक्षीय **मेमोरेंडम ऑफ अन्डरस्टेंडींग** (एम.ओ.यु.) के तहत बाध्य है।
4. कोर क्षेत्र का दर्जा नेशनल पार्क/वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी होने के कारण वाईल्ड लाईफ (प्रोटेक्शन) एक्ट 1972 के सेक्शन 5 (4) के सभी प्रावधान पूरे क्षेत्र में लागू होंगे, साथ ही सेक्शन 51(1सी), (1डी) और 55 (ए.बी.), (ए.सी.) भी लागू होंगे।
5. **व्याघ्र संरक्षण परियोजना** के निर्धारणों का क्रियान्वयन करने हेतु, ये सुनिश्चित किया जाए कि टाईगर रिजर्व शासन प्रबंध द्वारा निम्नलिखित कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन न किया जाए :-

- वन्य-जीव संरक्षण अधिनियम, 1972
- भारतीय वन अधिकार कानून, 1927
- जैव-विविधता अधिनियम, 2002
- पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम, 1986

- वन संरक्षण अधिनियम, 1980
- नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, 1988
- अनुसुचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006
- माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय–समय पर दिए गए, निर्देशानुसार

6. वन्य–जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के खंड 38 (ओ) (1) (बी) और (जी) में दिए गए प्रावधानों से किसी भी समय अतिक्रम पाए जाने पर, एन.टी.सी.ए. और राज्य सरकार की संयुक्त टीम के समक्ष, उन केसों और घटनाओं के मुल्यांकन एवं निर्धारण के लिए और कारवाई के दौरान इन प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।
7. टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में फॉरेस्ट्री ऑपरेशनों के क्रियान्वयन में निम्नलिखित सुनिश्चित किए जाए :–
   - न्युनतम "पैच डिस्टरबेंस (विशेष क्षेत्र बाधा)" और न्यूनतम "मैन.एनिमल कोंफ्लिक्ट(मानव पशु संघर्ष)" सुनिश्चित किया जाए और फॉरेस्ट्रि ऑपरेशन प्रतिबंधित रुप से इस वर्ष निले हुए सिर्फ कूप क्षेत्रों में किया जाए।
   - वन्य–जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के खंड 38 ट (2) का कड़े तौर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
   - सूर्यास्त के बाद क्षेत्र में काम करने और डेरा डालने की अनुमति नहीं दी जाए।
   - 'टाइगर मुवमेंट (बाघ आवा–जाही)', 'वॉटर पॉईंट (जल स्रोत)' और 'केटल किल्स (जानवर मारने)' की रोजाना निगरानी की जाए।
8. सभी टूरिज्म गतिविधियों का नियंत्रण वन्य–जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के खंड 38 ओ (सी) के तहत एन.टी.सी.ए. द्वारा जारी की गई गाईड लाइन, पत्र दिनांक 15/10/2012 के अनुसार किया जाना चाहिए।
   - व्याघ्र संरक्षण प्लान की प्रतियाँ सभी डिपार्टमेंट/एजेंसियों को समकक्ष क्रियान्वयन के लिए दी जाएगी।

- अगर ऊपर दी गई शर्तों का उलंघन किया जाता है तो **राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकार** (एन.टी.सी.ए.) समीक्षा करने का, संशोधित और अनुमोदन वापस लेने का अधिकार रिजर्व करता।
- समापक व्याघ्र संरक्षण प्लान में सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जरुरी एनकजर/नक्शा रहना चाहिए।

पलामू व्याघ्र परियोजना परिचय :-

पलामू टाइगर रिजर्व झारखण्ड के छोटानागपुर पठार में अवस्थित लातेहार जिले के पश्चिम सीमा के अंतर्गत आता है जिसमें दक्षिण में नेतरहाट जंगल, उत्तर में औरंगा नदी, पूर्व में लातेहार वन प्रमंडल, पश्चिम में गढ़वा वन प्रमंडल और छत्तीसगढ़ के सरगुजा वन प्रमंडल आते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट के अतर्गत इस टाइगर रिजर्व को 1974 ई. में अधिसूचित किया गया। उस समय इसका कुल क्षेत्रफल केवल 226.84 किलोमीटर था परन्तु बाद में इसे बढ़ाकर पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल 1026.00 किलोमीटर और आरक्षित वन का कुल क्षेत्रफल 103.93 किलोमीटर मिलाकर कुल 1129.93 वर्ग किलोमीटर हुआ है।

वाइल्ड लाइफ इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया ने पलामू टाइगर रिजर्व मध्य भारत का सबसे बड़ा टाइगर परिदृश्य माना है जो पश्चिमी छोर में गुरु घासीदास नेशनल पार्क होते हुए संजय दुबरी टाइगर रिजर्व से बांधवगढ़ टाइगर तक फैला हुआ है। जिसका क्षेत्रफल 25,000 वर्ग किलो मीटर है और बांधवगढ़–संजय–गुरु घांसीदास–पलामू परिदृश्य बनता है। यह छत्तीसगढ़ के जशपुर और महान जंगल से होकर अचानकमार–कान्हा टाइगर परिदृष्य तक भी छूकर गुजरता है। उत्तरी पूर्वी में यह गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य और कोडरमा वन्यजीव अभ्यारण्य से होते हुए बिहार राज्य के सीमा से होते हुए चतरा जिले के लावालोंग वन्यजीव अभ्यारण्य और हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य तक चिन्हित है। दक्षिण में सिमडेगा और पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य होते हुए सारंडा और उड़िसा के जंगल तक इसका फैलाव बताया गया है।

पलामू टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में आठ गाँव आते हैं जिनका नाम इस प्रकार है – रमनदाग, लाटू, कुजरुम, बिजयपुर, गुटवा, गोपखांड और पंडरा और 191 गाँव हैं जो बफर जोन में आते हैं साथ ही 207 ऐसे गाँव हैं जो इस टाइगर रिजर्व 5 किलो मीटर के अंतराल में बसे हैं।

बाघ का संरक्षण क्यों :-

वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 (संशोधित 2006) के सेक्शन 38 भी. (1) (2) (3) (4) (5) के तहत बाघ संरक्षण का कानूनी प्रावधान है। राज्य सरकार, नेशनल टाइगर रिजर्व प्राधिकरण के सिफारिश द्वारा इस कानून के तहत किसी विशेष वन क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित करती है और बाघ संरक्षण की योजना तैयार करने का प्रावधान का प्रयोग करती है। इसी प्रकार पलामू टाइगर रिजर्व झारखण्ड सरकार द्वारा घोषित किया गया है इन कारणों को बुनियाद बना कर.

1. यह सबसे पुराना मध्य भारतीय परिदृश्य है जो बाघों का देश से जाना जाता है।
2. अन्य मध्य भारतीय बाघ क्षेत्र जैसे सिमरसोत वन्य जीव अभ्यारण्य, तेमोर पिंगला, गुरु घांसी दास राष्ट्रीय उद्यान, संजय गाँधी राष्ट्रीय उद्यान और बांधव गढ़ टाइगर रिजर्व से इस रिजर्व क्षेत्र का संपर्क है।
3. अनेक प्रकार के वन्य प्राणी के साथ–साथ अनेक वन–वनस्पति का गढ़ है।
4. इस क्षेत्र में कई आदिम द्रविड़ आदिवासी जैसे कोरवा, बिरजिया, नगेसिया और पहाड़िया यहाँ निवास करते जो वन के साथ एक विशेष आत्मीयता का सम्बन्ध रखते हैं। उनका पारंपारिक रीति–रिवाज, पूजा पाठ और त्योहार प्रकृति संबधित हैं।

पलामू व्याघ्र परियोजना के कोर एरिया :-

पलामू व्याघ्र परियोजना के कोर क्षेत्र का अधिसूचना झारखण्ड सरकार ने 31 दिसम्बर 2007 को अधिसूचना संख्या 'वाइल्ड लाइफ-6589' द्वारा की थी जिसका सम्पूर्ण क्षेत्रफल 414.08 वर्ग किलोमीटर है. यह पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य (क्षेत्रफल 200.54 वर्ग किलो मीटर) और बेतला राष्ट्रीय उद्यान (क्षेत्रफल 213.54 किलो मीटर) मिलकर 39 आरक्षित वन खंड से बनाया गया है। अनेक जीव जंतु और वनस्पति से भरा यह क्षेत्र उत्तर में बेतला का जंगल, बड़ी चद्दान और मोरवाई, पूर्व में चुन्नारू, हरातु, लडी, लामर, मुंडू, और दूसरे पूर्वीये गारू के सुरक्षित जंगल क्षेत्र, दक्षिण में नेतरहाट, दौना, दूरुप, बाड़ेसांड और चेतमा के बाड़ेसांड वन क्षेत्र और पश्चिम में कुटकु जंगल क्षेत्र के चेमो और सानेया जंगल और छत्तीसगढ़ के अम्बिकापुर के जंगल को कोर क्षेत्र के रूप में दर्ज है।

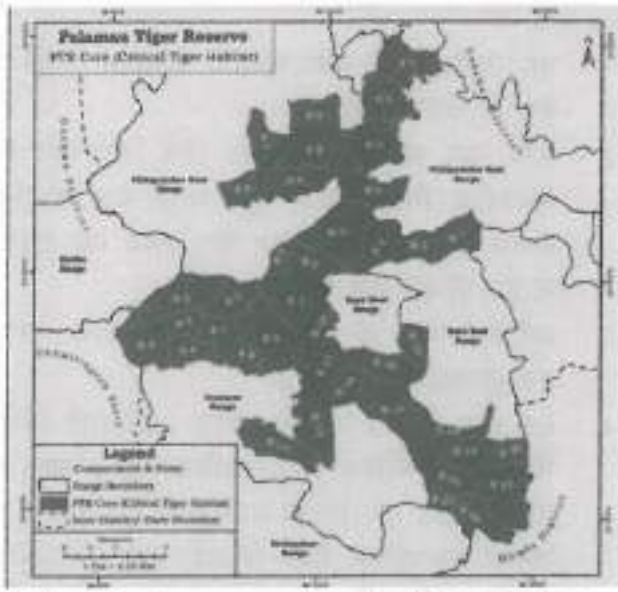

कोर क्षेत्र में वनोपज का उपयोग को चोरी करार दिया जाता है, शिकार और घरेलु जानवरों की चराई पर पूरी तरह प्रतिबंधित है, मानव प्रवेश और वानिकी क्रियाविधि भी निषेध है परन्तु अन्दर के वन गाँव का मौजूदगी एक बड़ा मुद्दा माना जाता है।

कोर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के नाम :-

1. रमनदाग, 2. लातू, 3. कुजरुम, 4. बिजयपुर, 5. गुटुवा, 6. गोपखांड़, 7. पंडरा, 8. हेनार।

इन आठों गांवों में से एक गाँव रमनदाग बरवाडीह प्रखंड में आता है और बाकी के गाँव गारू प्रखंड में आते हैं। इन गाँवों में स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सरकारी सेवाएँ की पहुँच लगभग नहीं के बराबर है, कृषि ही लोगों का मुख्य जीविकोपार्जन का साधन है और दूसरा साधन वनोपज है जो प्रतिबंधित हैं।

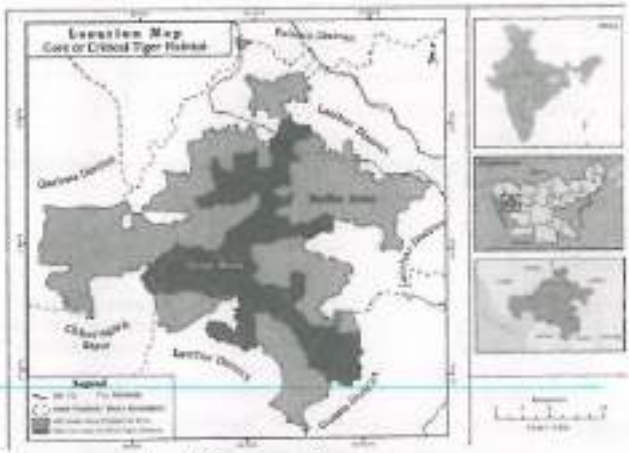

गाँवों का जनसंख्याकिक रुपरेखा :-

कोर क्षेत्र के गाँव की जनसँख्या							
क्रम सं	गाँव का नाम	परिवार की संख्या	जनसँख्या		कुल जनसँख्या	पशुधन की संख्या	गाँव का क्षेत्रफल (हेक्टर में)
			महिला	पुरुष			
1	कुजरुम	49	154	165	319	245	23.07
2	लातु	38	109	115	224	190	46.17
3	रमनदाग	66	252	269	521	425	107.7
4	हेनार	60	273	287	560	430	114.17
5	गुटुवा	90	246	250	496	450	114.17
6	बिजयपुर	75	182	183	365	375	121.48
7	गोपखाड़	25	70	69	139	125	23.05
8	पंडरा	56	229	231	460	280	68.02
	कुल	504	1515	1569	3084	2520	619.84

(व्याघ्र संरक्षण प्लान के तहत पलामू व्याघ्र परियोजना के विस्तारीकरण के नाम पर बरवाडीह एवं गारू प्रखंड के 8 गाँव क्रमशः 1.रमनदाग, 2. लातू, 3. कुजरुम, 4. बिजयपुर, 5. गुटुवा, 6.गोपखांड, 7. पंडरा, 8. हेनार को गाँव खाली करने के लिए सहमति एवं असहमति से संबंधित पत्र 'वन प्रमंडल पदाधिकारी, बफर एरिया, व्याघ्र परियोजना डालटनगंज, पलामू के द्वारा इको विकास समिति के अध्यक्ष को ज्ञापांक संख्या 667, दिनांक 29/05/2017 को प्रेषित की गई है।)

पलामू व्याघ्र परियोजना के बफर जोन :-

715.85 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले पलामू टाइगर रिजर्व का बफर जोन (मध्यवर्ती क्षेत्र) की अधिसूचना झारखण्ड सरकार ने 14 जुलाई 2012 को अधिसूचना संख्या वाइल्ड लाइफ .05/2012–2911 द्वारा चिन्हित किया गया। यह क्षेत्र आरक्षित वन और संरक्षित वन का 149.46 वर्ग किलोमीटर पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य का 553.11 वर्ग किलोमीटर और 12.78 वर्ग किलोनीटर बेतला राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा से बना है।

बफर जोन के अंतर्गत ग्राम :-

बफर जोन में और इसके आस पास 191 गाँव हैं जो 6 विभिन्न प्रशासनिक खंड जैसे, बरवाडीह, मनिका, गारू, भंडरीया, महुआडांड और चैनपुर के अंतर्गत हैं। बफर जोन के ये 191 गाँव झारखंड सरकार की अधिसूचना 31 दिसम्बर 2007 को अधिसूचना संख्या 'वाइल्ड लाइफ– 6589' के अंतर्गत चिह्नित कोर क्षेत्र के ही गाँव हैं। अभी जिन 8 गाँवों 1. रमनदाग, 2. लाठू, 3. कुजरुम, 4. बिजयपुर, 5. गुटुवा, 6. गोपखांड, 7. पंडरा, 8. हेनार को कोर एरिया में शामिल किया गया है। ये सभी गाँव व्याघ्र परियोजना के विस्तारीकरण के पूर्व कोर एरिया में आते थे। इससे यह मतलब साफ निकाला जा सकता है कि बफर एरिया के ये 191 गाँव को कभी भी पलामू व्याघ्र परियोजना द्वारा कोर एरिया में शामिल किया जा सकता है।

क्रम सं.	अनुमंडल	क्षेत्रफल (एकड़ में) में)	परिवार	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अन्य	कुल जनसंख्या
1	बरवाडीह	48,995	15,730	16,097	45,986	19,759	84,342
2	भंडरीया	19,788.43	2,348	2,363	5,758	3,152	11,273
3	चैनपुर	2,643.09	1,470	1,563	2,702	3,888	8,153
4	मनिका	7,811.74	3,062	3,758	8,603	3,849	16,210
5	गारू	16,985.41	4,053	1,095	16,692	3,260	21,047
6	महुआडांड	21,190,43	1,561	236	7,021	1,092	8,349
कुल		1,17,414.38	28,224	27,612	86,762	35,000	1, 49,374

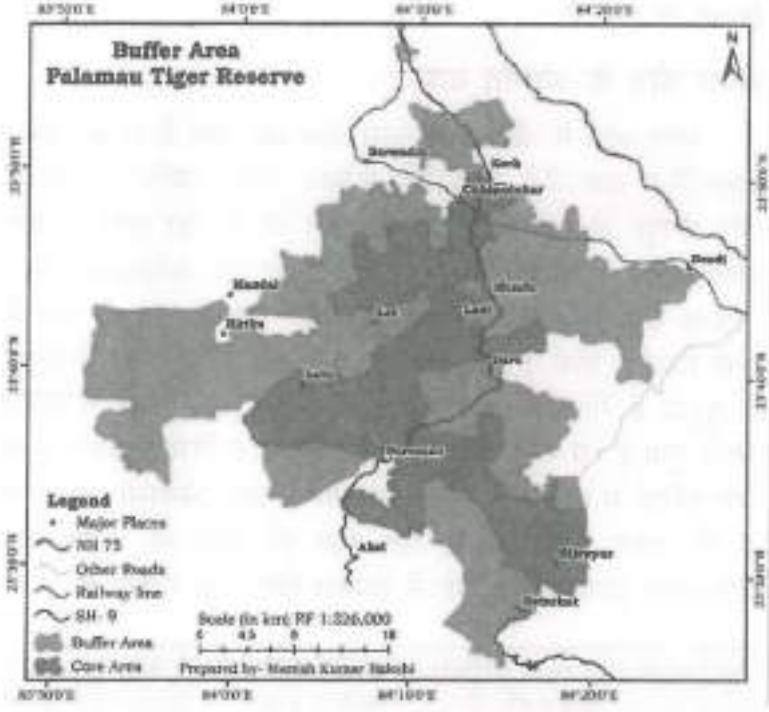

Buffer Area
Palamau Tiger Reserve
N
Legend
Major Places
Other Roads
Railway line
SH-9
Buffer Area
Core Area

पलामू व्याघ्र परियोजना के बफर जोन गाँव एवं जनसंख्या विवरण :-

क्रम सं	गाँव का नाम	प्रखंड	थाना न0	गाँव का क्षेत्र (एकड़ में)	घर की संख्या	जन संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अति पिछड़ा वर्ग और अन्य	शिक्षा (प्रतिशत में)	काम नहीं करने वाले
1	अखरा	बरवाडीह	16	220.93	432	2,193	381	156	279	9.80	430
2	अमडीहा	बरवाडीह	5	391.49	357	1,606	237	1,288	81	39.17	868
3	बभनडीह	बरवाडीह	32	445.80	338	1,755	310	474	971	68.49	1,258
4	बारीचट्टान	बरवाडीह	54	381.15	119	706	—	706	—	27.20	420
5	बारीचट्टान (संरक्षित वन)	बरवाडीह	33	—	35	145	48	33	64	55.86	99
6	बारीदोहर	बरवाडीह	53	523.10	110	714	40	648	26	44.82	521
7	बरखेता	बरवाडीह	49	425.13	205	1,183	9	1,149	25	30.52	658
8	बेरे	बरवाडीह	45	359.68	170	890	112	697	81	33.71	660
9	बेतला	बरवाडीह	15	315.07	432	2,193	381	156	1,656	52.62	1,423

10	बोदे	बरवाडीह	31	73.86	—	—	—	—	—	—	—
11	चमारडीहा	बरवाडीह	25	118.00	123	614	87	44	483	65.15	484
12	चपरी	बरवाडीह	27	395.36	430	2,086	1,538	248	300	35.47	1,468
13	चातम	बरवाडीह	79	157.97	42	233	—	166	67	35.62	92
14	छेनचा	बरवाडीह	28	437.62	622	2,862	622	1,010	1,230	49.90	1,877
15	छिपादोहर	बरवाडीह	57	1,006.83	952	5,085	820	2,813	1,452	50.88	3,0186
16	चुगरू	बरवाडीह	69	3,159.58	365	2,019	65	1,762	192	34.47	1,038
17	डोड़ामी	बरवाडीह	7	551.77	138	683	254	388	23	37.10	464
18	गणेशपुर	बरवाडीह	75	832.96	194	1,012	22	988	2	30.63	578
19	गाड़ी	बरवाडीह	59	822.38	304	1,681	560	974	147	41.06	930
20	गसेदाग	बरवाडीह	46	265.01	109	592	—	587	5	20.44	452
21	गुजा	बरवाडीह	65	320.91	63	318	—	313	5	21.38	1,061
22	हरातु	बरवाडीह	73	2,005.28	270	1,401	224	907	270	25.70	632
23	हरहे	बरवाडीह	48	319.71	157	788	21	648	119	36.55	436
24	हरिणमार	बरवाडीह	55	110.94	63	346	30	280	36	22.54	755

25	इस्पुर्वा / बिराटपुर्वा	बरवाडीह	2	123.31	6	25	21	—	4	32.00	15
26	हेहेगड़ा	बरवाडीह	64	1,343.46	339	1,745	774	612	359	34.96	929
27	हेदेहास	बरवाडीह	6	72.87	53	299	48	243	8	46.49	157
28	होरीलोग	बरवाडीह	30	438.60	182	890	192	576	120	47.53	492
29	होसीर	बरवाडीह	66	512.80	172	897	297	517	83	27.09	515
30	जारगढ़	बरवाडीह	51	208.22	40	176	10	160	6	25.00	76
31	जाश्वा / बयबल	बरवाडीह	36	1,202.62	55	375	—	367	8	30.40	252
32	जोबे / अम्बाटीकर	बरवाडीह	74	1,083.74	138	654	134	401	119	37.92	245
33	जूरुहार	बरवाडीह	56	438.11	300	1,774	133	1,525	116	27.90	1,107
34	कंचनपुर	बरवाडीह	3	258.22	273	1,453	71	1,332	50	58.98	1,022
35	कल्याणपुर	बरवाडीह	4	173.42	137	795	75	720	—	24.65	560
36	केचकी	बरवाडीह	1	444.11	274	1,792	193	1,464	135	29.46	993
37	केंड	बरवाडीह	62	900.08	604	3,138	953	1,598	587	36.55	1,778

38	खमीखास	बरवाडीह	42	384.38	55	305	—	282	23	52.79	161
39	खुरा	बरवाडीह	24	376.29	480	2,396	905	206	1,285	65.23	1,560
40	कोलपुर्वा	बरवाडीह	13	108.46	88	476	5	382	89	51.68	357
41	कोरवाडीह	बरवाडीह	41	312.43	26	197	—	197	—	9.64	606
42	कुचला	बरवाडीह	58	503.63	432	2,727	1,065	931	731	42.54	1,762
43	कुकु	बरवाडीह	80	1,445.72	85	490	—	463	27	36.33	246
44	कुटकु	बरवाडीह	8	346.34	193	1,143	289	540	314	23.01	861
45	लाभर	बरवाडीह	70	412.18	35	288	7	180	81	62.31	152
46	लंका	बरवाडीह	26	132.57	55	333	266	45	22	16.52	160
47	लात	बरवाडीह	47	432.93	216	1,215	38	1,105	72	30.45	494
48	लेदगाई	बरवाडीह	19	512.77	148	792	403	231	158	39.02	603
49	लुहुर	बरवाडीह	21	441.62	293	1,641	673	618	350	47.90	1,053
50	लुकूनखाड	बरवाडीह	60	260.83	104	508	197	324	27	37.60	305
51	लूशाब्यान	बरवाडीह	11	59.86	5	33	4	—	29	9.09	22
52	मनातु	बरवाडीह	77	222.51	71	402	189	211	22	32.59	217

53	मंडल	बरवाडीह	37	1,235.87	230	1,043	164	524	355	23.11	599
54	मगरा	बरवाडीह	23	592.45	474	2,459	928	1,228	303	43.72	1,450
55	मेराल	बरवाडीह	81	—	21	132	—	132	—	12.12	59
56	मोरवाई कला	बरवाडीह	38	4,190.81	457	2,436	532	1,752	152	53.28	1287
57	मोरवाई खुर्द	बरवाडीह	34	6,471.60	52	237	64	173	—	43.88	75
58	मुकू	बरवाडीह	71	649.58	148	865	325	389	151	41.85	590
59	मुर्गीडीह	बरवाडीह	22	293.10	256	1,316	295	842	179	48.86	897
60	मुरू	बरवाडीह	17	529.34	344	1,876	530	1,309	37	36.25	1,327
61	नवाडीह	बरवाडीह	68	363.88	288	1,482	76	621	785	23.14	797
62	नवरनागू	बरवाडीह	40	299.13	33	182	—	182	—	56.04	77
63	पैरा	बरवाडीह	20	225.72	119	659	119	515	25	38.24	365
64	पतराडीह	बरवाडीह	44	132.06	28	140	—	118	22	37.86	89
65	पोखरीकला	बरवाडीह	10	472.31	611	3,886	289	48	3,549	25.45	2,207
66	पोखरीखुर्द	बरवाडीह	12	374.96	150	780	288	212	290	19.62	580
67	पुटुवागढ	बरवाडीह	29	173.99	50	234	10	201	23	40.17	127

68	रबदी	बरवाडीह	61	312.63	138	629	225	334	70	2734	298
69	साईदूप	बरवाडीह	52	864.13	394	2,147	246	1,862	39	32.42	1,142
70	सरईडीह	बरवाडीह	9	403.24	297	1,719	519	202	998	29.26	952
71	सेलारीटाड	बरवाडीह	78	30.90	29	134	42	91	1	9.70	69
72	सेरेंगदाग	बरवाडीह	43	480.23	79	447	10	436	1	47.65	216
73	सिदूरवा	बरवाडीह	35	2,027.62	24	123	24	97	2	48.78	50
74	सुकुलकथा	बरवाडीह	76	514.08	12	60	12	48	—	41.67	23
75	तनवई	बरवाडीह	39	110.57	41	210	—	210	—	43.81	79
76	टोंगारी	बरवाडीह	50	443.09	190	974	9	925	40	31.62	522
77	उकामाड	बरवाडीह	14	62.66	3	12	—	8	4	33.33	9
78	उकामाड़	बरवाडीह	18	721.99	288	1,644	181	1,438	25	36.68	1,141
79	उपाग	बरवाडीह	67	246.71	93	482	19	404	59	40.46	251
80	भंजना	भंडरीया	218	247.38	15	82	8	53	21	25.61	44
81	बिजपुर	भंडरीया	204	51.10	98	535	1	436	98	56.26	273
82	चपीया	भंडरीया	215	1,195.39	56	269	—	268	1	40.15	116

83	हेमो	भंडरीया	222	733.10	73	321	—	122	199	5.92	139
84	हेसातु	भंडरीया	208	2,206.73	131	622	—	507	115	36.33	280
85	हेसा	भंडरीया	217	796.96	2	13	—	13	—	46.15	3
86	खुरा	भंडरीया	216	481.00	81	379	—	350	29	8.97	188
87	कोरवाडीह	भंडरीया	210	880.25	—	—	—	—	—	—	—
88	कोरवाडीह	भंडरीया	220	55.54	2	4	—	4	—	50.00	—
89	कुदगड़ा	भंडरीया	223	166.53	—	—	—	—	—	—	—
90	कुलही	भंडरीया	209	84.16	42	199	—	166	33	34.67	108
91	कुटकू	भंडरीया	219	312.28	101	460	44	416	—	38.91	187
92	मदगड़ी	भंडरीया	186	4,212.74	921	4,276	1,734	445	2,097	46.52	2,076
93	पररो	भंडरीया	182	164.00	206	1,067	23	868	175	41.99	494
94	पोलपोल	भंडरीया	214	468.24	22	90	—	90	—	48.89	35
95	सान्या	भंडरीया	221	1,318.02	133	675	59	490	126	50.52	324
96	संगली	भंडरीया	185	1,311.34	45	203	—	72	131	15.76	100
97	सरूता	भंडरीया	207	1,093.07	85	412	—	292	120	25.97	208
98	तेलरी	भंडरीया	206	1,203.15	166	888	465	423	—	73.20	731

99	टोटकी	भंडरीया	184	1,181.10	55	298	29	268	2	44.82	64
100	तुमेरा	भंडरीया	211	929.02	43	167	—	164	3	29.94	86
101	तुरेर	भंडरीया	212	687.33	71	312	—	310	2	44.23	164
102	औसेन	चैनपुर	181	949.88	791	4,017	796	1,071	2,150	46.40	2,330
103	औसेन	चैनपुर	181	949.88	446	2,804	496	724	1,584	15.26	—
104	बढनिया	चैनपुर	165	—	—	—	—	—	—	—	—
105	बढनिया	चैनपुर	165	10.97	79	446	—	431	15	0.00	—
106	खपिया	चैनपुर	164	366.18	101	525	163	284	78	52.19	297
107	खपिया	चैनपुर	164	366.18	53	361	108	192	61	0.55	—
108	अरमु मिंचाईया	गारू	50	639.58	44	226	—	226	—	26.99	122
109	बहेराटोला	गारू	47	182.48	88	459	—	440	19	63.62	123
110	बैगाटोली	गारू	33	256.71	123	582	88	394	100	33.85	300
111	बारेसांड़	गारू	62	1,195.81	253	1,303	197	497	609	48.73	691
112	बारी बांध	गारू	29	717.26	96	518	—	491	27	31.27	252
113	भवरबांध	गारू	58	411.79	32	168	—	160	8	29.76	93

114	चांपी	गारू	21	457.39	17	104	—	97	7	8.65	193
115	चिरैया	गारू	24	16.58	11	41	—	39	2	39.02	24
116	दलदलिया	गारू	48	278.86	102	579	19	436	124	43.52	316
117	दारीचापर	गारू	30	229.04	39	157	3	154	—	36.31	72
118	डाड़कोचा	गारू	65	164.14	57	264	—	262	2	47.73	144
119	डेहगांव	गारू	61	154.87	82	433	142	209	82	40.88	237
120	धांगरटोला	गारू	57	135.31	331	1,558	101	524	933	61.04	1,049
121	कोराम	गारू	35	234.65	88	382	14	368	—	51.31	185
122	गारू	गारू	56	286.37	77	362	2	242	118	58.01	219
123	गोईंदी	गारू	43	344.67	73	370	—	370	—	32.97	169
124	हेंदेहास	गारू	28	116.86	93	439	16	373	50	28.47	242
125	हेसाग	गारू	52	49.32	81	436	—	414	22	43.12	257
126	हठेटोला	गारू	45	400.56	46	240	—	226	14	36.67	113
127	हुरदागटोला	गारू	42	1,025.36	62	342	22	305	15	45.61	160
128	कचनी	गारू	27	72.23	70	302	12	229	61	54.97	154

129	कटे	गारू	25	154.17	—	—	—	—	—	—	16
130	करवाई	गारू	46	395.23	156	806	5	779	22	40.45	412
131	कोरवाटोला	गारू	40	381.09	64	301	—	301	—	29.24	136
132	कोटाम	गारू	32	421.17	224	1,210	84	1,058	68	40.58	706
133	कुई	गारू	44	206.84	74	403	100	299	4	48.39	244
134	लोहरगड़ा	गारू	49	287.35	110	633	56	545	32	33.65	344
135	लुहुरटांड	गारू	54	89.41	103	470	18	447	5	43.83	306
136	महुँआडाबर	गारू	26	65.32	29	118	66	29	23	19.49	205
137	मगरा	गारू	63	295.18	7	37	—	37	—	43.24	18
138	मरोमार	गारू	60	1,246.32	70	301	11	265	25	49.50	151
139	मायापुर	गारू	66	290.03	186	873	1	681	191	62.08	450
140	पहाड़कोचा	गारू	67	1,128.77	90	514	—	413	101	69.26	294
141	पटी	गारू	23	79.24	—	—	—	—	—	—	125
142	पीरी	गारू	2	378.38	100	573	15	558	—	41.71	334
143	पुरनी अरमु	गारू	51	61.62	64	674	—	660	14	62.76	547

144	पुरनी हेसाग	गारू	53	49.51	23	132	—	125	7	54.55	80
145	रमसीली	गारू	64	579.97	153	750	—	683	67	46.27	419
146	रोल	गारू	5	348.13	97	502	6	271	225	46.41	262
147	रूद	गारू	22	487.07	157	773	—	732	41	27.17	364
148	सालवे	गारू	34	531.09	99	478	57	380	41	50.21	271
149	समदोटोला	गारू	55	94.56	53	633	48	479	106	80.41	425
150	सीमाखास	गारू	20	339.62	71	325	12	268	45	51.38	176
151	सीरम	गारू	31	337.36	22	100	—	100	—	32.00	48
152	सुरकुमी	गारू	59	1,368.15	236	1,176	—	1,126	50	46.68	546
153	अधे	महुँआडांड	79	780.89	49	274	—	206	68	42.70	126
154	अक्सी	महुँआडांड	76	1,705.90	200	1,157	8	1,064	85	58.17	540
155	बदूरा	महुँआडांड	71	1,370.50	178	852	—	850	2	38.97	481
156	चेतमा	महुँआडांड	68	1,424.20	139	767	42	701	24	59.84	287
157	दौना	महुँआडांड	78	1,227.00	160	781	36	529	196	54.01	375
158	दूरूप	महुँआडांड	84	2,606.60	189	1,072	—	884	188	50.37	500
159	गोरगड़ा	महुँआडांड	70	152.81	—	—	—	—	—	—	—

160	जामडीह / हरामगखा	महुँआडाड़	73	1,337.00	171	977	36	853	88	7.57	—
161	जनता	महुँआडाड़	69	202.61	24	131	7	117	7	38.17	—
162	कोरगी	महुँआडाड़	80	1,790.40	22	128	—	64	64	16.41	—
163	लोध	महुँआडाड़	105	1,061.10	95	598	84	402	112	26.59	—
164	नैना	महुँआडाड़	83	1,339.10	22	18	—	18	—	22.22	—
165	परेवा	महुँआडाड़	102	913.44	62	313	—	312	1	33.55	—
166	सिरसी	महुँआडाड़		1,374.50	71	385	—	304	81	7.79	—
167	तमोली	महुँआडाड़	74	929.88	136	690	22	606	62	28.84	—
168	तिसिया	महुँआडाड़	72	2,974.50	43	226	1	111	114	6.64	—
169	अम्बाटीकर	मनिका	85	168.27	37	189	—	188	1	42.86	50
170	आटीखेता	मनिका	84	301.48	129	719	116	561	42	35.19	413
171	बड़काडीह	मनिका	176	515.50	248	1,173	137	772	264	47.68	660
172	भटको	मनिका	106	204.25	161	972	50	243	679	53.29	694
173	देवबार	मनिका	175	633.90	111	667	179	488	—	37.48	402
174	हरा	मनिका	83	279.50	119	626	—	617	9	23.00	453
175	जबला	मनिका	86	147.46	66	329	—	328	1	42.86	177

176	जगतु	मनिका	107	103.52	124	591	171	373	47	57.67	301
177	जेरुवा	मनिका	106	777.13	186	997	82	641	274	50.55	558
178	कोईली	मनिका	114	195.17	49	295	131	107	57	57.97	165
179	कोपे	मनिका	111	287.86	266	1,363	373	575	415	43.21	1,176
180	कुरुमखेता	मनिका	82	122.00	26	116	—	112	6	47.46	60
181	लंका	मनिका	112	1,262.33	284	1,503	292	1201	10	43.58	842
182	लावागड़ा	मनिका	177	211.11	39	173	66	29	78	46.82	79
183	पतकी	मनिका	87	283.10	43	250	24	176	50	54.80	144
184	पिपराकला	मनिका	126	419.29	191	1,051	250	293	508	19.89	—
185	रबदा	मनिका	121	532.64	226	1,216	195	981	40	11.76	—
186	रांकीकला	मनिका	119	556.50	372	1,982	849	479	654	52.32	1,114
187	रांकी खुर्द	मनिका	118	169.78	86	491	178	46	267	43.99	—
188	सलया	मनिका	120	228.67	81	410	207	142	61	17.80	—
189	सेवधार	मनिका	113	150.21	89	422	40	191	191	39.81	327
190	थेमा	मनिका	123	95.95	50	285	98	53	134	17.19	—
191	थेमी	मनिका	122	166.12	79	388	320	7	61	7.22	—
	पलामू व्याघ्र	योजना में	कुल	1,17,414.38	28224	1,49374	26,605	86,742	34,890	39.77	61,933

पलामू व्याघ्र संरक्षण और प्रावधान परियोजना का उल्लेखित उद्देश्य :-

अगर संक्षेप में कहा जाए तो इस विशाल परियोजना का उल्लेखित उद्देश्य कोर क्षेत्र और बफर जोन को कायम रखकर वहाँ बसे बाघ और अन्य जीव–जंतु को संरक्षण देना और उनकी जनसँख्या बढ़ानी है। इतना ही नहीं इस टाइगर रिजर्व से जुड़े हुए दूसरे वन्य–जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों की भी परवाह की गयी है।

पलामू टाइगर रिजर्व को उल्लेखित खतरे :-

1. नक्सल वादी गतिविधियाँ
2. पालतू पशुओं संख्या में वृद्धि
3. प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग
4. लोगों का वनोपज में आश्रित रहना
5. वन भूमि में अत्यधिक चराई के कारण अवांछित घास फूस उगना
6. वन्य–प्राणी के ऊपर लोगों का मानवीय दबाव
7. कोर क्षेत्र के आस पास नया बस्ती बनना

खतरों से निपटने के लिए उल्लेखित प्रावधान रणनीतियां

1. सबल प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना
2. व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन का स्थापना
3. पालतू जानवरों को चराने के लिए प्रतिबंद्ध करना
4. वृक्ष कटाई और गैर–इमारती लकड़ी जमा करने का प्रतिबंद्ध
5. कोर क्षेत्र के 619.84 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जहाँ 8 वन ग्राम बसे हैं उनको पुर्नस्थापना करना।
6. खुफिया जानकारी के **'टाइगर सेल'** बनाना जो पूरे क्षेत्र में फैले हों।
7. नक्सलियों से निपटने के लिए **'स्ट्राइक फोर्स'** बनाना।
8. अवैध शिकार, वृक्ष कटाई और जंगली जानवरों के उत्पाद के कारोबार पर निगरानी के लिए क्षेत्रीय लोगों को नियुक्ति

पलामू व्याघ्र परियोजना और वहाँ बसे लोग :-

इस परियोजना के मुताबिक टाइगर रिजर्व में चिन्हित कोर क्षेत्र, बफर जोन और इको. सेंसिटिव जोन के 5 किलो मीटर के अंतराल में कुल 406 गाँव बसे हैं जहाँ अधिकतर लोग आदिवासी समुदाय से हैं। निरक्षरता के कारण लोग का कृषि कार्य ही जीविकोपार्जन का मूल स्रोत है। जनसँख्या वृद्धि में तेजी आने के कारण कृषि कार्य के लिए वन भूमि का प्रयोग किया जा रहा है और लोग वनोपज पर कई तरह से निर्भर हैं इससे वन्य प्राणी को अत्यधिक जैविक दबाव पड़ रहा है।

उल्लेखित योजना में लोगों के द्वारा वृक्षों की कटाई, अवैध जलावन की लकड़ी और गैर–इमारती लकड़ी जमा करना, अवैध पशु चराई, वन्य–जैविक उत्पादों का कारोबार, अवैध शिकार करना आदि गतिविधियाँ चलायी जाती हैं। लोग बहुमूल्य इमारती लकड़ियों की चोरी करते हैं। त्यौहार के अवसर पर लोग अवैध शिकार करते हैं। नक्सलियों की उपस्थिति भी इन कार्य–कलापों का बढ़ावा देती है। लोगों द्वारा वन भूमि को चारागाह बनाना जिसमें लगभग एक लाख पशु चरते हैं। एक प्रमुख मुद्दा बताया गया है क्योंकि वन–वनस्पति को बढ़ने से रोक लगता है और कई तरह के घास का अतिक्रमण बढ़ जाता है। वहाँ के जंगली जानवरों को भी इन पालतू जानवरों से डर बना रहता है कि कहीं कोई रोग का महामारी न फैल जाय।

मानव-पशु संघर्ष :-

मानव–पशु संघर्ष अधिकतर पालतू पशु का बाघ या तेंदुवे द्वारा उठा कर भगाने से हाथियों द्वारा फसल बर्बादी से, भालू द्वारा पालतू जानवरों पर हमला होने पर और हिरन और जंगली सूअर के गांवों में प्रवेश करने से होता है। जंगली जानवरों द्वारा 2002 से 2014 तक 23 व्यक्ति की मृत्यु और 111 व्यक्ति घायल हुए हैं। लगभग 230 एकड़ का फसल क्षतिग्रस्त हुआ है। इस लड़ाई का समाधान लोगों को मुआवजा देकर की जाती है।

वन ग्राम का पुर्नस्थापना :-

पलामू व्याघ्र परियोजना के कोर क्षेत्र में आठ गाँव बसे हैं। इस परियोजना के अनुसार इन गांवों को उनकी स्वेच्छा से पुर्नस्थापन करने की कोशिश होगी। इन आठ में से एक कुजरुम गाँव ने ग्रामसभा द्वारा लिखित पत्र देकर पुर्नस्थापना पैकेज लेने की लिए सहमती दे दी है। अन्य गाँव के लोगों को पुर्नस्थापना का लाभ समझाकर उनको भी यकीन दिलाया जायेगा। इन गांवों को अलग अलग स्तर में राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकार (एन.टी.सी.ए.) के दिशा–निर्देश के तहत पुर्नस्थापन की जाएगी। यह प्रक्रिया खत्म होने तक लोगों को वन्य–जीव के साथ समन्वय बनाये रखने की कोशिश की जाएगी।

वाइल्ड लाइफ कोरिडोर :-

लूट और अन्याय को बरकरार रखते हुए, वन्य प्राणी के संरक्षण के नाम पर पलामू टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र बढ़ा कर आठ गाँव को विस्थापित करने की योजना और बफर जोन के अंतर्गत 191 गांवों को चिन्हित करने के बावजूद भी झारखण्ड राज्य के वन विभाग की लालची आँखों की अभिलाषा पूरी नही हुई अतः उस विभाग ने अपने प्लान में वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर को भी सम्मिलित की जहाँ वन्य जीव के लिए विशेष जगह तैयार करने की बात की है। तीन प्रमुख कॉरिडोर का प्रस्तावना पारित करते हुए लोगों को अपने स्वार्थ के चपेट में लाया जा रहा है। सैकड़ों वर्ष से प्राकृतिक के साथ का समन्वय तोड़ने का अथक प्रयास किया जा रहा है।

प्रस्तावित तीन कॉरिडोर के नाम इस प्रकार बताये गए हैं :–

1. **सिरसी–पालकोट–सारंडा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर**
2. **कुरुमडीह–पतकी–लावालोंग वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर**
   - **(क) लावालोंग–तुतिलावा हजारीबाग वन्य–जीव अभ्यारण्य**
   - **(ख) लावालोंग–गौतम बुद्धा वन्य–जीव अभ्यारण्य**
   - **(ग) लावालोंग–मनातु–पाटन. कैमूर (बिहार)**
3. **कुटकू–सलवाही–नगरउटारी–कैमूर (उ.प्र.)**

वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की कुल संख्या और उनके क्षेत्रफल :-

क्रम	प्रमुख कॉरिडोर	जुड़े कॉरिडोर	कुल गाँव	कुल क्षेत्र (एकड़ में)
1	सिरसी–पालकोट–सारडा		214	1,87,733.3
2	कुमण्डीह–पतकी–लावालोंग		47	3,455.32
		(क) लावालोंग–तुतिलावा हजारीबाग	151	91,680.81
		(ख) लावालोंग–गौतम बुद्धा	243	1,32,492.5
		(ग) लावालोंग–मनातु–पाटन–कैमूर (बिहार)	83	43,798.9
	3 कुतुकू–सलवाही–नगर उंटारी–कैमूर (उ.प्र.)		132	1,05,009.4
कुल			770	5,64,170.25

प्रस्तावित "सिरसी-पालकोट-सारंडा वाइल्ड लाइफ कोरिडोर" के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के नाम:-

क्रम सं	गाँव	प्रखंड	जिला	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	सिरसी	महुआडांड़	लातेहार	1509.09
2	रांगे	बिशुनपुर	गुमला	996.55
3	लंगड़ाटांड़	बिशुनपुर	गुमला	1134.83
4	बलातु	बिशुनपुर	गुमला	239.7
5	नरमा	बिशुनपुर	गुमला	2607.43
6	अंकरी	बिशुनपुर	गुमला	441.04
7	बहागड़ा	बिशुनपुर	गुमला	2417.56
8	बेदी	बिशुनपुर	गुमला	267.28
9	अमटीपानी	बिशुनपुर	गुमला	75.74
10	अरगलोया	बिशुनपुर	गुमला	109.37
11	ओडेया	बिशुनपुर	गुमला	875.27
12	चीरोडीह	बिशुनपुर	गुमला	2996.23
13	कुजाम	बिशुनपुर	गुमला	2673.26
14	देवरागनी	बिशुनपुर	गुमला	812.04
15	तेंदर	घाघरा	गुमला	1647.26
16	डोकापाठ	चैनपुर	गुमला	214.21
17	बाघी	घाघरा	गुमला	3333.13
18	बेसना	चैनपुर	गुमला	388.10
19	मलम	चैनपुर	गुमला	641.82
20	कनरासिली	घाघरा	गुमला	572.05
21	रातू गम्हरिया	चैनपुर	गुमला	535.58
22	सलामी	घाघरा	गुमला	628.27

23	कुरुमगढ़	चैनपुर	गुमला	1953.69
24	ओरामार	चैनपुर	गुमला	606.71
25	बामदा	चैनपुर	गुमला	1204.5
26	जिरमी	चैनपुर	गुमला	55.73
27	कोटाम	चैनपुर	गुमला	696.78
28	लूरू	चैनपुर	गुमला	1016.58
29	सिबिल	चैनपुर	गुमला	557.66
30	साकसारी	चैनपुर	गुमला	582.75
31	कुलावन	चैनपुर	गुमला	646.03
32	उरू	चैनपुर	गुमला	819.92
33	मारवा	चैनपुर	गुमला	831.69
34	अंजन	गुमला	गुमला	426.95
35	केरागनी	चैनपुर	गुमला	1285.34
36	कुइया	चैनपुर	गुमला	360.25
37	कोचागनी	चैनपुर	गुमला	1035.41
38	डूमरडीह	गुमला	गुमला	38.17
39	जिलिंगा	गुमला	गुमला	109.04
40	बारडीह	चैनपुर	गुमला	669.62
41	घटगाँव	गुमला	गुमला	1066.57
42	कुकुररुआ	चैनपुर	गुमला	364.93
43	कोल्डा	चैनपुर	गुमला	702.79
44	कटासरु	गुमला	गुमला	672.00
45	सोकराहातु	चैनपुर	गुमला	573.07
46	परसा	रायडीह	गुमला	1079.47
47	बांसडीह	रायडीह	गुमला	545.32
48	तेतरडीह	रायडीह	गुमला	148.86

49	सेमरटोली	रायडीह	गुमला	653.86
50	बोक्टा	रायडीह	गुमला	669.99
51	तेलगांव	रायडीह	गुमला	127.33
52	तुरीडीह	रायडीह	गुमला	72.23
53	सिकोई	रायडीह	गुमला	2232.16
54	सिलम	रायडीह	गुमला	63.03
55	कुलमुन्डा	रायडीह	गुमला	1258.91
56	नवागढ़	रायडीह	गुमला	599.74
57	मरदा	रायडीह	गुमला	646.00
58	पीवो	रायडीह	गुमला	2288.49
59	लोकी	रायडीह	गुमला	944.92
60	जमगई	रायडीह	गुमला	967.12
61	लधुडेरा	पालकोट	गुमला	612.49
62	अखराकोना	पालकोट	गुमला	78.22
63	दहुपानी	पालकोट	गुमला	1489.58
64	कुटवाडीह	पालकोट	गुमला	736.25
65	कवैलबेड़ा	पालकोट	गुमला	29.43
66	खारपानी	पालकोट	गुमला	97.84
67	सुंदरीडीह	पालकोट	गुमला	1417.33
68	बाजरा	पालकोट	गुमला	1052.32
69	रोकेडेगा	पालकोट	गुमला	52.88
70	कोइनारडांड	पालकोट	गुमला	1232.58
71	पिठौरटोली	पालकोट	गुमला	206.57
72	बिलिंगबिरा	पालकोट	गुमला	371.54
73	सिजांग	पालकोट	गुमला	1627.69
74	सारुबेड़ा	पालकोट	गुमला	4715.42

75	सेरलोंगा	सिमडेगा	सिमडेगा	467.47
76	जापकाकोना	सिमडेगा	सिमडेगा	454.76
77	बनायडेगा	पालकोट	गुमला	976.03
78	बीरू	सिमडेगा	सिमडेगा	1310.42
79	फुलवार टांगर	सिमडेगा	सिमडेगा	2800.31
80	सराईपानी	कोलेबिरा	सिमडेगा	62.64
81	मचका	कोलेबिरा	सिमडेगा	55.27
82	अरानी	सिमडेगा	सिमडेगा	2015.57
83	कुरुग	सिमडेगा	सिमडेगा	1346.02
84	बन्दरचुवां	कोलेबिरा	सिमडेगा	1454.85
85	जोकबहार	सिमडेगा	सिमडेगा	496.50
86	सेलसोया	कोलेबिरा	सिमडेगा	216.31
87	बनलकेरा	ठेठइटांगर	सिमडेगा	1922.80
88	सिरिंगबेडा	ठेठइटांगर	सिमडेगा	2435.92
89	मुडिया	सिमडेगा	सिमडेगा	17.48
90	बिन्झियाबांध	ठेठइटांगर	सिमडेगा	884.76
91	लमबोई	जलडेगा	सिमडेगा	5521.63
92	टीनगीना	जलडेगा	सिमडेगा	10.81
93	टिकरा	जलडेगा	सिमडेगा	3154.79
94	उरते	जलडेगा	सिमडेगा	543.58
95	सेमरिया	जलडेगा	सिमडेगा	721.59
96	कोम्बाकेरा	जलडेगा	सिमडेगा	1318.85
97	लम्बदेगा	जलडेगा	सिमडेगा	1207.14
98	बोगेरा	जलडेगा	सिमडेगा	1209.73
99	भंवरचाबा	जलडेगा	सिमडेगा	577.98
100	बींदोचुवां	जलडेगा	सिमडेगा	271.32

101	जुनाडीह	जलडेगा	सिमडेगा	192.13
102	रोदगा	जलडेगा	सिमडेगा	2308.95
103	सुखाझरिया	जलडेगा	सिमडेगा	877.63
104	परवा	जलडेगा	सिमडेगा	516.85
105	कौयाडरहा	जलडेगा	सिमडेगा	733.67
106	लछनपुर	जलडेगा	सिमडेगा	225.61
107	ढेंगुरपानी	जलडेगा	सिमडेगा	225.67
108	मंगसपुर	जलडेगा	सिमडेगा	601.50
109	हुतुबदा	जलडेगा	सिमडेगा	1314.65
110	धौरांजन	जलडेगा	सिमडेगा	186.16
111	रामजरी	जलडेगा	सिमडेगा	31.13
112	कुटानगीया	जलडेगा	सिमडेगा	1015.89
113	पैतानो	जलडेगा	सिमडेगा	2130.09
114	तितलिंगी	जलडेगा	सिमडेगा	19.63
115	टाटी	जलडेगा	सिमडेगा	1889.35
116	तोनिया	बानो	सिमडेगा	27.72
117	जामुरसोया	बानो	सिमडेगा	500.65
118	तुरुयु	बानो	सिमडेगा	1097.05
119	पगुर	बानो	सिमडेगा	556.12
120	बिन्दूका	बानो	सिमडेगा	1561.18
121	कबेटांग	बानो	सिमडेगा	152.47
122	नवागांव	बानो	सिमडेगा	387.10
123	बरेरपा	बानो	सिमडेगा	204.16
124	कुदरुंग	बानो	सिमडेगा	402.14
125	सिकरोम	बानो	सिमडेगा	162.92
126	मैन्सार	बानो	सिमडेगा	346.12

127	लमगढ़	बानो	सिमडेगा	852.77
128	कोनोप	बानो	सिमडेगा	748.99
129	सोतासोया	बानो	सिमडेगा	24.56
130	बड़का दोइल	बानो	सिमडेगा	697.94
131	छोटका दोइल	बानो	सिमडेगा	319.06
132	पोहशर	बानो	सिमडेगा	1328.67
133	उरमू	बानो	सिमडेगा	437.50
134	लाताकेल	बानो	सिमडेगा	124.99
135	हतनाहदाह	बानो	सिमडेगा	627.59
136	ग्रस	बानो	सिमडेगा	514.93
137	खट्खुरा	रनिया	खूंटी	1861.77
138	बेलकीदुरा	रनिया	खूंटी	1566.22
139	कोरान्केल	गोइलकेरा	पश्चिम सिंहभूम	98.06
140	किरसुपकेरदा	गोइलकेरा	पश्चिम सिंहभूम	312.82
141	बेरालुमिन	गोइलकेरा	पश्चिम सिंहभूम	338.38
142	चलगिडा	रनिया	खूंटी	416.66
143	फॉरेस्ट	सोनुआ	पश्चिम सिंहभूम	1474.05
144	बुरुलमिन	गोइलकेरा	पश्चिम सिंहभूम	310.11
145	सिमको	गोइलकेरा	पश्चिम सिंहभूम	431.21
146	सिरका(सरक्षित वन)	गोइलकेरा	पश्चिम सिंहभूम	611.20
147	पाडुआ	गोइलकेरा	पश्चिम सिंहभूम	416.13
148	फॉरेस्ट	सोनुआ	पश्चिम सिंहभूम	845.09
149	उसुनगिन	सोनुआ	पश्चिम सिंहभूम	262.63
150	सालकिंग	सोनुआ	पश्चिम सिंहभूम	315.26
151	डैमार	सोनुआ	पश्चिम सिंहभूम	603.80
152	बुरुनकेल	सोनुआ	पश्चिम सिंहभूम	889.90

153	तुइगबीदा	सोनुआ	पश्चिम सिंहभूम	81.80
154	कन्सकेल	सोनुआ	पश्चिम सिंहभूम	305.08
155	किचिदा	सोनुआ	पश्चिम सिंहभूम	323.61
156	राजगाँव	सोनुआ	पश्चिम सिंहभूम	179.13
157	मुदरी	सोनुआ	पश्चिम सिंहभूम	190.75
158	तिरकिरा	सोनुआ	पश्चिम सिंहभूम	123.59
159	बेरा (संरक्षित वन)	सोनुआ	पश्चिम सिंहभूम	6676.87
160	बेरा (संरक्षित वन)	गोइलकेरा	पश्चिम सिंहभूम	3587.07
161	गुलिकेरा	सोनुआ	पश्चिम सिंहभूम	131.65
162	हिन्दुग	गोइलकेरा	पश्चिम सिंहभूम	278.76
163	शयसोल	गोइलकेरा	पश्चिम सिंहभूम	268.77
164	रेरडा	गोइलकेरा	पश्चिम सिंहभूम	285.77
165	चितिर	गोइलकेरा	पश्चिम सिंहभूम	263.52
166	ओरेगा	गोइलकेरा	पश्चिम सिंहभूम	382.68
167	कमसाई	गोइलकेरा	पश्चिम सिंहभूम	173.42
168	सेरेंगडा	गोइलकेरा	पश्चिम सिंहभूम	540.19
169	केबरा	गोइलकेरा	पश्चिम सिंहभूम	204.08
170	होसे	गोइलकेरा	पश्चिम सिंहभूम	85.87
171	फॉरेस्ट	गोइलकेरा	पश्चिम सिंहभूम	2456.87
172	कतिनकेल	गोइलकेरा	पश्चिम सिंहभूम	323.34
173	सारुदा	गोइलकेरा	पश्चिम सिंहभूम	854.48
174	फॉरेस्ट	गोइलकेरा	पश्चिम सिंहभूम	786.03
175	लेडा (संरक्षित वन)	गोइलकेरा	पश्चिम सिंहभूम	5671.03
176	सौरीउली	गोइलकेरा	पश्चिम सिंहभूम	699.32
177	किरसुपकरेदा	गोइलकेरा	पश्चिम सिंहभूम	1340.96
178	सिमको	गोइलकेरा	पश्चिम सिंहभूम	179.89

179	बेरालुमिन	गोइलकेरा	पश्चिम सिंहभूम	1185.46
180	अम्बिया(संरक्षित वन)	गोइलकेरा	पश्चिम सिंहभूम	1425.59
181	बेरदिया	गोइलकेरा	पश्चिम सिंहभूम	355.54
182	बाधी	गोइलकेरा	पश्चिम सिंहभूम	413.67
183	अमराइ	गोइलकेरा	पश्चिम सिंहभूम	549.56
184	मोहनसाई	गोइलकेरा	पश्चिम सिंहभूम	396.77
185	अम्बिया	गोइलकेरा	पश्चिम सिंहभूम	34.37
186	गोटाम्बा	गोइलकेरा	पश्चिम सिंहभूम	204.12
187	पाताहातु	गोइलकेरा	पश्चिम सिंहभूम	12.95
188	कदमडीहा	गोइलकेरा	पश्चिम सिंहभूम	328.17
189	छोटाकुरिया	गोइलकेरा	पश्चिम सिंहभूम	197.08
190	पतुग	गोइलकेरा	पश्चिम सिंहभूम	32.69
191	फॉरेस्ट	मनोहरपुर	पश्चिम सिंहभूम	8055.10
192	रोवम	मनोहरपुर	पश्चिम सिंहभूम	38.22
193	बाधी	मनोहरपुर	पश्चिम सिंहभूम	2.90
194	दूइया	मनोहरपुर	पश्चिम सिंहभूम	166.12
195	घुरगी	मनोहरपुर	पश्चिम सिंहभूम	58.81
196	लेनरा	मनोहरपुर	पश्चिम सिंहभूम	359.61
197	कूम्बिया	मनोहरपुर	पश्चिम सिंहभूम	107.95
198	जामकुडिया	मनोहरपुर	पश्चिम सिंहभूम	221.32
199	अंकुआ (आरक्षित वन)	मनोहरपुर	पश्चिम सिंहभूम	1629.64
200	जामकुण्डीया	मनोहरपुर	पश्चिम सिंहभूम	736.14
201	राजाबेड़ा	मनोहरपुर	पश्चिम सिंहभूम	282.04
202	जोजोगुटु	मनोहरपुर	पश्चिम सिंहभूम	218.63
203	दुबिल	मनोहरपुर	पश्चिम सिंहभूम	753.63
204	छोटानगरा	मनोहरपुर	पश्चिम सिंहभूम	1122.98

205	राजुवा	मनोहरपुर	पश्चिम सिंहभूम	92.54
206	फॉरेस्ट	मनोहरपुर	पश्चिम सिंहभूम	581.38
207	सोनापी	मनोहरपुर	पश्चिम सिंहभूम	223.63
208	कुदुलीबाद(आरक्षित वन)	मनोहरपुर	पश्चिम सिंहभूम	5830.68
209	दिकु पोंगा	मनोहरपुर	पश्चिम सिंहभूम	34.64
210	उसुरीया	मनोहरपुर	पश्चिम सिंहभूम	543.99
211	समता(आरक्षित वन)	मनोहरपुर	पश्चिम सिंहभूम	930.22
212	कुलाईबुरु	मनोहरपुर	पश्चिम सिंहभूम	365.48
213	कुद्रिपा	मनोहरपुर	पश्चिम सिंहभूम	594.80
214	–	मनोहरपुर	पश्चिम सिंहभूम	249.09
			कुल क्षेत्र (एकड में)	187733.31

प्रस्तावित सिरसी-पालकोट-सारंडा वाइल्ड लाइफ कोरीडोर के अंतर्गत आने वाले वन :-

प्रस्तावित सिरसी–पालकोट–सारंडा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाले वन

क्रम सं	जिला	प्रखंड	ग्राम	थाना का नाम	वन का प्रकार
1	पश्चिम सिंहभूम	सारंडा	छोटानागरा	मनोहरपुर	संरक्षित वन
2	पश्चिम सिंहभूम	सारंडा	कशियापेचा	मनोहरपुर	आरक्षित वन
3	पश्चिम सिंहभूम	सारंडा	थोलकोबाद	मनोहरपुर	आरक्षित वन
4	पश्चिम सिंहभूम	सारंडा	दुबिल	मनोहरपुर	आरक्षित वन
5	पश्चिम सिंहभूम	सारंडा	घातकुई	मनोहरपुर	संरक्षित वन
6	पश्चिम सिंहभूम	सारंडा	जाम कुडिया	मनोहरपुर	संरक्षित वन
7	पश्चिम सिंहभूम	सारंडा	जोजोगुटू	मनोहरपुर	संरक्षित वन
8	पश्चिम सिंहभूम	सारंडा	लेमरा	मनोहरपुर	संरक्षित वन
9	पश्चिम सिंहभूम	सारंडा	कुलैबुरु	मनोहरपुर	संरक्षित वन
10	पश्चिम सिंहभूम	सारंडा	संरक्षित वन	मनोहरपुर	संरक्षित वन
11	पश्चिम सिंहभूम	सारंडा	पगरी डीह	मनोहरपुर	संरक्षित वन
12	पश्चिम सिंहभूम	सारंडा	सोनापी	मनोहरपुर	संरक्षित वन
13	पश्चिम सिंहभूम	सारंडा	उसुरिया	मनोहरपुर	संरक्षित वन
14	पश्चिम सिंहभूम	मनोहरपुर	गोडेरा	मनोहरपुर	संरक्षित वन
15	पश्चिम सिंहभूम	मनोहरपुर	कोमाग	मनोहरपुर	संरक्षित वन
16	पश्चिम सिंहभूम	मनोहरपुर	पीलिगम्सदा	मनोहरपुर	संरक्षित वन
17	पश्चिम सिंहभूम	मनोहरपुर	तोरकोबकोचा	मनोहरपुर	संरक्षित वन
18	पश्चिम सिंहभूम	चक्रधरपुर	बुरुनकेल	चक्रधरपुर	संरक्षित वन
19	पश्चिम सिंहभूम	चक्रधरपुर	दैमेर	चक्रधरपुर	संरक्षित वन
20	पश्चिम सिंहभूम	चक्रधरपुर	सालकिग	चक्रधरपुर	संरक्षित वन
21	पश्चिम सिंहभूम	चक्रधरपुर	उसुनगिन	चक्रधरपुर	संरक्षित वन

22	पश्चिम सिंहभूम	कोल्हान	अगरोवान	कोल्हान	संरक्षित वन
23	पश्चिम सिंहभूम	कोल्हान	बुड्डू	कोल्हान	संरक्षित वन
24	पश्चिम सिंहभूम	कोल्हान	देरुवान	मनोहरपुर	संरक्षित वन
25	पश्चिम सिंहभूम	कोल्हान	गम्रिया	मनोहरपुर	संरक्षित वन
26	पश्चिम सिंहभूम	कोल्हान	कतकेरा	मनोहरपुर	संरक्षित वन
27	पश्चिम सिंहभूम	कोल्हान	खजुरिया	मनोहरपुर	संरक्षित वन
28	पश्चिम सिंहभूम	कोल्हान	लेबेगता	मनोहरपुर	संरक्षित वन
29	पश्चिम सिंहभूम	कोल्हान	पाटा	मनोहरपुर	संरक्षित वन
30	पश्चिम सिंहभूम	कोल्हान	पारल	मनोहरपुर	संरक्षित वन
31	पश्चिम सिंहभूम	कोल्हान	पातुग	मनोहरपुर	संरक्षित वन
32	पश्चिम सिंहभूम	कोल्हान	पांपकोडा	मनोहरपुर	संरक्षित वन
33	पश्चिम सिंहभूम	कोल्हान	रायबेरा	मनोहरपुर	संरक्षित वन
34	पश्चिम सिंहभूम	कोल्हान	रायरोना	मनोहरपुर	संरक्षित वन
35	सिमडेगा	सिमडेगा	अरानी	सिमडेगा	संरक्षित वन
36	सिमडेगा	सिमडेगा	बमालकेरा	सिमडेगा	संरक्षित वन
37	सिमडेगा	सिमडेगा	बन्दर चुंवा	कोलेबिरा	संरक्षित वन
38	सिमडेगा	सिमडेगा	बारेराघा	बानो	संरक्षित वन
39	सिमडेगा	सिमडेगा	बरकादोइन	बानो	संरक्षित वन
40	सिमडेगा	सिमडेगा	बन्दो चुवा	सिमडेगा	संरक्षित वन
41	सिमडेगा	सिमडेगा	भंवर चावा	कोलेबिरा	संरक्षित वन
42	सिमडेगा	सिमडेगा	बिन्तुका	बानो	संरक्षित वन
43	सिमडेगा	सिमडेगा	बीरू	सिमडेगा	संरक्षित वन
44	सिमडेगा	सिमडेगा	बोंगेरा	कोलेबिरा	संरक्षित वन
45	सिमडेगा	सिमडेगा	छोटका दोइन	बानो	संरक्षित वन
46	सिमडेगा	सिमडेगा	डेंगुरपानी	कोलेबिरा	संरक्षित वन
47	सिमडेगा	सिमडेगा	हाल्माहदाह	बानो	संरक्षित वन
48	सिमडेगा	सिमडेगा	हुतुम्दा	कोलेबिरा	संरक्षित वन

49	सिमडेगा	सिमडेगा	जामुरसुइया	बानो	संरक्षित वन
50	सिमडेगा	सिमडेगा	जबका कोना	सिमडेगा	संरक्षित वन
51	सिमडेगा	सिमडेगा	जोकबाहार	सिमडेगा	संरक्षित वन
52	सिमडेगा	सिमडेगा	जुना डीह	कोलेबिरा	संरक्षित वन
53	सिमडेगा	सिमडेगा	कौवादरहा	कोलेबिरा	संरक्षित वन
54	सिमडेगा	सिमडेगा	कोनाप	बानो	संरक्षित वन
55	सिमडेगा	सिमडेगा	कुदरुंग	बानो	संरक्षित वन
56	सिमडेगा	सिमडेगा	कुम्बाकेरा	कोलेबिरा	संरक्षित वन
57	सिमडेगा	सिमडेगा	कुरुग	सिमडेगा	संरक्षित वन
58	सिमडेगा	सिमडेगा	कुसानिया	कोलेबिरा	संरक्षित वन
59	सिमडेगा	सिमडेगा	लछनपुर	कोलेबिरा	संरक्षित वन
60	सिमडेगा	सिमडेगा	लामदेगा	कोलेबिरा	संरक्षित वन
61	सिमडेगा	सिमडेगा	लामगढ	बानो	संरक्षित वन
62	सिमडेगा	सिमडेगा	लोग्बोई	कोलेबिरा	संरक्षित वन
63	सिमडेगा	सिमडेगा	मचका	कोलेबिरा	संरक्षित वन
64	सिमडेगा	सिमडेगा	मैस्तोर	कोलबिरा	संरक्षित वन
65	सिमडेगा	सिमडेगा	मगसपुर	कोलेबिरा	संरक्षित वन
66	सिमडेगा	सिमडेगा	नवागाव	बानो	संरक्षित वन
67	सिमडेगा	सिमडेगा	पैतानो	कोलेबिरा	संरक्षित वन
68	सिमडेगा	सिमडेगा	पान्गुर	बानो	संरक्षित वन
69	सिमडेगा	सिमडेगा	परबा	कोलेबिरा	संरक्षित वन
70	सिमडेगा	सिमडेगा	फुलवरटांगर	सिमडेगा	संरक्षित वन
71	सिमडेगा	सिमडेगा	पोहपर	बानो	संरक्षित वन
72	सिमडेगा	सिमडेगा	राम्जारी	कोलेबिरा	संरक्षित वन
73	सिमडेगा	सिमडेगा	रोबगा	कोलेबिरा	संरक्षित वन
74	सिमडेगा	सिमडेगा	सरैपानी	कोलेबिरा	संरक्षित वन
75	सिमडेगा	सिमडेगा	सेलस्तोया	कोलेबिरा	संरक्षित वन

76	सिमडेगा	सिमडेगा	सेमरिया	कोलेबिरा	संरक्षित वन
77	सिमडेगा	सिमडेगा	सेरलोंगा	कोलेबिरा	संरक्षित वन
78	सिमडेगा	सिमडेगा	सिकरोम	बानो	संरक्षित वन
79	सिमडेगा	सिमडेगा	सिरिंगबेरा	सिमडेगा	संरक्षित वन
80	सिमडेगा	सिमडेगा	सोतासोया	बानो	संरक्षित वन
81	सिमडेगा	सिमडेगा	सुखाझारिया	सिमडेगा	संरक्षित वन
82	सिमडेगा	सिमडेगा	ताती	कोलेबिरा	संरक्षित वन
83	सिमडेगा	सिमडेगा	टिकरा	कोलेबिरा	संरक्षित वन
84	सिमडेगा	सिमडेगा	तितिलंग	बानो	संरक्षित वन
85	सिमडेगा	सिमडेगा	उरमू	बानो	संरक्षित वन
86	सिमडेगा	सिमडेगा	उरते	कोलेबिरा	संरक्षित वन
87	सिमडेगा	सिमडेगा	तुरुपु	बानो	संरक्षित वन
88	पलामू व्याघ्र परियोजना बफर	महुआडांड	सिरसी	महुआडांड	संरक्षित वन
89	खूंटी	रनिया	बेलकी दुरा	तोरपा	संरक्षित वन
90	खूंटी	रनिया	चालिदा	तोरपा	संरक्षित वन
91	खूंटी	रनिया	खटखुरा	तोरपा	संरक्षित वन
92	गुमला	–	बांस डीह	रायडीह	आरक्षित वन
93	गुमला	–	बोक्टा	रायडीह	संरक्षित वन
94	गुमला	–	भाटगाँव	–	संरक्षित वन
95	गुमला	–	जामगई	रायडीह	संरक्षित वन
96	गुमला	–	केरागनी	चैनपुर	संरक्षित वन
97	गुमला	–	कोल्डा	चैनपुर	संरक्षित वन
98	गुमला	–	कोटाम	चैनपुर	आरक्षित वन
99	गुमला	–	कोचागनी	चैनपुर	आरक्षित वन
100	गुमला	–	कुकुरुन्जिया	चैनपुर	आरक्षित वन
101	गुमला	–	कुलमुन्दा	रायडीह	संरक्षित वन

102	गुमला	–	कुतुवा	चैनपुर	आरक्षित वन
103	गुमला	–	लोकी	राइडीह	संरक्षित वन
104	गुमला	–	मरदा	राइडीह	संरक्षित वन
105	गुमला	–	मारवा	चैनपुर	आरक्षित वन
106	गुमला	–	नवागढ़	रायडीह	संरक्षित वन
107	गुमला	–	पीथो	रायडीह	संरक्षित वन
108	गुमला	–	सक्सारी	चैनपुर	संरक्षित वन
109	गुमला	–	सिकोई	रायडीह	संरक्षित वन
110	गुमला	–	सिमरटोली	रायडीह	संरक्षित वन
111	गुमला	–	सोक्रहातू	चैनपुर	आरक्षित वन
112	गुमला	–	तेल गाँव		आरक्षित वन
113	गुमला	–	तेतरडीह	रायडीह	संरक्षित वन
114	गुमला	–	तुरीडीह	रायडीह	संरक्षित वन

प्रस्तावित दूसरा कुमण्डीह-पतकी-लावालोंग वाइल्ड लाइफ कोरिडोर

(क) लावालोंग–तुतिलावा हजारीबाग वन्य–जीव अभ्यारण्य
(ख) लावालोंग–गौतम बुद्धा वन्य–जीव अभ्यारण्य
(ग) लावालोंग–मनातू–पाटन–कैमूर (बिहार)

प्रस्तावित वाइल्ड लाइफ कोरिडोर के अंतर्गत आनेवाले ग्राम-कुमण्डीह-पतकी-लावालोंग

क्रं० सं०	ग्राम	तालुका	जिला	क्षेत्र (एकड़ में)
1	कुमण्डीह (संरक्षित वन)	मनिका	लातेहार	832.66
2	लावागड़ा	मनिका	लातेहार	187.61
3	बाड़कडीह	बालूनाथ	लातेहार	2261.54
4	देवबार (संरक्षित वन)	मनिका	लातेहार	426.62
5	देवबार (संरक्षित वन)	मनिका	लातेहार	988.04
6	देवबार	मनिका	लातेहार	1255.05
7	बेन्दी	लातेहार	लातेहार	73.87
8	पतकी	लातेहार	लातेहार	898.61
9	दुन्दू	मनिका	लातेहार	2557.07
10	सोतम	लातेहार	लातेहार	747.66
11	बिचलीदाग	मनिका	लातेहार	24.80
12	माईल	मनिका	लातेहार	514.80
13	सालगी	मनिका	लातेहार	126.72
14	मदनडीह	मनिका	लातेहार	396.89
15	माड़ाबार	लातेहार	लातेहार	2003.03
16	बारीडीह	बालूनाथ	लातेहार	125.88
17	जाराम	लातेहार	लातेहार	95.88
18	सुकरी	लातेहार	लातेहार	6.82
19	विशुनबाँध	मनिका	लातेहार	669.14
20	जलिना	मनिका	लातेहार	2.19
21	रेयद खुर्द	मनिका	लातेहार	718.04

22	मतनाग	मनिका	लातेहार	965.74
23	रेवद काला	मनिका	लातेहार	61.19
24	हेसीक लबर	लातेहार	लातेहार	621.40
25	कुचाल	मनिका	लातेहार	230.34
26	सिकीद	बालूमाथ	लातेहार	1191.80
27	लावागडा	बालूमाथ	लातेहार	689.67
28	सोहदाग	लातेहार	लातेहार	937.04
29	मडगॉव	बालूमाथ	लातेहार	1145.98
30	केरू	बालूमाथ	लातेहार	795.26
31	बन्दुआ	मनिका	लातेहार	896.89
32	जानी	बालूमाथ	लातेहार	236.61
33	वेईया	बालूमाथ	लातेहार	832.75
34	सरधाबर	बालूमाथ	लातेहार	420.18
35	मेराल	बालूमाथ	लातेहार	532.28
36	बिदीर	मनिका	लातेहार	870.30
37	चुक्कू	बालूमाथ	लातेहार	295.00
38	बसेता	सिमरीया	चतरा	36.24
39	धुर	बालूमाथ	लातेहार	610.19
40	युडी	बालूमाथ	लातेहार	384.99
41	कटाग	बालूमाथ	लातेहार	1368.96
42	हेरहेज	बालूमाथ	लातेहार	1993.55
43	बार्घी	बालूमाथ	लातेहार	769.36
44	ककरगढ	पाकी	पलामु	346.35
45	रीमी	सिमरीया	चतरा	524.20
46	मारी	बालूमाथ	लातेहार	212.76
47	पसागम	सिमरीया	चतरा	395.92
48	नोसोदाग	सिमरीया	चतरा	426.41
49	चारू	मनिका	लातेहार	595.08
50	रेचाग	सिमरीया	चतरा	522.63
51	कोटारी	सिमरीया		737.31
कुल क्षेत्र (एकड मे)				34559.32

प्रस्तावित वाइल्ड लाइफ कोरिडोर के अंतर्गत आने वाले वन क्षेत्र :- (क) लावालोंग-तुतिलावा-हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य

प्रस्तावित वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर–लावालोंग–तुतिलावा–हजारीबाग

क्र० सं०	जिला	मंडल क्षेत्र	प्रखण्ड	ग्राम	थाना	थाना सं०	वन प्र०
1	चतरा	चतरा(द.)	चतरा(द.)	धरगांव	सिमरिया	208	संरक्षित वन
2	चतरा	चतरा(द.)	चतरा(द.)	बेलगाडा	सिमरिया	135	संरक्षित वन
3	चतरा	चतरा(द.)	चतरा(द.)	चट्रम	सिमरिया	157	संरक्षित वन
4	चतरा	चतरा(द.)	चतरा(द.)	बेस	सिमरिया	206	संरक्षित वन
5	चतरा	चतरा(द)	चतरा(द.)	बोंगागढा	तडवा	10	संरक्षित वन
6	चतरा	चतरा(द.)	चतरा(द.)	चालकी	सिमरिया	131	संरक्षित वन
7	चतरा	चतरा(द.)	चतरा(द.)	इडला	सिमरिया	164	संरक्षित वन
8	चतरा	चतरा(द.)	चतरा(द.)	गोवा कला	सिमरिया	133	संरक्षित वन
9	चतरा	चतरा(द.)	चतरा(द.)	गोवा खुर्द	सिमरिया	132	संरक्षित वन
10	चतरा	चतरा(द.)	चतरा(द.)	गोवाई	सिमरिया	102	संरक्षित वन

11	चतरा	चतरा(द.)	चतरा(द.)	हाहे	सिमरिया	193	संरक्षित वन
12	चतरा	चतरा(द.)	चतरा(द.)	हेसातु	टंडवा	13	संरक्षित वन
13	चतरा	चतरा(द.)	चतरा(द.)	हुरनाली	सिमरिया	190	संरक्षित वन
14	चतरा	चतरा(द.)	चतरा(द.)	अंगरा	सिमरिया	73	संरक्षित वन
15	चतरा	चतरा(द.)	चतरा(द.)	इचाहार	सिमरिया	89	संरक्षित वन
16	चतरा	चतरा(द.)	चतरा(द.)	इचाक कला	सिमरिया	134	संरक्षित वन
17	चतरा	चतरा(द.)	चतरा(द.)	अमिनिया	सिमरिया	125	संरक्षित वन
18	चतरा	चतरा(द.)	चतरा(द.)	इचाक खुर्द	सिमरिया	159	संरक्षित वन
19	चतरा	चतरा(द.)	चतरा(द.)	अमगवान	सिमरिया	166	संरक्षित वन
20	चतरा	चतरा(द.)	चतरा(द.)	जरही	सिमरिया	127	संरक्षित वन
21	चतरा	चतरा(द.)	चतरा(द.)	बंजी	सिमरिया	200	संरक्षित वन
22	चतरा	चतरा(द.)	चतरा(द.)	बनही	सिमरिया	156	संरक्षित वन
23.	चतरा	चतरा(द.)	चतरा(द.)	जिरौन	सिमरिया	124	संरक्षित वन
24	चतरा	चतरा(द.)	चतरा(द.)	बना सदी	सिमरिया	155	संरक्षित वन
25	चतरा	चतरा(द.)	चतरा(द.)	जोजबारी	सिमरिया	90	संरक्षित वन
26	चतरा	चतरा(द.)	चतरा(द.)	जोरी	सिमरिया	178	संरक्षित वन

27	चतरा	चतरा(द.)	चतरा(द.)	बक्सी	सिमरिया	118	संरक्षित वन
28	चतरा	चतरा(द.)	चतरा(द.)	काडले	सिमरिया	162	संरक्षित वन
29	चतरा	चतरा(द.)	चतरा(द.)	क्लाजिरम / लुटिडीह	सिमरिया	115	संरक्षित वन
30	चतरा	चतरा(द.)	चतरा(द.)	कोरी	सिमरिया	130	संरक्षित वन
31	चतरा	चतरा(द.)	चतरा(द.)	कुटान	सिमरिया	116	संरक्षित वन
32	चतरा	चतरा(द.)	चतरा(द.)	लतमा	सिमरिया	119	संरक्षित वन
33	चतरा	चतरा(द.)	चतरा(द.)	लिपछा	सिमरिया	154	संरक्षित वन
34	चतरा	चतरा(द.)	चतरा(द.)	लोसोदा	सिमरिया	191	संरक्षित वन
35	चतरा	चतरा(द.)	चतरा(द.)	मारहा	सिमरिया	189	संरक्षित वन
36	चतरा	चतरा(द.)	चतरा(द.)	मसुरिद	सिमरिया	126	संरक्षित वन
37	चतरा	चतरा(द.)	चतरा(द.)	मेराल	सिमरिया	203	संरक्षित वन
38	चतरा	चतरा(द.)	चतरा(द.)	मेरामगढ़ा	सिमरिया	183	संरक्षित वन
39	चतरा	चतरा(द.)	चतरा(द.)	दराहा	सिमरिया	86	संरक्षित वन
40	चतरा	चतरा(द.)	चतरा(द.)	ओरी	सिमरिया	101	संरक्षित वन
41	चतरा	चतरा(द.)	चतरा(द.)	पीरी	सिमरिया	199	संरक्षित वन
42	चतरा	चतरा(द.)	चतरा(द.)	पुन्दा	सिमरिया	380	संरक्षित वन

43	चतरा	चतरा(द.)	चतरा(द.)	रोल	सिमरिया	161	संरक्षित वन
44	चतरा	चतरा(द.)	चतरा(द.)	रुतुरया	सिमरिया	177	संरक्षित वन
45	चतरा	चतरा(द.)	चतरा(द.)	सिकरी	सिमरिया	163	संरक्षित वन
46	चतरा	चतरा(द.)	चतरा(द.)	सिवरिया	सिमरिया	160	संरक्षित वन
47	चतरा	चतरा(द.)	चतरा(द.)	सोस	सिमरिया	202	संरक्षित वन
48	चतरा	चतरा(द.)	चतरा(द.)	तातेज	सिमरिया	268	संरक्षित वन
49	चतरा	चतरा(द.)	चतरा(द.)	तिबाव	सिमरिया	205	संरक्षित वन
50	चतरा	चतरा(द.)	चतरा(द.)	तुतिलावा	सिमरिया	167	संरक्षित वन
51	चतरा	चतरा(द.)	चतरा(द.)	तुतकी	सिमरिया	192	संरक्षित वन
52	चतरा	चतरा(द.)	चतरा(द.)	चन्दाडीह	सिमरिया	87	संरक्षित वन
53	हजारीबाग	हजारीबाग(पू.)	हजारीबाग(पू.)	जरीया	गोमिया	2	संरक्षित वन
54	हजारीबाग	हजारीबाग(पू.)	हजारीबाग(पू.)	बरहामोरिया	बगोदर	150	संरक्षित वन
55	हजारीबाग	हजारीबाग(पू.)	हजारीबाग(पू.)	बेरम	मधु	90	संरक्षित वन
56	हजारीबाग	हजारीबाग(पू.)	हजारीबाग(पू.)	बेरम	बगोदर	149	संरक्षित वन
57	हजारीबाग	हजारीबाग(पू.)	हजारीबाग(पू.)	भेलवारा	बगोदर	185	संरक्षित वन

58	हजारीबाग	हजारीबाग(पू.)	हजारीबाग(पू.)	भानारेरी	बगोदर	142	संरक्षित वन
59	हजारीबाग	हजारीबाग(पू.)	हजारीबाग(पू.)	बिसाई	मधु	183	संरक्षित वन
60	हजारीबाग	हजारीबाग(पू.)	हजारीबाग(पू.)	चलकारी खुर्द	बगोदर	137	संरक्षित वन
61	हजारीबाग	हजारीबाग(पू.)	हजारीबाग(पू.)	चिचाकी	बगोदर	153	संरक्षित वन
62	हजारीबाग	हजारीबाग(पू.)	हजारीबाग(पू.)	चित्रामो	बगोदर	186	संरक्षित वन
63	हजारीबाग	हजारीबाग(पू.)	हजारीबाग(पू.)	बरमपुर	बगोदर	154	संरक्षित वन
64	हजारीबाग	हजारीबाग(पू.)	हजारीबाग(पू.)	गनराबरा	बगोदर	141	संरक्षित वन
65	हजारीबाग	हजारीबाग(पू.)	हजारीबाग(पू.)	गोलगो	बगोदर	144	संरक्षित वन
66	हजारीबाग	हजारीबाग(पू.)	हजारीबाग(पू.)	भुताही मुरगांव	बगोदर	200	संरक्षित वन
67	हजारीबाग	हजारीबाग(पू.)	हजारीबाग(पू.)	जरुवाडीह	बगोदर	152	संरक्षित वन
68	हजारीबाग	हजारीबाग(पू.)	हजारीबाग(पू.)	बनही	बगोदर	166	संरक्षित वन
69	हजारीबाग	हजारीबाग(पू.)	हजारीबाग(पू.)	जुल्मी	मधु	92	संरक्षित वन
70	हजारीबाग	हजारीबाग(पू.)	हजारीबाग(पू.)	केसोडीह	बगोदर	145	संरक्षित वन
71	हजारीबाग	हजारीबाग(पू.)	हजारीबाग(पू.)	खरना	बगोदर	143	संरक्षित वन
72	हजारीबाग	हजारीबाग(पू.)	हजारीबाग(पू.)	कोल्हू	बगोदर	147	संरक्षित वन

73	हजारीबाग	हजारीबाग(पू.)	हजारीबाग(पू.)	मायापुर	बगोदर	151	संरक्षित वन
74	हजारीबाग	हजारीबाग(पू.)	हजारीबाग(पू.)	मुरको	मधु	182	संरक्षित वन
75	हजारीबाग	हजारीबाग(पू.)	हजारीबाग(पू.)	नवाडीह	बगोदर	201	संरक्षित वन
76	हजारीबाग	हजारीबाग(पू.)	हजारीबाग(पू.)	पलमो	बगोदर	91	संरक्षित वन
77	हजारीबाग	हजारीबाग(पू.)	हजारीबाग(पू.)	पनिमको	बगोदर	155	संरक्षित वन
78	हजारीबाग	हजारीबाग(पू.)	हजारीबाग(पू.)	उरगी	बगोदर	204	संरक्षित वन
79	हजारीबाग	हजारीबाग(पू.)	हजारीबाग(पू.)	सिजू	बगोदर	146	संरक्षित वन
80	हजारीबाग	हजारीबाग(प.)	चतरा(द.)	लोहरा	टंडवा	14	संरक्षित वन
81	हजारीबाग	हजारीबाग(प.)	हजारीबाग(प.)	अमनारी	बगोदर	102	संरक्षित वन
82	हजारीबाग	हजारीबाग(प.)	हजारीबाग(प.)	बरमाका	इचाक	103	संरक्षित वन
83	हजारीबाग	हजारीबाग(प.)	हजारीबाग(प.)	चेंगरा	इचाक	95	संरक्षित वन
84	हजारीबाग	हजारीबाग(प.)	हजारीबाग(प.)	दरहा	इचाक	91	संरक्षित वन
85	हजारीबाग	हजारीबाग(प.)	हजारीबाग(प.)	धोबरी	बरकथा	116	संरक्षित वन
86	हजारीबाग	हजारीबाग(प.)	हजारीबाग(प.)	दिघिबस्ती	इचाक	92	संरक्षित वन
87	हजारीबाग	हजारीबाग(प.)	हजारीबाग(प.)	डूमरडीहा	बरकथा	118	संरक्षित वन

88	हजारीबाग	हजारीबाग(प.)	हजारीबाग(प.)	गोरहर	बरकथा	123	संरक्षित वन
89	हजारीबाग	हजारीबाग(प.)	हजारीबाग(प.)	जवारपहाडपुर	बरकथा	122	संरक्षित वन
90	हजारीबाग	हजारीबाग(प.)	हजारीबाग(प.)	बलिया	इचाक	108	संरक्षित वन
91	हजारीबाग	हजारीबाग(प.)	हजारीबाग(प.)	बकचोमा	बड़कागांव	1	संरक्षित वन
92	हजारीबाग	हजारीबाग(प.)	हजारीबाग(प.)	बबहानी	इचाक	94	संरक्षित वन
93	हजारीबाग	हजारीबाग(प.)	हजारीबाग(प.)	करिमतन	बरकथा	117	संरक्षित वन
94	हजारीबाग	हजारीबाग(प.)	हजारीबाग(प.)	कर्मा	इचाक	97	संरक्षित वन
95	हजारीबाग	हजारीबाग(प.)	हजारीबाग(प.)	करमाटांड	इचाक	85	संरक्षित वन
96	हजारीबाग	हजारीबाग(प.)	हजारीबाग(प.)	खैरा	इचाक	100	संरक्षित वन
97	हजारीबाग	हजारीबाग(प.)	हजारीबाग(प.)	खरियो	बरकथा	91	संरक्षित वन
98	हजारीबाग	हजारीबाग(प.)	हजारीबाग(प.)	नारायणपुर	इचाक	103	संरक्षित वन
99	हजारीबाग	हजारीबाग(प.)	हजारीबाग(प.)	सिमरढाब	इचाक	101	संरक्षित वन
100	हजारीबाग	हजारीबाग(प.)	हजारीबाग(प.)	तुरुकडीहा	बरकथा	120	संरक्षित वन
101	हजारीबाग	हजारीबाग(प.)	हजारीबाग(प.)	उजरहीदीघी	इचाक	93	संरक्षित वन
102	हजारीबाग	हजारीबाग(प.)	हजारीबाग(प.)	उपारालिडोबी	बरकथा	85	संरक्षित वन

प्रस्तावित वाइल्ड लाइफ कोरीडोर - लावालोंग-तुतीलावा-हजारीबाघ वन्य जीव अभ्यारण्य

(क) लावालोंग–तुतिलावा हजारीबाग वन्य–जीव अभ्यारण्य
(ख) लावालोंग–गौतम बुद्धा वन्य–जीव अभ्यारण्य
(ग) लावालोंग–मनातू–पाटन–कैमूर (बिहार)

लावालोंग-तुतीलावा-हजारीबाघ वन्य जीव अभ्यारण्य

क्र० सं०	ग्राम	तालुका	जिला	क्षेत्र (एकड़ में)
1	पोताम	सिमरिया	चतरा	1486.62
2	ओरी	सिमरिया	चतरा	20.39
3	जोज्बरी	सिमरिया	चतरा	226.99
4	इचा आहार	सिमरिया	चतरा	1329.82
5	गोथाई	सिमरिया	चतरा	468.9
6	चंदाडीह	सिमरिया	चतरा	39.84
7	दरहा	सिमरिया	चतरा	22.54
8	ततेज	सिमरिया	चतरा	275.43
9	कल्जिरुआ / लुटी डीह	सिमरिया	चतरा	608.45
10	कुथान	सिमरिया	चतरा	634.86
11	लामता	सिमरिया	चतरा	0.20
12	बक्सी	सिमरिया	चतरा	453.82
13	बेलगारा	सिमरिया	चतरा	1050.87
14	जीराव	सिमरिया	चतरा	294.06
15	अमिनिया	सिमरिया	चतरा	109.03
16	नसुरिया	सिमरिया	चतरा	355.66
17	इचाक कला	सिमरिया	चतरा	561.66
18	जरही	सिमरिया	चतरा	1022.84
19	गोवा कला	सिमरिया	चतरा	296.22

20	गोवा खुर्द	सिमरिया	चतरा	255.76
21	चलकी	सिमरिया	चतरा	264.07
22	बान्हे	सिमरिया	चतरा	2305.25
23	कोरी	सिमरिया	चतरा	43.62
24	चन्द्रम	सिमरिया	चतरा	7.85
25	लोध्या	सिमरिया	चतरा	252.26
26	बनासांडी	सिमरिया	चतरा	574.35
27	लिप्दा	सिमरिया	चतरा	624.50
28	इचाक खुर्द	सिमरिया	चतरा	418.98
29	रोल	सिमरिया	चतरा	841.60
30	सिउरिया	सिमरिया	चतरा	252.31
31	एडला	सिमरिया	चतरा	2105.66
32	सिकरी	सिमरिया	चतरा	10.24
33	कडली	सिमरिया	चतरा	629.63
34	पुन्द्रा	सिमरिया	चतरा	129.29
35	तुतिलावा	सिमरिया	चतरा	1945.99
36	अम्गावान	सिमरिया	चतरा	673.85
37	.	सिमरिया	चतरा	81.21
38	.	सिमरिया	चतरा	1259.55
39	.	सिमरिया	चतरा	1.24
40	.	सिमरिया	चतरा	1202.64
41	मढ़ा	सिमरिया	चतरा	794.22
42	बक्चोमा	सिमरिया	चतरा	584.79
43	हुरनाली	सिमरिया	चतरा	1771.83
44	लोसोदाग	सिमरिया	चतरा	55.69
45	तुल्की	सिमरिया	चतरा	523.55
46	हाहे	सिमरिया	चतरा	444.05
47	पीरी	सिमरिया	चतरा	3394.78

48	मेरामगड़ा	सिमरिया	चतरा	36.13
49	बंजी	सिमरिया	चतरा	1637.31
50	सोस	सिमरिया	चतरा	1683.05
51	मेराल	सिमरिया	चतरा	95.90
52	अंगरा	सिमरिया	चतरा	1320.46
53	तिवाड़	सिमरिया	चतरा	1492.26
54	जोरी	सिमरिया	चतरा	569.46
55	बरगांव	सिमरिया	चतरा	999.74
56	रातुरया	सिमरिया	चतरा	514.19
57	पुन्दबोरू	कटकमसांडी	हजारीबाग	194.55
58	जोलहा डीहा	कटकमसांडी	हजारीबाग	21.49
59	बोरोगरा	कटकमसांडी	हजारीबाग	0.00
60	लखनु	कटकमसांडी	हजारीबाग	612.53
61	हत्कौना	कटकमसांडी	हजारीबाग	1067.22
62	हरहद	कटकमसांडी	हजारीबाग	1061.07
63	गोरी	कटकमसांडी	हजारीबाग	241.02
64	पिचरी	कटकमसांडी	हजारीबाग	70.50
65	डांड	कटकमसांडी	हजारीबाग	895.04
66	नचले	कटकमसांडी	हजारीबाग	418.89
67	सकरजा	कटकमसांडी	हजारीबाग	199.13
68	गुरु डीह	कटकमसांडी	हजारीबाग	1440.30
69	रहिया	इचाक	हजारीबाग	760.01
70	दांतों खुर्द	कटकमसांडी	हजारीबाग	184.24
71	राइबार	कटकमसांडी	हजारीबाग	491.62
72	बगही	इचाक	हजारीबाग	1107.12
73	होरेया	कटकमसांडी	हजारीबाग	556.53
74	दोनाई कला	बरही	हजारीबाग	96.94
75	चम्पानगर नावाडीह	इचाक	हजारीबाग	1122.79

76	कैले	इचाक	हजारीबाग	1322.53
77	तिलरा	इचाक	हजारीबाग	128.11
78	नाथवा	इचाक	हजारीबाग	552.11
79	जिहू	इचाक	हजारीबाग	279.57
80	पोखरिया	इचाक	हजारीबाग	1701.77
81	फुलदाहा	इचाक	हजारीबाग	10.82
82	दांगी	इचाक	हजारीबाग	653.29
83	सिझुवा	इचाक	हजारीबाग	692.47
84	पंडरा	इचाक	हजारीबाग	2.16
85	परासी राजघाट	इचाक	हजारीबाग	2558.66
86	लोटवा	इचाक	हजारीबाग	318.58
87	हदारी	इचाक	हजारीबाग	30.49
88	बड़का कला	इचाक	हजारीबाग	445.06
89	बुंडू	इचाक	हजारीबाग	247.95
90	तुरी	इचाक	हजारीबाग	1466.27
91	डारीघाघर	इचाक	हजारीबाग	287.57
92	गरडीह	इचाक	हजारीबाग	458.29
93	सील कला	इचाक	हजारीबाग	1087.36
94	सील खुर्द	इचाक	हजारीबाग	154.40
95	मनाई	इचाक	हजारीबाग	102.06
96	कालादयार	इचाक	हजारीबाग	546.91
97	पुरनपनिया	इचाक	हजारीबाग	443.57
98	सिमरातरी	इचाक	हजारीबाग	844.65
99	फुफुन्दी	इचाक	हजारीबाग	581.52
100	मरपा	इचाक	हजारीबाग	68.16
101	डाढा	इचाक	हजारीबाग	178.39
102		इचाक	हजारीबाग	15.36
103	करमटांड़	इचाक	हजारीबाग	1595.68

104	दिघीबस्ती	इचाक	हजारीबाग	218.17
105	बभनी	इचाक	हजारीबाग	1163.22
106	उजराही दिघी	इचाक	हजारीबाग	265.82
107	चैंगड़ा	इचाक	हजारीबाग	1669.34
108	करमा	इचाक	हजारीबाग	2.62
109	.	बरकाठा	हजारीबाग	190.01
110	.	बरकाठा	हजारीबाग	12.13
111	खैरा	इचाक	हजारीबाग	1492.44
112	.	बरकाठा	हजारीबाग	142.42
113	बेडमवका	इचाक	हजारीबाग	76.30
114	सिमराढाद /पुटो	इथाक	हजारीबाग	2171.25
115	चिरुवान	बिशुन गढ	हजारीबाग	1.90
116	नारायणपुर	इचाक	हजारीबाग	5.32
117	अमनोरी	इचाक	हजारीबाग	2.81
118	.	बरकाठा	हजारीबाग	202.43
119	.	बरकाठा	हजारीबाग	208.84
120	.	बरकाठा	हजारीबाग	98.11
121	.	बरकाठा	हजारीबाग	141.57
122	पनिमको	बिशुनगढ़	हजारीबाग	2001.54
123	.	बरकाठा	हजारीबाग	1083.58
124	धरमपुर	बिशुनगढ	हजारीबाग	485.96
125	मारपा	बिशुनगढ़	हजारीबाग	8.37
126	चेचाकी	बिशुनगढ़	हजारीबाग	394.90
127	जरुआडीह	बिशुनगढ़	हजारीबाग	504.61
128	मायापुर	बिशुनगढ़	हजारीबाग	708.09
129	गराबरा	बिशुनगढ़	हजारीबाग	809.84
130	बरहमोरिया	बिशुनगढ	हजारीबाग	52.60
131	बेरम	बिशुनगढ़	हजारीबाग	1096.71

132	भुनरेरी	बिशुन गढ़	हजारीबाग	558.44
133	खरना	बिशुनगढ	हजारीबाग	1190.77
134	रामजीति	बिशुनगढ़	हजारीबाग	64.93
135	गोलगो	बिशुनगढ	हजारीबाग	613.06
136	कोल्हू	बिशुनगढ़	हजारीबाग	430.41
137	सिजू	बिशुनगढ़	हजारीबाग	25.36
138	केसोंडीह	बिशुनगढ	हजारीबाग	222.50
139	भेलवारा	बिशुनगढ़	हजारीबाग	3637.34
140	घुरचू	बिशुनगढ़	हजारीबाग	1.94
141	बरहे	बिशुनगढ	हजारीबाग	338.82
142	नवाडीह	बिशुनगढ़	हजारीबाग	41.81
143	भुलाही मुरगांव	बिशुनगढ़	हजारीबाग	35.74
144	चित्रमु	बिशुनगढ	हजारीबाग	630.38
145	बलिया	गोमिया	हजारीबाग	34.18
146	पालगो	घुरचु	हजारीबाग	1296.93
147	बगही	गोमिया	हजारीबाग	0.59
148	जुल्गी	घुरचु	हजारीबाग	398.34
149	बेराम	घुरचु	हजारीबाग	288.84
150	मुरको	बिशुनगढ़	हजारीबाग	54.27
151	बिसाई	बिशुनगढ	हजारीबाग	34.67
			कुल	91680.81

(ख) प्रस्तावित लवालोंग-गौतम बुद्धा वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ कोरिडोर के अंतर्गत आनेवाले गाँव के नाम

क्रं० सं०	ग्राम	तालुका	जिला	क्षेत्र (एकड़ में)
1	दरू	प्रतापपुर	चतरा	4.56
2	बन्दीयाडीह	प्रतापपुर	चतरा	1111.10
3	रतनाग	प्रतापपुर	चतरा	203.50
4	लुटू	चतरा	चतरा	196.73
5	कोरहंस	प्रतापपुर	चतरा	601.46
6	खुटेर	चतरा	चतरा	10.62
7	डोकवा	परतापुर	चतरा	120.41
8	बेलगरा	प्रतापपुर	चतरा	2541.21
9	लरकुआ	चतरा	चतरा	139.79
10	जलेद	चतरा	चतरा	795.8
11	चिलोई	प्रतापपुर	चतरा	126.09
12	चेतमा	चतरा	चतरा	538.36
13	दुधौरी	चतरा	चतरा	73.98
14	रधरी	चतरा	चतरा	2072.08
15	सिकिद	चतरा	चतरा	581.68
16	दरहा	चतरा	चतरा	553.27
17	सेहदा	चतरा	चतरा	133.59
18	गमहरतरी	चतरा	चतरा	1500.40
19	बरियो	चतरा	चतरा	1328.52
20	पोस्टिया	हंटर गंज	चतरा	93.82
21	नरेनतरी	हंटर गंज	चतरा	85.10
22	घोबे	हंटर गंज	चतरा	121.63

23	राजगुरु	हंटर गंज	चतरा	1095.28
24	कारी	हंटर गंज	चतरा	871.07
25	कुरखेता	हंटर गंज	चतरा	1623.49
26	पहरुवर	हंटर गंज	चतरा	386.32
27	अम्बर	हंटर गंज	चतरा	274.82
28	सलोट	हंटर गंज	चतरा	67.93
29	जलदिहा	हंटर गंज	चतरा	2345.45
30	पंदरकोला	हंटर गंज	चतरा	415.23
31	कैरीमोह	हंटर गंज	चतरा	452.94
32	गुए	हंटर गंज	चतरा	1256.93
33	हेमरालुता	चतरा	चतरा	627.98
34	डुमरिया	चतरा	चतरा	10.17
35	बीरलुतुदाग	चतरा	चतरा	1785.19
36	कोताप	चतरा	चतरा	258.33
37	सिकिद	चतरा	चतरा	348.60
38	अमकुदर	चतरा	चतरा	2382.52
39	गरिया	चतरा	चतरा	1011.14
40	बेंगोकला	चतरा	चतरा	125.33
41	बेंगो खुर्द	चतरा	चतरा	77.58
42	कुराग	चतरा	चतरा	1000.68
43	बाघी	चतरा	चतरा	752.60
44	लुतुदाग	चतरा	चतरा	309.89
45	जसपुर	चतरा	चतरा	766.50
46	सरैया	चतरा	चतरा	10.65
47	मदरपुर	चतरा	चतरा	268.99
48	तुलबुल	चतरा	चतरा	96.52

49	बम्हना	चतरा	चतरा	0.99
50	अरमेदाग	चतरा	चतरा	84.16
51	मुरइना	चौपारण	हजारीबाग	2168.98
52	पत्थलगड्डा	चौपारण	हजारीबाग	795.72
53	बाघी	चौपारण	हजारीबाग	315.32
54	पंचमो	इटखोरी	चतरा	29.00
55	दुरागडा	चौपारण	हजारीबाग	1083.35
56	सिकदा	चौपारण	हजारीबाग	48.94
57	घोरिया	चौपारण	हजारीबाग	1656.71
58	बिघा	चौपारण	हजारीबाग	82.95
59	हाथीन्दर	चौपारण	हजारीबाग	231.52
60	मदान	चौपारण	हजारीबाग	955.94
61	कैरी पिपराही	चौपारण	हजारीबाग	404.59
62	कफर	चौपारण	हजारीबाग	586.77
63	जंगल बरजादास केंदुआ	चौपारण	हजारीबाग	10.89
64	जंगल चरणदास केंदुआ	चौपारण	हजारीबाग	342.10
65	अमरौल	चौपारण	हजारीबाग	156.63
66	मझौलिया	चौपारण	हजारीबाग	143.48
67	मुर्तिया कला	चौपारण	हजारीबाग	147.11
68	बरदगा	चौपारण	हजारीबाग	591.53
69	गेरुघाट	चौपारण	हजारीबाग	69.73
70	नेउरी	चौपारण	हजारीबाग	7.04
71	भदेल	चौपारण	हजारीबाग	321.95
72	अहरी	चौपारण	हजारीबाग	1257.65
73	मधगोपाली	चौपारण	हजारीबाग	246.26
74	बीघा	चौपारण	हजारीबाग	376.49

75	साझा	चौपारण	हजारीबाग	922.43
76	गरमोरवा	चौपारण	हजारीबाग	725.12
77	मैनुखार	चौपारण	हजारीबाग	260.21
78	पत्थलगरवा	चौपारण	हजारीबाग	781.75
79	कोथोडूमर	चौपारण	हजारीबाग	550.58
80	ताजपुर	चौपारण	हजारीबाग	9.87
81	बुकर	चौपारण	हजारीबाग	1242.81
82	असनाधुवां	चौपारण	हजारीबाग	626.62
83	खैराटांड	चौपारण	हजारीबाग	450.26
84	मैसाखर	चौपारण	हजारीबाग	592.95
85	घघरैत	चौपारण	हजारीबाग	455.19
86	जोगाडीह	चौपारण	हजारीबाग	1555.70
87	कालापहाड	चौपारण	हजारीबाग	1089.47
88	फुलवरिया	चौपारण	हजारीबाग	471.67
89	कॉटी	चौपारण	हजारीबाग	246.17
90	भितिया	चौपारण	हजारीबाग	1240.78
91	मरामातरी	चौपारण	हजारीबाग	525.03
92	घटोदाबर	चौपारण	हजारीबाग	38.31
93	सिंदूरी	चौपारण	हजारीबाग	198.98
94	छतरा	चौपारण	हजारीबाग	1344.20
95	महुवास	चौपारण	हजारीबाग	22.64
96	सरधवाटांड	चौपारण	हजारीबाग	0.38
97	बिरिंदा	चौपारण	हजारीबाग	93.62
98	बोगादाग	चौपारण	हजारीबाग	1904.98
99	महुआदोहर	चौपारण	हजारीबाग	7.94
100	खैराघोराही चतन	चौपारण	हजारीबाग	6.11

101	बेंदी	चौपारण	हजारीबाग	444.75
102	बिरगढ़ा	चौपारण	हजारीबाग	2458.17
103	घनाको	कोडरमा	कोडरमा	335.95
104	कोआबर	कोडरमा	कोडरमा	1378.01
105	बेलाटाड	कोडरमा	कोडरमा	59.04
106	मेघातरी	कोडरमा	कोडरमा	59.17
107	हथवाधारण	कोडरमा	कोडरमा	136.29
108	जरगा	कोडरमा	कोडरमा	1673.11
109	झरकी / टटगें	कोडरमा	कोडरमा	61.21
110	अम्बाकोला	कोडरमा	कोडरमा	1.47
111	दुधरपनिया	कोडरमा	कोडरमा	215.24
112	करमातरी	कोडरमा	कोडरमा	205.29
113	कोडरमा	कोडरमा	कोडरमा	665.54
114	सितवाजुनरोरमिन	कोडरमा	कोडरमा	11959.74
115	कुशहना	कोडरमा	कोडरमा	110.30
116	रेगानियाटांड़	कोडरमा	कोडरमा	114.78
117	समसिहरिया	कोडरमा	कोडरमा	107.12
118	जगल सरकार	कोडरमा	कोडरमा	21.76
119	घिलानिया / घईकेला	कोडरमा	कोडरमा	442.32
120	कोडरमा	कोडरमा	कोडरमा	4.55
121	जमुनियाटांड़	कोडरमा	कोडरमा	694.47
122	पसिया	कोडरमा	कोडरमा	10.10
123	चक	कोडरमा	कोडरमा	40.63
124	हरैया	कोडरमा	कोडरमा	222.06
125	गोलगो	कोडरमा	कोडरमा	306.57
126	नलवा	कोडरमा	कोडरमा	1203.89

127	तिलैयाटांड़	कोडरमा	कोडरमा	26.8
128	भखरुजोत	कोडरमा	कोडरमा	1730.08
129	जोड़ासीमर	कोडरमा	कोडरमा	215.34
130	घतरा	कोडरमा	कोडरमा	347.22
131	अम्बातरी	कोडरमा	कोडरमा	463.30
132	पूतो	कोडरमा	कोडरमा	118.34
133	पंडरिया	कोडरमा	कोडरमा	442.37
134	गरमुंदो	कोडरमा	कोडरमा	1088.70
135	अहराय	कोडरमा	कोडरमा	173.99
136	नायाडीह	कोडरमा	कोडरमा	492.99
137	कब्रबूट	कोडरमा	कोडरमा	781.03
138	मसनोडीह	कोडरमा	कोडरमा	142.99
139	करमीकुंड	कोडरमा	कोडरमा	1617.10
140	बंगाखवार / बंगाखालर	कोडरमा	कोडरमा	493.36
141	धरगांव	मरकचो	कोडरमा	351.83
142	बंदरचुकवा	मरकचो	कोडरमा	10.66
143	बाघी	मरकचो	कोडरमा	718.78
144	उदालो	मरकचो	कोडरमा	275.83
145	अरइया	मरकचो	कोडरमा	1068.17
146	कटियो	मरकचो	कोडरमा	14.14
147	टेपरा	मरकचो	कोडरमा	170.87
148	कुम्भ	मरकचो	कोडरमा	40.04
149	लहाबार	मरकचो	कोडरमा	415.09
150	पतुनिया	मरकचो	कोडरमा	270.42
151	बेको	मरकचो	कोडरमा	272.23
152	नवडीहा	मरकचो	कोडरमा	55.18

153	बनुसुरहा	मरकचो	कोडरमा	837.53
154	दगरनावा	मरकचो	कोडरमा	530.3
155	बाची	धनवार	गिरिडीह	263.96
156	कुंदा	धनवार	गिरिडीह	332.27
157	करिपहाड़ी	गावां	गिरिडीह	1.67
158	जामदर	गावां	गिरिडीह	927.50
159	अमझर	गावां	गिरिडीह	158.49
160	जमुआ	गावां	गिरिडीह	309.72
161	दरहो	गावां	गिरिडीह	460.52
162	तेरवाटाड़	तिसरी	गिरिडीह	177.93
163	कैली पहाड़ी	धनवार	गिरिडीह	6.40
164	हार्दिया	धनवार	गिरिडीह	198.37
165	चंडली / जमुआ	तिसरी	गिरिडीह	806.50
166	चदगो	तिसरी	गिरिडीह	282.67
167	उपरेली कन्हाई	तिसरी	गिरिडीह	700.93
168	महेशमारवा	धनवार	गिरिडीह	72.44
169	अरवारिया	धनवार	गिरिडीह	246.92
170	हेथलि कन्हाई	तिसरी	गिरिडीह	749.67
171	करोपतारो	तिसरी	गिरिडीह	161.92
172	मह्खर	तिसरी	गिरिडीह	401.08
173	धन्सोटी	तिसरी	गिरिडीह	748.31
174	हथियागढ	तिसरी	गिरिडीह	155.29
175	तिलैया	धनवार	गिरिडीह	153.30
176	खरखरी	तिसरी	गिरिडीह	826.16
177	सतिडीह	तिसरी	गिरिडीह	309.50
178	नवाडीह	तिसरी	गिरिडीह	111.88

179	जमामो	तिसरी	गिरिडीह	70.50
180	ढाब	देओरी	गिरिडीह	161.36
181	लहरिया	देओरी	गिरिडीह	91.55
182	ककानिया	देओरी	गिरिडीह	64.35
183	पल्मारुआ	देओरी	गिरिडीह	1613.18
184	गाडी खुर्द	देओरी	गिरिडीह	734.35
185	बराचरण	तिसरी	गिरिडीह	1.95
186	लश्करी	तिसरी	गिरिडीह	140.7
187	बाघमारा	तिसरी	गिरिडीह	7.84
188	अमझर	देओरी	गिरिडीह	736.93
189	कामती	तिसरी	गिरिडीह	183.48
190	जेयोरा	देओरी	गिरिडीह	360.35
191	गाडी	तिसरी	गिरिडीह	2.91
192	समन बंक	देओरी	गिरिडीह	106.64
193	खातीरी	देओरी	गिरिडीह	107.46
194	रहनिया टाड़	तिसरी	गिरिडीह	318.84
195	डिलगिन्जो	तिसरी	गिरिडीह	60.06
196	भंडारी	तिसरी	गिरिडीह	311.98
197	दोमसर	तिसरी	गिरिडीह	542.26
198	केरियाबक	तिसरी	गिरिडीह	398.36
199	अबरखा	तिसरी	गिरिडीह	457.74
200	बलियारी	तिसरी	गिरिडीह	2.34
201	कुशवा	तिसरी	गिरिडीह	178.35
202	डूबा	तिसरी	गिरिडीह	501.72
203	गिनादिहा	तिसरी	गिरिडीह	73.83
204	पन्दनाटांड	तिसरी	गिरिडीह	48.75

205	कत्कोको	तिसरी	गिरिडीह	475.10
206	मधोबंक	तिसरी	गिरिडीह	884.10
207	पन्देमिथा	तिसरी	गिरिडीह	12.10
208	सोब्राज डीह	तिसरी	गिरिडीह	405.11
209	गाडकुरा	तिसरी	गिरिडीह	1443.18
210	नंझलाडीह	तिसरी	गिरिडीह	267.36
211	पुरनाडीह	तिसरी	गिरिडीह	53.45
212	लछमीपुर	तिसरी	गिरिडीह	50.83
213	सेपाढाब	तिसरी	गिरिडीह	394.13
214	गमगी	तिसरी	गिरिडीह	939.26
215	लचकन	तिसरी	गिरिडीह	83.25
216	बरवाडीह	तिसरी	गिरिडीह	8.63
217	जोडासेमर	तिसरी	गिरिडीह	900.96
218	बाधी	गावां	गिरिडीह	175.33
219	पहाडपुर	गावां	गिरिडीह	244.93
220	रकासिया	गावां	गिरिडीह	56.81
221	सिंघो	तिसरी	गिरिडीह	116.09
222	हरहरा	गावां	गिरिडीह	271.17
223	गावां	गावां	गिरिडीह	1889.11
224	कनिकेद	गावां	गिरिडीह	22.10
225	धनहेता	गावां	गिरिडीह	258.36
226	बरदौनी	तिसरी	गिरिडीह	1739.59
227	धेलुआ	गावां	गिरिडीह	2165.89
228	हरडिया	गावां	गिरिडीह	220.43
229	गरेबा	गावां	गिरिडीह	96.50
230	बिरनं	गावां	गिरिडीह	1354.27

231	लोरियाटांड	गावां	गिरिडीह	298.39
232	अलगडीहा	गावां	गिरिडीह	280.13
233	ओरपोरो	गावां	गिरिडीह	12.04
234	गोबरदाहा	गावां	गिरिडीह	555.89
235	डुमरडीहा	गावां	गिरिडीह	505.05
236	तिलैया	गावां	गिरिडीह	701.31
237	बेलथारवा	गवां	गिरिडीह	537.63
238	भार्कोल / दुध्मानिया	गावां	गिरिडीह	949.9
239	बंदरचुआं / मचान	गावां	गिरिडीह	653.62
240	खरवाही	गावां	गिरिडीह	236.45
241	दारो	गावां	गिरिडीह	289.71
242	गर्हि संख	गावां	गिरिडीह	1508.65
243	डुमरझारा	गावां	गिरिडीह	438.96
कुल				132492.54

2.(ख) लावालोंग-गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के अंतर्गत वन क्षेत्र

क्र० सं०	जिला	मंडल क्षेत्र	प्रखण्ड	ग्राम	थाना	थाना सं०	वन प्र०
1	चतरा	चतरा (उ)	चतरा (उ)	डुमरिया	चतरा	10	संरक्षित वन
2	चतरा	चतरा (उ)	चतरा (उ)	अरमेदाग	चतरा	27	संरक्षित वन
3	चतरा	चतरा (उ)	चतरा (उ)	अम्कुदर	चतरा	7	संरक्षित वन
4	चतरा	चतरा (उ)	चतरा (उ)	अम्बर	चतरा	319	संरक्षित वन
5	चतरा	चतरा (उ)	चतरा (उ)	बदिया डीह	हंटर गंज	258	संरक्षित वन
6	चतरा	चतरा (उ)	चतरा (उ)	बचदाग	चतरा	155	संरक्षित वन
7	चतरा	चतरा (उ)	चतरा (उ)	डुमरिया	चतरा	10	संरक्षित वन
8	चतरा	चतरा (उ)	चतरा (उ)	कंदुआ सोहर	चतरा	2	संरक्षित वन
9	चतरा	चतरा (उ)	चतरा (उ)	कारी	चतरा	153	संरक्षित वन
10	चतरा	चतरा (उ)	चतरा (उ)	करमो	हंटर गंज	315	संरक्षित वन
11	चतरा	चतरा (उ)	चतरा (उ)	जसपुर	चतरा	23	संरक्षित वन
12	चतरा	चतरा (उ)	चतरा (उ)	जलडीहा	हंटर गंज	344	संरक्षित वन

13	चतरा	चतरा (उ)	चतरा (उ)	हेंमरा लुटा	चतरा	9	संरक्षित वन
14	चतरा	चतरा (उ)	चतरा (उ)	गुए	हंटर गंज	343	संरक्षित वन
15	चतरा	चतरा (उ)	चतरा (उ)	गरिया	चतरा	4	संरक्षित वन
16	चतरा	चतरा (उ)	चतरा (उ)	गम्हरतारी	चतरा	159	संरक्षित वन
17	चतरा	चतरा (उ)	चतरा (उ)	धांबी	हंटरगंज	299	संरक्षित वन
18	चतरा	चतरा (उ)	चतरा (उ)	रामखेता	चतरा	12	संरक्षित वन
19	चतरा	चतरा (उ)	चतरा (उ)	थिलोई	हंटर गंज	267	संरक्षित वन
20	चतरा	चतरा (उ)	चतरा (उ)	बिरलुतुदाग	चतरा	8	संरक्षित वन
21	चतरा	चतरा (उ)	चतरा (उ)	बेंगो खुर्द	चतरा	15	संरक्षित वन
22	चतरा	चतरा (उ)	चतरा (उ)	बेंगो कला	चतरा	14	संरक्षित वन
23	चतरा	चतरा (उ)	चतरा (उ)	बेलगारा	हंटर गंज	266	संरक्षित वन
24	चतरा	चतरा (उ)	चतरा (उ)	बरियो	चतरा	154	संरक्षित वन
25	चतरा	चतरा (उ)	चतरा (उ)	तुलबुल	चतरा	26	संरक्षित वन
26	चतरा	चतरा (उ)	चतरा (उ)	सिकिद	चतरा	6	संरक्षित वन
27	चतरा	चतरा (उ)	चतरा (उ)	सलोट	हंटर गंज	318	संरक्षित वन
28	चतरा	चतरा (उ)	चतरा (उ)	रत्नाग	हंटर गंज	260	संरक्षित वन

29	चतरा	चतरा (उ)	चतरा (उ)	राजगुरु	हंटर गंज	312	संरक्षित वन
30	चतरा	चतरा (उ)	चतरा (उ)	पोस्टिया	हंटर गंज	297	संरक्षित वन
31	चतरा	चतरा (उ)	चतरा (उ)	पन्दरकोला	हंटर गंज	320	संरक्षित वन
32	चतरा	चतरा (उ)	चतरा (उ)	पहरुवर	हंटर गंज	313	संरक्षित वन
33	चतरा	चतरा (उ)	चतरा (उ)	नरैनतारी	चतरा	298	संरक्षित वन
34	चतरा	चतरा (उ)	चतरा (उ)	मदनपुर	चतरा	24	संरक्षित वन
35	चतरा	चतरा (उ)	चतरा (उ)	लुलुदाग	चतरा	16	संरक्षित वन
36	चतरा	चतरा (उ)	चतरा (उ)	लटुआ	चतरा	150	संरक्षित वन
37	चतरा	चतरा (उ)	चतरा (उ)	कुरखेता	हंटर गंज	314	संरक्षित वन
38	चतरा	चतरा (उ)	चतरा (उ)	कुराग	चतरा	3	संरक्षित वन
39	चतरा	चतरा (उ)	चतरा (उ)	कोताप	चतरा	11	संरक्षित वन
40	चतरा	चतरा (उ)	चतरा (उ)	कोरहस	हंटर गंज	259	संरक्षित वन
41	चतरा	चतरा(उ)	चतरा(उ)	केनरीमोह	हंटरगंज	341	संरक्षित वन
42	चतरा	चतरा (उ)	चतरा (उ)	डोकवा	हंटर गंज	265	संरक्षित वन
43	चतरा	चतरा (उ)	चतरा (उ)	लुटू	हंटर गंज	200	संरक्षित वन
44	चतरा	चतरा (द)	चतरा (द)	लारकुआ	चतरा	193	संरक्षित वन

45	चतरा	चतरा (द)	चतरा (द)	खूंटेर	हंटरगंज	199	संरक्षित वन
46	चतरा	चतरा (द)	चतरा (द)	जलेद	चतरा	170	संरक्षित वन
47	चतरा	चतरा (द)	चतरा (द)	दरहा	चतरा	157	संरक्षित वन
48	चतरा	चतरा (द)	चतरा (द)	चेतमा	चतरा	169	संरक्षित वन
49	चतरा	चतरा (द)	चतरा (द)	सिकिद	चतरा	160	संरक्षित वन
50	चतरा	चतरा (द)	चतरा (द)	सिजुआ	चतरा	229	संरक्षित वन
51	चतरा	चतरा (द)	चतरा (द)	सहदा	चतरा	158	संरक्षित वन
52	चतरा	चतरा (द)	चतरा (द)	संघी	चतरा	171	संरक्षित वन
53	चतरा	चतरा (द)	चतरा (द)	पटेर	चतरा	197	संरक्षित वन
54	गिरिडीह	गिरिडीह	गिरिडीह	पचमो	इटखोरी	3	संरक्षित वन
55	गिरिडीह	गिरिडीह	गिरिडीह	मझाने	गावान	366	संरक्षित वन
56	गिरिडीह	गिरिडीह	गिरिडीह	अमझर	खरगडीहा	10	संरक्षित वन
57	गिरिडीह	गिरिडीह	गिरिडीह	अलगडीहा	गावां	338	संरक्षित वन
58	गिरिडीह	गिरिडीह	गिरिडीह	बन्दर चुवां / मचान	गावां	356	संरक्षित वन
59	गिरिडीह	गिरिडीह	गिरिडीह	अस्नातरी	गावां	346	संरक्षित वन
60	गिरिडीह	गिरिडीह	गिरिडीह	ककरिअर	गावां	353	संरक्षित वन

61	गिरिडीह	गिरिडीह	गिरिडीह	कटकोका	गावां	145	संरक्षित वन
62	गिरिडीह	गिरिडीह	गिरिडीह	करोपतारो	गावां	217	संरक्षित वन
63	गिरिडीह	गिरिडीह	गिरिडीह	करियाबक	गावां	142	संरक्षित वन
64	गिरिडीह	गिरिडीह	गिरिडीह	वेलथेरवा	गावां	359	संरक्षित वन
65	गिरिडीह	गिरिडीह	गिरिडीह	जीनाडीह	गावां	103	संरक्षित वन
66	गिरिडीह	गिरिडीह	गिरिडीह	झुवनोडीह	गावां	134	संरक्षित वन
67	गिरिडीह	गिरिडीह	गिरिडीह	जमुआ	गावां	223	संरक्षित वन
68	गिरिडीह	गिरिडीह	गिरिडीह	जामदार	गावां	222	संरक्षित वन
69	गिरिडीह	गिरिडीह	गिरिडीह	हेथलीकन्हाई	गावां	218	संरक्षित वन
70	गिरिडीह	गिरिडीह	गिरिडीह	हथिया गढ	गावां	214	संरक्षित वन
71	गिरिडीह	गिरिडीह	गिरिडीह	हरहरा	गावां	163	संरक्षित वन
72	गिरिडीह	गिरिडीह	गिरिडीह	हरदिया	गावां	342	संरक्षित वन
73	गिरिडीह	गिरिडीह	गिरिडीह	गुमगी	गावां	165	संरक्षित वन
74	गिरिडीह	गिरिडीह	गिरिडीह	गोबरदहा	गावां	335	संरक्षित वन
75	गिरिडीह	गिरिडीह	गिरिडीह	गावा	गावां	164	संरक्षित वन

76	गिरिडीह	गिरिडीह	गिरिडीह	गाढीसंख	गावां	355	संरक्षित वन
77	गिरिडीह	गिरिडीह	गिरिडीह	गदकुरा	गावां	168	संरक्षित वन
78	गिरिडीह	गिरिडीह	गिरिडीह	गंद कुरा	गावां	168	संरक्षित वन
79	गिरिडीह	गिरिडीह	गिरिडीह	डुमरझरा	गावां	352	संरक्षित वन
80	गिरिडीह	गिरिडीह	गिरिडीह	डुमरडीहा	गावां	334	संरक्षित वन
81	गिरिडीह	गिरिडीह	गिरिडीह	डुबा	गावां	144	संरक्षित वन
82	गिरिडीह	गिरिडीह	गिरिडीह	डोमासर	गावां	137	संरक्षित वन
83	गिरिडीह	गिरिडीह	गिरिडीह	ढिलगिंजो	गावां	140	संरक्षित वन
84	गिरिडीह	गिरिडीह	गिरिडीह	धनसोती	गावां	215	संरक्षित वन
85	गिरिडीह	गिरिडीह	गिरिडीह	धनहेता	गावां	162	संरक्षित वन
86	गिरिडीह	गिरिडीह	गिरिडीह	दरहो	गावां	224	संरक्षित वन
87	गिरिडीह	गिरिडीह	गिरिडीह	चेरवा	गावां	161	संरक्षित वन
88	गिरिडीह	गिरिडीह	गिरिडीह	चादली / जमुआनी	गावां	220	संरक्षित वन
89	गिरिडीह	गिरिडीह	गिरिडीह	चदगो	गावां	225	संरक्षित वन
90	गिरिडीह	गिरिडीह	गिरिडीह	ब्रिने	गवां	329	

91	गिरिडीह	गिरिडीह	गिरिडीह	भार्कोल / बुधनिया	गावां	357	संरक्षित वन
92	गिरिडीह	गिरिडीह	गिरिडीह	भंडरी	गावां	141	संरक्षित वन
93	गिरिडीह	गिरिडीह	गिरिडीह	कनिकंद	गावां	183	संरक्षित वन
94	गिरिडीह	गिरिडीह	गिरिडीह	बरदौनी	गावां	181	संरक्षित वन
95	गिरिडीह	गिरिडीह	गिरिडीह	पंदनाटांड़	गावां	102	संरक्षित वन
96	गिरिडीह	गिरिडीह	गिरिडीह	पहाड़पुर	गावां	164	संरक्षित वन
97	गिरिडीह	गिरिडीह	गिरिडीह	नवाडीह	गावां	207	संरक्षित वन
98	गिरिडीह	गिरिडीह	गिरिडीह	मझला डीह	गावां	151	संरक्षित वन
99	गिरिडीह	गिरिडीह	गिरिडीह	लोरिया टांड	गावां	380	संरक्षित वन
100	गिरिडीह	गिरिडीह	गिरिडीह	लेरवाटांड़	गावां	221	संरक्षित वन
101	गिरिडीह	गिरिडीह	गिरिडीह	लश्करी	गावां	153	संरक्षित वन
102	गिरिडीह	गिरिडीह	गिरिडीह	लचकन	गावां	167	संरक्षित वन
103	गिरिडीह	गिरिडीह	गिरिडीह	खरवाही	गावां	354	संरक्षित वन
104	गिरिडीह	गिरिडीह	गिरिडीह	खरखरी	गावां	210	संरक्षित वन
105	गिरिडीह	गिरिडीह	गिरिडीह	लछमिपुर	गावां	158	संरक्षित वन

106	गिरिडीह	गिरिडीह	गिरिडीह	सरध्वाटाड	चौपारण	296	संरक्षित वन
107	हजारीबाग	हजारीबाग(प)	हजारीबाग(प)	अमरौल	चौपारण	79	संरक्षित वन
108	हजारीबाग	हजारीबाग(प)	हजारीबाग(प)	अम्बातरी	चौपारण	241	संरक्षित वन
109	हजारीबाग	हजारीबाग(प)	हजारीबाग(प)	बागेसुथान	चौपारण	132	संरक्षित वन
110	हजारीबाग	हजारीबाग(प)	हजारीबाग(प)	अरनाधुआ	चौपारण	19	संरक्षित वन
111	हजारीबाग	हजारीबाग(प)	हजारीबाग(प)	कोती	चौपारण	298	संरक्षित वन
112	हजारीबाग	हजारीबाग(प)	हजारीबाग(प)	कालापहाड़	चौपारण	229	संरक्षित वन
113	हजारीबाग	हजारीबाग(प)	हजारीबाग(प)	कैरेपिप्रही	चौपारण	87	संरक्षित वन
114	हजारीबाग	हजारीबाग(प)	हजारीबाग(प)	काफर	चौपारण	86	संरक्षित वन
115	हजारीबाग	हजारीबाग(प)	हजारीबाग(प)	जंगल बरजा दास केंदुआ	चौपारण	85	संरक्षित वन
116	हजारीबाग	हजारीबाग(प)	हजारीबाग(प)	जागोडीह	चौपारण	231	संरक्षित वन
117	हजारीबाग	हजारीबाग(प)	हजारीबाग(प)	हथिदर	चौपारण	89	संरक्षित वन
118	हजारीबाग	हजारीबाग(प)	हजारीबाग(प)	घघरेत	चौपारण	230	संरक्षित वन
119	हजारीबाग	हजारीबाग(प)	हजारीबाग(प)	गेरुघाट	चौपारण	76	संरक्षित वन
120	हजारीबाग	हजारीबाग(प)	हजारीबाग(प)	करमा	चौपारण	75	संरक्षित वन

121	हजारीबाग	हजारीबाग(प)	हजारीबाग(प)	बिरिन्दा	चौपारण	295	संरक्षित वन
122	हजारीबाग	हजारीबाग(प)	हजारीबाग(प)	बीघा	चौपारण	90	संरक्षित वन
123	हजारीबाग	हजारीबाग(प)	हजारीबाग(प)	भडेल	चौपारण	70	संरक्षित वन
124	हजारीबाग	हजारीबाग(प)	हजारीबाग(प)	भदन	चौपारण	88	संरक्षित वन
125	हजारीबाग	हजारीबाग(प)	हजारीबाग(प)	बीघा	चौपारण	67	संरक्षित वन
126	हजारीबाग	हजारीबाग(प)	हजारीबाग(प)	बरदागा	चौपारण	77	संरक्षित वन
127	हजारीबाग	हजारीबाग(प)	हजारीबाग(प)	राजपुर	चौपारण	61	संरक्षित वन
128	हजारीबाग	हजारीबाग(प)	हजारीबाग(प)	सहोरा	चौपारण	91	संरक्षित वन
129	हजारीबाग	हजारीबाग(प)	हजारीबाग(प)	फुलवरिया	चौपारण	227	संरक्षित वन
130	हजारीबाग	हजारीबाग(प)	हजारीबाग(प)	मझोलिया	चौपारण	78	संरक्षित वन
131	हजारीबाग	हजारीबाग(प)	हजारीबाग(प)	मैसाखर	चौपारण	235	संरक्षित वन
132	हजारीबाग	हजारीबाग(प)	हजारीबाग(प)	महुआस	चौपारण	297	संरक्षित वन
133	हजारीबाग	हजारीबाग(प)	हजारीबाग(प)	मधगोपाली	चौपारण	68	संरक्षित वन
134	कोडरमा	गिरिडीह	गिरिडीह	बनुमुरहा	गावां	20	संरक्षित वन
135	कोडरमा	कोडरमा	कोडरमा	चाक	कोडरमा	72	संरक्षित वन

136	कोडरमा	कोडरमा	कोडरमा	तिलैया टांड	कोडरमा	33	संरक्षित वन
137	कोडरमा	कोडरमा	कोडरमा	अरिया	कोडरमा	24	संरक्षित वन
138	कोडरमा	कोडरमा	कोडरमा	अहराई	डोमचांच	27	संरक्षित वन
139	कोडरमा	कोडरमा	कोडरमा	बनुमुरहा	कोडरमा	20	संरक्षित वन
140	कोडरमा	कोडरमा	कोडरमा	बंगा खालर	कोडरमा	14	संरक्षित वन
141	कोडरमा	कोडरमा	कोडरमा	बन्दर चुकवा	कोडरमा	93	संरक्षित वन
142	कोडरमा	कोडरमा	कोडरमा	बघरुजोत	कोडरमा	51	संरक्षित वन
143	कोडरमा	कोडरमा	कोडरमा	करमिकुंद	कोडरमा	25	संरक्षित वन
144	कोडरमा	कोडरमा	कोडरमा	कर्माटारी	कोडरमा	243	संरक्षित वन
145	कोडरमा	कोडरमा	कोडरमा	कब्रबुत	कोडरमा	26	संरक्षित वन
146	कोडरमा	कोडरमा	कोडरमा	जोड़ा सेमर	कोडरमा	32	संरक्षित वन
147	कोडरमा	कोडरमा	कोडरमा	झरकी /तटगांव	कोडरमा	231	संरक्षित वन
148	कोडरमा	कोडरमा	कोडरमा	जरगा	कोडरमा	240	संरक्षित वन
149	कोडरमा	कोडरमा	कोडरमा	जमुनिया टांड	कोडरमा	47	संरक्षित वन
150	कोडरमा	कोडरमा	कोडरमा	हाथबाधारण	कोडरमा	239	संरक्षित वन

151	कोडरमा	कोडरमा	कोडरमा	खैराचोराही कतन	चौपारण	252	संरक्षित वन
152	कोडरमा	कोडरमा	कोडरमा	हरिया	कोडरमा	44	संरक्षित वन
153	कोडरमा	कोडरमा	कोडरमा	गोलगो	कोडरमा	50	संरक्षित वन
154	कोडरमा	कोडरमा	कोडरमा	घटोडाबर	चौपारण	248	संरक्षित वन
155	कोडरमा	कोडरमा	कोडरमा	गरमुन्दो	कोडरमा	54	संरक्षित वन
156	कोडरमा	कोडरमा	कोडरमा	कटियो	कोडरमा	95	संरक्षित वन
157	कोडरमा	कोडरमा	कोडरमा	धोदरपनिया	कोडरमा	242	संरक्षित वन
158	कोडरमा	कोडरमा	कोडरमा	धर गाँव	कोडरमा	83	संरक्षित वन
159	कोडरमा	कोडरमा	कोडरमा	डगरनावा	कोडरमा	21	संरक्षित वन
160	कोडरमा	कोडरमा	कोडरमा	चिलगीया / धोधाकोला	कोडरमा	45	संरक्षित वन
161	कोडरमा	कोडरमा	कोडरमा	छतरा	गझंदी	250	संरक्षित वन
162	कोडरमा	कोडरमा	कोडरमा	घनाको	चौपारण	235	संरक्षित वन
163	कोडरमा	कोडरमा	कोडरमा	बौंगादाग	चौपरण	251	संरक्षित वन
164	कोडरमा	कोडरमा	कोडरमा	बिरगदा	गझंदी	260	संरक्षित वन
165	कोडरमा	कोडरमा	कोडरमा	भितिया	चौपारण	228	संरक्षित वन

166	कोडरमा	कोडरमा	कोडरमा	बेंदी	चौपारण	258	संरक्षित वन
167	कोडरमा	कोडरमा	कोडरमा	बेलाटांड	कोडरमा	238	संरक्षित वन
168	कोडरमा	कोडरमा	कोडरमा	बेको	कोडरमा	22	संरक्षित वन
169	कोडरमा	कोडरमा	कोडरमा	तिलैया	कोडरमा	244	संरक्षित वन
170	कोडरमा	कोडरमा	कोडरमा	सिंदूरी	चौपारण	247	संरक्षित वन
171	कोडरमा	कोडरमा	कोडरमा	सम्सिहरिया	कोडरमा	46	संरक्षित वन
172	कोडरमा	कोडरमा	कोडरमा	नलवा	कोडरमा	43	संरक्षित वन
173	कोडरमा	कोडरमा	कोडरमा	मेघातरी	कोडरमा	237	संरक्षित वन
174	कोडरमा	कोडरमा	कोडरमा	मरामोतरी	चौपारण	249	संरक्षित वन
175	कोडरमा	कोडरमा	कोडरमा	महुआ दोहर	चौपारण	294	संरक्षित वन
176	कोडरमा	कोडरमा	कोडरमा	कुसहना	कोडरमा	48	संरक्षित वन
177	कोडरमा	कोडरमा	कोडरमा	कुम्भियातरी	चौपारण	258	संरक्षित वन
178	कोडरमा	कोडरमा	कोडरमा	कुम्भ	कोडरमा	17	संरक्षित वन
179	कोडरमा	कोडरमा	कोडरमा	कोवावर	कोडरमा	236	संरक्षित वन

2 (ग) प्रस्तावित लावालोंग-मनातू-पाटन-कैमूर (बिहार) वाइल्ड लाइफ कोरिडोर

प्रस्तावित गाँव का नाम

क्रम सं०	गाँव	जिला	प्रखंड	थाना न०	क्षेत्रफल (एकड़)
1	बघौता	चतरा	चतरा (उ)	174	101.52
2	पोतोमदोहर	चतरा	चतरा (उ)	173	407.19
3	हिसातु	चतरा	चतरा (उ)	251	1298.32
4	बरितु	चतरा	चतरा (उ)	171	588.42
5	गारो	चतरा	चतरा	162	485.30
6	लावालोंग	चतरा	चतरा (उ)	253	157.57
7	नवा डीह	चतरा	चतरा (उ)	252	620.36
8	मेघानिया	चतरा	चतरा (उ)	170	251.93
9	खपिया	चतरा	चतरा (उ)	169	378.10
10	बन्दोहारी	चतरा	चतरा (उ)	103	0.56
11	बाबु डीह	चतरा	चतरा (उ)	164	233.59
12	पिन्जिनी	चतरा	चतरा (उ)	163	935.21
13	लुकुया	चतरा	चतरा (उ)	165	239.78
14	मदरपुर	चतरा	चतरा (उ)	168	69.02
15	बुतकुइया	चतरा	चतरा (उ)	161	1710.86
16	भौरुडीह	चतरा	चतरा (उ)	167	67.08
17	सखुखी	चतरा	चतरा (उ)	159	371.39
18	खुशिहाला	चतरा	चतरा (उ)	160	1288.97
19	सिको दाग	चतरा	चतरा (उ)	166	35.63
20	तेगम	चतरा	चतरा (उ)	124	0.26
21	खजुरी	पलामू	—	—	1040.05
22	मुरुम्दाग	पलामू	—	—	954.93
23	पहाड़ी	पलामू	—	—	1.15
24	पखा	पलामू	—	—	652.72
25	रुद	पलामू	—	—	480.04

26	दुदुर	पलामू	—	—	207.83
27	हिसदि	पलामू	—	—	508.52
28	कुरकुटा	पलामू	—	—	674.51
29	बेलहरा	पलामू	—	—	104.14
30	खजुरिया	पलामू	—	—	28.35
31	जोरा	पलामू	—	—	49.03
32	खेंद्रा कला	पलामू	—	—	222.84
33	पिपरा	पलामू	—	—	444.10
34	देवनार	पलामू	—	—	361.76
35	हरिया	पलामू	—	—	255.06
36	रलाग	पलामू	—	—	419.8
37	कुम्भिकला	पलामू	—	—	782.38
38	लेवार	पलामू	—	—	583.15
39	मल्नाग	पलामू	—	—	741.25
40	महुडांड़	पलामू	—	—	1586.50
41	करमा	पलामू	—	—	530.17
42	डाली	पलामू	—	—	1990.83
43	हुलासिकला	पलामू	—	—	626.00
44	हरनी	पलामू	—	—	241.46
45	साही	पलामू	—	—	1463.18
46	हुलासिखुर्द	पलामू	—	—	319.98
47	ताली	पलामू	—	—	141.66
48	राजदेरिया	पलामू	—	—	595.05
49	कोटरा	पलामू	—	—	750.05
50	बाघमारा	पलामू	—	—	864.68
51	जमारी	पलामू	—	—	0.51
52	कुम्भिखुर्द	पलामू	—	—	1184.65
53	सालिया	पलामू	—	—	144.36
54	छुछिया	पलामू	—	—	255.89
55	ठेखी	पलामू	—	—	618.95
56	बड़ा खांड़	पलामू	—	—	911.31
57	गुवादाग	पलामू	—	—	561.11

58	तुलबुला	पलामू	—	—	26.48
59	पथरा	पलामू	—	—	742.69
60	कदल्कुर्मी	पलामू	—	—	2070.02
61	झरहा	पलामू	—	—	302.02
62	गोरहा	पलामू	—	—	923.75
63	सीताचुवा	पलामू	—	—	445.22
64	हाथीदाह	पलामू	—	—	69.81
65	मोहसिन नगर	पलामू	—	—	1511.65
66	नाहुर	पलामू	—	—	1198.25
67	नासोजमालपुर	पलामू	—	—	389.43
68	सलियाटिकर	पलामू	—	—	375.74
69	प्रतापपुर	पलामू	—	—	403.02
70	भानिसरा	पलामू	—	—	241.32
71	कंमो	पलामू	—	—	101.09
72	अरार	पलामू	—	—	1230.67
73	दलाकला	पलामू	—	—	381.85
74	लोहबंदा	पलामू	—	—	824.04
75	गोरलेत्वा	पलामू	—	—	520.17
76	नैया	पलामू	—	—	150.07
77	भरुही	पलामू	—	—	58.83
78	सोलंगा	पलामू	—	—	32.73
79	मरदाग	पलामू	—	—	0.09
80	केस्वाही	पलामू	—	—	492.81
81	विर्वादोहर	पलामू	—	—	0.59
82	बनौधा	पलामू	—	—	309.41
83	फातिया	पलामू	—	—	438.32
कुल					43798.9

लवालोंग–मनातु–पाटन– कैमूर(बिहार) कोरीडोर के अंतगर्त वन क्षेत्र–

क्रम संख्या	जिला	मंडल का नाम	गांवका नाम	थना का नाम	थाना नम्बर	वन प्रकार
1	चतरा	चतरा (उ.)	हिसातु	हंटर गंज	251	संरक्षित वन
2	चतरा	चतरा (उ.)	खापिया	प्रतापपुर	169	संरक्षित वन
3	चतरा	चतरा (उ.)	खुशीहाला	प्रतापपुर	160	संरक्षित वन
4	चतरा	चतरा (उ.)	लावालोंग	हंटर गंज	253	संरक्षित वन
5	चतरा	चतरा (उ.)	लुकिया	प्रतापपुर	165	संरक्षित वन
6	चतरा	चतरा (उ.)	मदरपुर	प्रतापपुर	168	संरक्षित वन
7	चतरा	चतरा (उ.)	मेचरानिया	प्रतापपुर	170	संरक्षित वन
8	चतरा	चतरा (उ.)	नवाडीह	हंटर गंज	252	संरक्षित वन
9	चतरा	चतरा (उ.)	पिंजनी	प्रतापपुर	163	संरक्षित वन
10	चतरा	चतरा (उ.)	पोतोमदोहर	प्रतापपुर	173	संरक्षित वन
11	चतरा	चतरा (उ.)	सखुखी	प्रतापपुर	159	संरक्षित वन
12	चतरा	चतरा (उ.)	सिकीदाग	प्रतापपुर	166	संरक्षित वन
13	चतरा	चतरा (उ.)	सेगम	प्रतापपुर	124	संरक्षित वन

14	चतरा	चतरा (उ.)	बनदोहरी	हंटरगंज	103	संरक्षित वन
15	चतरा	चतरा (उ.)	बाबूडीह	प्रतापपुर	164	संरक्षित वन
16	चतरा	चतरा (उ.)	बघोला	प्रतापपुर	174	संरक्षित वन
17	चतरा	चतरा (उ.)	बारितु	प्रतापपुर	171	संरक्षित वन
18	चतरा	चतरा (उ.)	मौरोडीह	प्रतापपुर	167	संरक्षित वन
19	चतरा	चतरा (उ.)	बुतकुईया	प्रतापपुर	161	संरक्षित वन
20	चतरा	चतरा (उ.)	गारो	प्रतापपुर	162	संरक्षित वन
21	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	लसाखुर्द		–	–
22	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	इटको		–	–
23	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	कदलकुर्मी	–	–	–
24	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	कैमो	–	–	–
25	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	फरमा	–	–	–
26	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	केसवाही	–	–	–
27	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	खजूरी	–	–	–
28	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	खजूरिया	–	–	–

29	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	खेंदकला	–	–	–
30	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	कोटवा	–	–	–
31	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	कुम्भिकला	–	–	–
32	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	कुम्भिखुर्द	–	–	–
33	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	बिरवाडोहर	–	–	–
34	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	रन्नाग	–	–	–
35	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	कुरकुटा	–	–	–
36	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	लेबार	–	–	–
37	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	लोहबांडा	–	–	–
38	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	महुडांड	–	–	–
39	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	महूर	–	–	–
40	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	मलाग	–	–	–
41	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	मोहासिननगर	–	–	–
42	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	मुरूमदाग	–	–	–
43	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	मैया	–	–	–

44	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	नसोजमालपुर	—	—	—
45	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	पखा	—	—	—
46	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	प्रतापपुर	—	—	—
47	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	पथरा	—	—	—
48	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	पटिया	—	—	—
49	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	पिपरा	—	—	—
50	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	राजडेरिया	—	—	—
51	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	रोड	—	—	—
52	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	साढ़ी	—	—	—
53	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	सलैयाटिकर	—	—	—
54	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	सलिया	—	—	—
55	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	सीताचुंवा	—	—	—
56	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	सोलंगा	—	—	—
57	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	ताली	—	—	—
58	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	ठेखी	—	—	—

59	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	चुलबुला	—	—	—
60	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	छुछिया	—	—	—
61	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	अरर	—	—	—
62	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	बाघमारा	—	—	—
63	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	बनोधा	—	—	—
64	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	बड़ाखांड	—	—	—
65	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	बेलहरा	—	—	—
66	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	भारुही	—	—	—
67	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	मनिसरा	—	—	—
68	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	छुछिया	—	—	—
69	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	डालाकला	—	—	—
70	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	डालकला	—	—	—
71	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	देवनार	—	—	—
72	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	दुदूर	—	—	—
73	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	गीलावा	—	—	—

74	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	गोरहा	—	—	—
75	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	गुवादाग	—	—	—
76	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	हरिया	—	—	—
77	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	हरनी	—	—	—
78	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	जमारी	—	—	—
79	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	हाथीदाह	—	—	—
80	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	झरना	—	—	—
81	पलामू	डालटेनगंज(उ.)	हिरसाद	—	—	—

प्रस्तावित कोरिडोर कुटकु-सलवाही-नगरउटारी-कैमूर (उत्तर प्रदेश) में पड़ने वाले गाँव

क्र० सं०	गाँव का नाम	प्रखंड	जिला	क्षेत्र (एकड़)
1	सांगली	भंडरिया	गढवा	348.93
2	बरकोल (सरक्षित वन)	भंडरिया	गढ़वा	2551.35
3	नौका	भंडरिया	गढ़वा	717.67
4	बिदा	भंडरिया	गढवा	220.25
5	भंडरिया	भंडरिया	गढ़वा	169.36
6	तेवाली	भंडरिया	गढवा	654.32
7	जोन्दी खार	भंडरिया	गढवा	350.59
8	लिदकी	भंडरिया	गढ़वा	7.30
9	सिंजो	भंडरिया	गढवा	1376.23
10	रोदो	भंडरिया	गढवा	2417.66
11	मनजारी	भंडरिया	गढ़वा	2046.68
12	बिजका	भंडरिया	गढवा	1950.11
13	कोरवाडीह	भंडरिया	गढ़वा	205.34
14	पथ	भंडरिया	गढ़वा	738.68
15	चपालसी	भंडरिया	गढ़वा	1415.06
16	हरता	भंडरिया	गढवा	1288.60
17	बाघी	चैनपुर	पलामू	694.16
18	सेरका	चैनपुर	पलामू	743.70
19	बनालात	चैनपुर	पलामू	875.66
20	नवाडीह	चैनपुर	पलामू	61.97
21	चांडो / मायापुर	चैनपुर	पलामू	161.58
22	उलडंडा	चैनपुर	पलामू	1321.12
23	उल्मान	चैनपुर	पलामू	940.65
24	अडागाड़ा	चैनपुर	पलामू	834.16

25	मुसुरमु	चैनपुर	पलामू	299.95
26	चोरहाट	चैनपुर	पलामू	723.36
27	उतेर	चैनपुर	पलामू	27.95
28	कोकाडू	चैनपुर	पलामू	1005.92
29	मानके	चैनपुर	पलामू	487.02
30	चुनगा बारडीह	चैनपुर	पलामू	1737.22
31	बारडीह खुर्द	चैनपुर	पलामू	255.58
32	पीरहे	चैनपुर	पलामू	366.33
33	मरगडा	चैनपुर	पलामू	297.73
34	मुरु	चैनपुर	पलामू	1866.06
35	परसाखांड / बरवाखाड	चैनपुर	पलामू	258.95
36	महावत मुरिया सानी	चैनपुर	पलामू	18.62
37	विवाव थान	चैनपुर	पलामू	92.66
38	आदर	चैनपुर	पलामू	769.36
39	महावत मुरिया	चैनपुर	पलामू	254.55
40	कुई	चैनपुर	पलामू	192.65
41	डाटम	चैनपुर	पलामू	1450.55
42	सोकरा	चैनपुर	पलामू	293.19
43	बरीमन	चैनपुर	पलामू	288.14
44	अजलतुआ	चैनपुर	पलामू	195.62
45	झरहा	चैनपुर	पलामू	85.72
46	कुट्टी	चैनपुर	पलामू	532.00
47	नावा	चैनपुर	पलामू	1507.07
48	झालर	चैनपुर	पलामू	259.01
49	कुर्का	चैनपुर	पलामू	24.13
50	हमीनपुर	चैनपुर	पलामू	97.66
51	टेमराई	चैनपुर	पलामू	384.99
52	रानीताल	चैनपुर	पलामू	57.22

53	करमा	चैनपुर	पलामू	1474.03
54	गोरे	चैनपुर	पलामू	338.04
55	हिसरा	चैनपुर	पलामू	493.33
56	सेमरा	चैनपुर	पलामू	2048.67
57	खुराखुर्द	चैनपुर	पलामू	44.78
58	खाम्भी	चैनपुर	पलामू	369.70
59	सलतुआ	चैनपुर	पलामू	3807.21
60	बरका	चैनपुर	पलामू	143.14
61	चौपरिया	चैनपुर	पलामू	143.79
62	पचलेवा	चैनपुर	पलामू	1340.37
63	किलहर	चैनपुर	पलामू	776.73
64	कुमनी	चैनपुर	पलामू	44.85
65	खुरा कला	चैनपुर	पलामू	1118.35
66	डोकी	चैनपुर	पलामू	339.64
67	छतवा	चैनपुर	पलामू	2347.64
68	बानुटीकर	गढ़वा	गढ़वा	109.00
69	कारसो	चैनपुर	पलामू	946.44
70	तेन्दूडीह	रंका	गढ़वा	1200.41
71	तुलबुला	गढ़वा	गढ़वा	258.88
72	अरछु खाप / तेतरडीह	रंका	गढ़वा	689.05
73	मदुआ	गढ़वा	गढ़वा	34.47
74	खरडीहा	रंका	गढ़वा	724.49
75	सेरासम	रंका	गढ़वा	1768.87
76	सिन्जो	रंका	गढ़वा	853.14
77	गड्हौता / गुरगुरखोरी अली	रंका	गढ़वा	865.25
78	टाले / डाले	रंका	गढ़वा	172.59
79	लुकुम्बा / लुकुम्बर	रंका	गढ़वा	1307.35
80	भवरहा	मेराल(पिपरा कला)	गढ़वा	150.7
81	सिक सिगाकला	रंका	गढ़वा	1004.05

82	गायबटवा	मेराल(पिपरा कला)	गढ़वा	465.27
83	कतरी	मेराल(पिपरा कला)	गढ़वा	0.22
84	बागेश्वर	मेराल(पिपरा कला)	गढ़वा	942.29
85	जमुआ	मेराल(पिपरा कला)	गढ़वा	297.72
86	चपला / चोफलो	रंका	गढ़वा	618.15
87	टेटका खुर्द	मेराल(पिपरा कला)	गढ़वा	1696.66
88	टेटका कला	मेराल(पिपरा कला)	गढ़वा	14.54
89	टरी	रंका	गढ़वा	911.53
90	बहेरवा	मेराल(पिपरा कला)	गढ़वा	421.36
91	बानाजंग	मेराल(पिपरा कला)	गढ़वा	4.10
92	टोरी कला	मेराल(पिपरा कला)	गढ़वा	182.59
93	कपराट	मेराल(पिपरा कला)	गढ़वा	12.07
94	सिकरिया	मेराल(पिपरा कला)	गढ़वा	191.36
95	लोरा	मेराल(पिपरा कला)	गढ़वा	372.20
96	चकरी	मेराल(पिपरा कला)	गढ़वा	1111.57
97	सोसी	मेराल(पिपरा कला)	गढ़वा	126.54
98	तहला	रंका	गढ़वा	776.86
99	बेलरी / चिनिया	रंका	गढ़वा	1494.88
100	चिटका / चिरका	रंका	गढ़वा	1582.52
101	हेदरकला	रंका	गढ़वा	3519.73
102	हेदरखुर्द	रंका	गढ़वा	309.07
103	नवाडीह	मेराल(पिपरा कला)	गढ़वा	146.30
104	पलहे	रंका	गढ़वा	320.73
105	सिरोईकला	रंका	गढ़वा	262.85
106	नवाडीह	रंका	गढ़वा	2443.22
107	पुरेगड़ा	रंका	गढ़वा	573.33
108	गंगूडीह	रंका	गढ़वा	491.19
109	जुन	रंका	गढ़वा	747.16
110	सलवाही	रंका	गढ़वा	356.78

111	पारगवाल	रंका	गढ़वा	333.78
112	नवाडीह	रंका	गढ़वा	171.63
113	परसुखाड	रंका	गढ़वा	1157.77
114	सिकट	रंका	गढ़वा	87.63
115	नगरी	रंका	गढ़वा	468.24
116	बडाडीह	रंका	गढ़वा	294.78
117	नागसीली	रंका	गढ़वा	717.60
118	रतनपुरा / रामपुरा	रंका	गढ़वा	621.02
119	करमा / खुरी	रंका	गढ़वा	2691.15
120	मसरी / मसरा	रंका	गढ़वा	2109.60
121	धपकली / धमकली	रंका	गढ़वा	2994.05
122	कोड़वा / लिखुदौरा	धुरकी	गढ़वा	2328.48
123	माचीपानी	धुरकी	गढ़वा	2272.62
124	बारहनोती	धुरकी	गढ़वा	1373.77
125	मुरहपुर / पचफेरी	धुरकी	गढ़वा	239.78
126	अम्बाखोरईया	धुरकी	गढ़वा	697.03
127	लिबरा / पारस पानीकला	धुरकी	गढ़वा	788.82
128	बलियारी / सिउरी	धुरकी	गढ़वा	1196.85
129	खाला	धुरकी	गढ़वा	252.53
130	सामो / सुरु	धुरकी	गढ़वा	138.16
131	भुइनफोर	धुरकी	गढ़वा	2619.32
132	दूद्धी / पारस पानीखुर्द	धुरकी	गढ़वा	228.64
			कुल क्षेत्रफल (एकड़)	105009.37

प्रस्तावित कोरिडोर सांगली- सलवाही- नगरउटारी- कैमूर (उत्तरप्रदेश) में पड़ने वाले जंगल डिवीजन - गढ़वा

क्र० सं०	जिला	प्रखंड	गाँव	थाना	जंगल का प्रकार
1	गढ़वा	बंदरिया	सांगली	भंडारिया	संरक्षित वन
2	गढ़वा	चुरकी	मुरहपुर	नगर उटारी, गढ़वा	संरक्षित वन
3	गढ़वा	गढ़वा	घुलबुला	गढ़वा	संरक्षित वन
4	गढ़वा	गढ़वा	बानुटीकर	गढ़वा	संरक्षित वन
5	गढ़वा	गढ़वा	भदुआ	गढ़वा	संरक्षित वन
6	गढ़वा	गढ़वा	बानुटीकर	गढ़वा	संरक्षित वन
7	गढ़वा	मेराल(पिपरा कला)	लोरा	गढ़वा	संरक्षित वन
8	गढ़वा	मेराल(पिपरा कला)	गायघटवा	गढ़वा	संरक्षित वन
9	गढ़वा	मेराल(पिपरा कला)	रौती	गढ़वा	संरक्षित वन
10	गढ़वा	मेराल(पिपरा कला)	धनाजंग	गढ़वा	संरक्षित वन
11	गढ़वा	मेराल(पिपरा कला)	टेटका कला	गढ़वा	संरक्षित वन
12	गढ़वा	मेराल(पिपरा कला)	चकरी	गढ़वा	संरक्षित वन
13	गढ़वा	मेराल(पिपरा कला)	भनराहा	गढ़वा	संरक्षित वन

Village and forests data and attributes are based on information provided by GIS Cell, Forest Dept., Ranchi.

निष्कर्ष

झारखण्ड के वन,पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा चलाये वन्य–जीव संरक्षण अभियान के उपरोक्त प्लान को गौर किया जाय तो स्पष्ट है कि यह जनता विरोधी प्लान है जहाँ लाखों लोगों के जीवन के साथ उनको बेघर करके, खिलवाड़ किया जा रहा है। वन–प्राणी की संरक्षण के नाम पर धूर्तता पूर्वक संसाधन हथियाने का सरकारी मिजाज बड़ी दूर की योजना प्रतीत होता है। निराशाजनक बात यह है कि किसी लोकतान्त्रिक देश में गरीब और पिछड़े तबके के लोगों की ऐसी स्थिति है जहाँ उन्हें अपने ही जमीन पर हक से जीने का अधिकार नहीं है। उन्हें पक्षपात, अन्याय और लूट का सामना करना पड़ रहा है।

ध्यान देने वाली बात यह है कि इस विशाल परियोजना में गुमला–पलामू क्षेत्र जिसे पलामू टाईगर रिजर्व का क्षेत्र के रूप में श्रेणीबद्ध कर दिया गया है, पांचवी अनुसुची क्षेत्र होने का उल्लेख कहीं भी नहीं है। ना ही ग्राम सभा का इस प्रक्रिया में कोई भूमिका सुनिश्चित किया गया है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी, वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 का भी बस नाम भर उल्लेख है, वहीं छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की कोई मीमांसा तक नहीं है। 423 पृष्ठों में विस्तारित ये व्याघ्र संरक्षण परियोजना के, पहले दौर में कोर क्षेत्र को 'बेहद निजी' बनाने के लिए 8 गांव हटाने का कड़ा प्रस्ताव/आदेश देता है। यदि हम दूसरे टाइगर रिजर्वों (पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व आदि) के अनुभव को देखें तो पाएंगे कि ये कोर क्षेत्र साल दर साल बढ़ाते जाते हैं और बफर एरिया से भी गांव विस्थापित करने के प्रारुप ले आते हैं। कोर एरिया में शामिल ये 8 गाँव इससे पहले बफर एरिया में आते थे। पलामू टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में 191 गांव आते है। कंजर्वेशन के नाम पर जमीन हड़पने की इस योजना

में भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 और झारखण्ड पुर्नस्थापना और पुनर्वास नीति 2008 का भी कहीं कोई उल्लेख नहीं है।

इस पूरे प्लान में जंगलों में बसे लोग को वन प्राणियों के दुश्मन के रूप में चित्रित किया गया है, वन पर उनकी निर्भरता को वन–प्राणी रक्षा अभियान के मार्ग में बाधा समझा जा रहा है, जो बिल्कुल बेबुनियाद है। आदिवासियों के सम्पूर्ण जीवन शैली कभी प्राकृतिक विरोधी नहीं रहा है और न होगा। उनका पूरा इतिहास ही प्रकृति संग समन्वयता की कहानी है। लोगों को विस्थापित करके प्रकृति के साथ इस प्रगाढ़ संबध को तोड़ना उनके साथ अन्याय करना है।

इस पूरे दस्तावेज में वन अधिकार, मान्यता कानून, 2006 के तहत लोगों के संसाधनों के अधिकारों को लेकर कोई जिम्मेदारी प्रदर्शित नहीं की गयी है। इसके अलावा वनाधिकार के दावे प्रक्रिया पूरी होने की स्थिति में ही विस्थापन की प्रक्रिया शुरू होगी, इसका भी कहीं जिक्र नहीं है। बफर या कोर जोन से संभावित विस्थापित परिवारों के उचित पुनर्वास व पुर्नस्थापन को लेकर स्पष्टता नहीं है।

सरकार की विनाशकारी परियोजनाओं को लेकर जब भी आंदोलन शुरू होता है सरकार द्वारा सीधे तौर पर परियोजना को नाकारने का सिलसीला शुरू हो जाता है। वाइल्ड लाइफ कोरीडोर के संदर्भ में भी सरकार का पक्ष रखते हुए विभाग के अधिकारी कोरीडोर प्रस्ताव को एक ओर जहाँ नकार रहे हैं वहीं दूसरे ओर यह कहते फिर रहे हैं कि कोरीडोर से किसी को विस्थापित नहीं किया जाएगा। यदि सचमुच वाइल्ड लाइफ कोरीडोर से किसी को विस्थापित नहीं किया जाएगा तो हम उसका स्वागत करते हैं। परन्तु सरकार से हमारी सीधी मांग है कि कोरीडोर के नाम से जिन जमीन को चिह्नित कर सरकार अपने दस्तावेज में दिखा रही है। उसका खाता नम्बर एवं प्लॉट नम्बर के साथ सर्वाजनिक करे ताकि गाँव के लोगों को मालूम हो कि उनके गाँव जमीन की कौन सी जमीन इस परियोजना के लिए चिह्नित की गई है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री नन्द कुमार साय की अध्यक्षता में 2 जनवरी 2018 को लोकनायक भवन दिल्ली में आयोजित हुई मीटिंग के मिनिट्स-

(यह मीटिंग दिनांक 12.04.2017 को द मिंट में 'क्रिटिकल टाइगर रिजर्व में आदिवासियों को जंगल के हक नहीं' शीर्षक से प्रकाशित एक खबर के आलोक में अध्यक्ष द्वारा संज्ञान लिए जाने की वजह से आयोजित की गयी)

इस मीटिंग में मुख्य रूप निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा हुई व निर्देश दिए गए–

1. प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन प्राधिकरण कानून (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority bill) द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण कोष का इस्तेमाल क्रिटिकल वन्य जीव क्षेत्रों व क्रिटिकल टाइगर हैबिटैटस से अपनी मर्जी से विस्थापित होने वाले आदिवासियों के पुनर्वास व पुर्नस्थापन में किये जाने के संबंध में पहले भी मीटिंग्स हीन हैं जिनमें इन विभागों के सक्षम अधिकारी भी रहे हैं. आज इसी मुद्दे पर पुनः चर्चा हुई और निम्नलिखित निर्देश दिए गए–

(अ) अपनी इच्छा से विस्थापित होने वाले परिवारों को क्षतिपूर्ति (मुआवजा) 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये प्रति परिवार किया जाए. इसमें CAMPA के तहत मौजूद धन राशि का उपयोग किया जा सकता है.

(ब) टाइगर रिजर्व या अन्य संरक्षित क्षेत्रों से विस्थापित होने वाले परिवारों को जमीन के बदले जमीन अधिकतम 4 हेक्टेयर तक क्षतिपूर्ति पैकेज में शामिल है. यदि उसी गुणवत्ता व प्रकृति की जमीन उपलब्ध नहीं हो पाती तब वास्तविक स्वामित्व से दुगुनी या 8 हेक्टेयर तक जमीन मुहैया कराई जायेगी.

(स) नकदी मुआवजे या पुर्नस्थापना पुनर्वास की सारी कार्यवाही तीन साल के अन्दर पूरी कर लीं जायेंगीं ऐसा नहीं होने की स्थिति में ऐसे परिवारों को तत्काल वन अधिकार दिए जायेंगे.

(द) किसी भी आदिवासी को तब तक इन क्षेत्रों से विस्थापित नहीं किया जाएगा जब तक कि उन्हें वैकल्पिक जमीन मुहैया नहीं की जाती।

3. माननीय अध्यक्ष ने एक पत्र (दिनांक 24.10.2017) के माध्यम से वन एवं पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री जी से यह निवेदन किया था कि CAMPA फंड्स का इस्तेमाल क्रिटिकल टाइगर हैबिटैट व क्रिटिकल वन्य जीव क्षेत्रों से स्वेच्छा से विस्थापित होने वाले परिवारों के पुनर्वास व पुर्नस्थापन के लिए बढ़े हुए मुआवजे के साथ किया जाए.

4. ओड़ीसा सरकार ने जो कन्वर्जेन्स (कई योजनाओं को मिलाकर) तरीका अपनाया है वह बहुत प्रभावशाली है इसे अन्य राज्यों को भी स्वैच्छिक विस्थापन के मामलों में अपनाना है.

5. CAMPA फंड्स का इस्तेमाल टाइगर रिजर्व्स से स्वैच्छिक विस्थापन के लिए किया जाना चाहिए.

6. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (National Tiger Conservation Authority) द्वारा गठित की गयी समिति उपरोक्त सुझावों के क्रियान्वयन के बारे में अपनी रिपोर्ट आयोग को देगी.

7. एक भी आदिवासी को टाइगर रिजर्व्स से बिना उसकी स्पष्ट सहमति व सम्पूर्ण मुआवजा पैकेज दिए बेदखल नहीं किया जा सकता।

व्याघ्र परियोजना के विस्तारीकरण एवं वाइल्ड लाइफ कोरीडोर के खिलाफ आंदोलन -

केन्द्रीय जन संघर्ष समिति की स्थापना 1992 को पायलट प्रोजेक्ट नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज से 245 गाँव के विस्थापन के खिलाफ की गई। जन संघर्ष समिति पिछले 26 सालों से उक्त परियोजना को रद्द करने की दिशा में आंदोलित है। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के साथ ही साथ टूडरमा डैम से विस्थापन, की लड़ाई भी इस आंदोलन का प्रमूख मूद्दा रहा है।

अपने आंदोलन के बल पर जन संघर्ष समिति ने 1964 से 1994 तक लगातार सेना द्वारा की जा रही गोलाबारी एवं तोपाभ्यास को 1994 से रोके रखा है। समिति के रूटीन बैठकों में प्रभावित क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू होते हुए उनके निदान के लिए लोगों के संघर्ष का साथी बना है। जन संघर्ष समिति ने अपने मार्गनिर्देशिका में प्रभावित क्षेत्र की समस्याओं, मानवाधिकार की रक्षा का संकल्प लिया है। समिति के लम्बे संघर्ष के बाद भी सरकार ने फायरिंग रेंज से उठे विस्थापन के सवाल पर गंभीर नहीं रही बल्कि समय समय पर अवधि का विस्तार करते हुए प्रभावित क्षेत्र की समस्यों एवं उनकी जन भावना का अनादर किया है। जिसके खिलाफ आज भी क्षेत्र की जनता आंदोलित है। किसी भी कीमत पर फायरिंग रेंज नहीं बनने देने व इससे होने वाले विस्थापन के खिलाफ आंदोलित है।

पलामू व्याघ्र परियोजना के विस्तारीकरण की बात अखबारों के माध्यम से प्रकाश में आने के बाद समिति के लिए यह चिंता का विषय होना स्वाभाविक हुआ। जिसमें कोर एरिया के विस्तारीकरण को लेकर व्याघ्र संरक्षण प्लान के तहत बफर एरिया के आठ गांव को कोर एरिया में शामिल कर गांव को खाली करने से संबंधित सहमति व असहमति से संबंधित पत्र 'बन प्रमंडल पदाधिकारी, बफर एरिया, व्याघ्र परियोजना डालटनगंज, पलामू के द्वारा गारू प्रखंड के कुजरूम, लादू, बिजयपुर, पंडरा, गोप खाड़, गुटवा,कारीहेनार एवं बरवाडीह प्रखंड के रमनदाग गाँवों के इको विकास समिति के अध्यक्ष को ज्ञापांक संख्या 667, दिनांक 29/05/2017 को प्रेषित की गई।

जुलाई 2017 को केन्द्रीय समिति की बैठक में व्याघ्र परियोजना से प्रभावित विजयपुर, पंडरा, गुटवा के लोगों ने समिति की बैठक में उपस्थित होकर इस विस्थापन से निजात दिलाने व आंदोलन को सफल बनाने के लिए समिति का प्रस्ताव रखा। आप को बताते चलें कि नेतरहाट पठार में होने वाले सेना के फायरिंग से बिजयपुर एवं पंडरा गांव पहले से ही प्रभवित रहा है। सेना जब नेतरहाट के उत्तर दिशा में फायरिंग करती तो ये दोनों गाँव सेना के टारगेट में होते थे। जिसके कारण इन्हें भी सेना के गोला बारी एवं तोपाभ्यस के दौरान अपना गांव खाली कर सुरक्षित स्थानों में जाना पड़ता था। इस वजह से ये लोग भी नेतरहाट आंदोलन से पहले से ही जुड़े हुए थे। समिति के पास प्रस्ताव रखते हुए इन्होंने साफ कहा कि फायरिंग के आंदोलन में हमारी भागीदारी रही है। आज हमारे विस्थापन की बात है तो इस विस्थापन के खिलाफ लड़ाई में आपका साथ व सहयोग हमारा हक है। केन्द्रीय समिति ने न केवल आंदोलन को समर्थन की बात स्वीकार की बल्कि उसने इस आंदोलन का नेतृत्व करने की बात भी की। जिसके बाद आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए 9 जुलाई को प्रभावित 8 गाँव के लोगों के साथ आम सभा कर आंदोलन जारी रखने का संकल्प लिया गया।

व्याघ्र परियोजना के विस्तारीकरण से होने वाले विस्थापन के खिलाफ इसे आंदोलन को समर्थन देने के लिए आदिवासी मूलवासी अस्तित्व रक्षा मंच एवं झारखंड में विस्थापन विरोधी आंदोलन का सशक्त चेहरा श्रीमती दायामनी बारला, आदिवासी रक्षा मंच के प्रफूल लिंडा, स्वतंत्र पत्रकार एवं समाजिक कार्यकर्ता सुनील मिंज, एवं केन्द्रीय समिति के सदस्य सामने आये।

'वन प्रमंडल पदाधिकारी, बफर एरिया, व्याघ्र परियोजना डालटनगंज, पलामू के द्वारा गारू प्रखंड के कुजरूम, लाटू, बिजयपुर, पंडरा, गोप खाड़, गुटवा,कारीहेनार एवं बरवाडीह प्रखंड के रमनदाग गाँवों के इको विकास समिति के अध्यक्ष को ज्ञापांक संख्या 667, दिनांक 29/05/2017 को प्रेषित पत्र के विरोध में गारू प्रखंड, लातेहार जिले के क्रमशः विजयपुर, पंडरा, गोपखाड़, गुटवा, कारीहेनार, एवं बरवाडीह प्रखंड के रमनदाग गांव के वासिंदों ने अपने असहमति

से संबंधित पत्र संबंधित पदाधिकारियों को केन्दीय जन संघर्ष समिति के नेतृत्व में दिनांक 10 अगस्त 2017 को जुलूस कर वन पदाधिकारी गारू, प्रखंड विकास पदाधिकारी, गारू को को दी गई। 'वन प्रमंडल पदाधिकारी, बफर एरिया, व्याघ्र परियोजना डालटनगंज, पलामू को भी संबंधित पत्र डाक के द्वारा प्रेषित की गई।

इसी बीच अखबारों के माध्यम से व्याघ्र संरक्षण प्लान के तहत पलामू व्याघ्र परियोजना के विस्तारी करण एवं वाइल्ड लाइफ कोरीडोर से संबंधित खबरें अखबारों के माध्यम से आम जनता के बीच आग की तरह फैल गई। सी.पी.आई. (एम) की नेता एवं पूर्व राज्य सभा सांसद श्रीमती वृंदाकरात, सी.पी.एम. के झारखंड राज्य सचिव श्री पी.के बक्सी, भी आंदोलन के समर्थन में लोगों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया।

केन्द्रीय जन संघर्ष समिति के अह्वान पर दिनांक 23 नवंबर 2017 को पलामू व्याघ्र परियोजना के विस्तारीकरण, वाइल्ड लाइफ कोरीडोर नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज रद्द करने एवं अन्य मांगों के संबंध में प्रखंड स्तरीय जूलूस एवं सभा का आयोजन किया गया। जिसके तहत गारू, लातेहार जिला, बिशूनपुर, डूमरी, रायडीह, गुमला, गुमला जिला में प्रर्दशन किया गया जिसमें हजारों की सख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति देते हुए जल, जंगल, जमीन व अपनी अस्तित्व की रक्षा के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज की।

11 दिसम्बर 2017 को केन्द्रीय समिति के अह्वान पर वयाघ्र परियोजना एवं वाइल्ड लाइफ कोरीडोर के विरोध में आम सभा का आयोजन किया गया। जिसमें झारखंड विकास मोरचा के केन्द्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मूख्य मंत्री श्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व मंत्री, श्री बंधू तिर्की, कॉग्रेस के श्री सूखदेव भगत, समाजिक कार्यकर्त्ता ग्लैडसन डूंगडूंग, मानवाधिकार कार्यकर्त्ता फा. स्टेन स्वामी ने अपना समर्थन दिया।

आज के समय में वाइल्ड लाइफ कोरीडोर के रास्ते जिधर–जिधर गुजर रहे हैं सभी ओर गोल बंध होकर अपने जल जंगल जमीन व अपने अरितात्व की रक्षा के लिए आदोलित हैं।

सरकार का पक्ष रखते हुए पी.सी.सी.एफ., एल. आर. सिंह कह रहे हैं कि कोरी डोर के नाम पर किसी को भी विस्थपित नहीं किया

जाएगा। (23 नवंबर 2017, प्रभात खबर) अगर सरकार का ये मंशा सच है। तो हम इसका स्वागत करते हैं। परन्तु कोरीडोर के नाम पर जो जमीन चिह्नित की गई है। सरकार उसे खाता नम्बर एवं प्लॉट नम्बर के साथ सार्वजनिक करे। क्योंकि प्रस्ताव में गाँव की जिन जमीनों को चिह्नित किया गया है उसे देख कर जनता स्पष्ट हो सके कि उसकी रैयती जमीन इन चिह्नित जमीनों में से नहीं है। अन्यतः शंशय की स्थिति में विस्थापन की भयावह बनी रहेगी। कोर एरिया के विस्तारीकरण एवं वन्य–जीव कोरीडोर को लेकर क्षेत्र में आंदोलन जोरों पर है। गाँव के लोग किसी भी कीमत में जमीन छोड़ना नहीं चाहते।

झारखंड में हाथियों की सुरक्षा के लिए बनेगा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर

214

03

कुमंडीह-पतकी-लावालौंग कॉरिडोर में 47 गांवों पर संकट

खास बातें

गढ़वा

तीसरे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर में प्रमंडल के 132

झारखंड से बाघ छत्तीसगढ़ आते हैं, तो क्या वहां दूसरे राज्यों से भी आते हैं ?

वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के खिलाफ रैली 23 को

...आंदोलन समिति ... के आह्वान पर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के खिलाफ 23 नवंबर को रैली और आमसभा का आयोजन किया गया है। ... लाइफ कॉरिडोर के निर्माण के तहत लातेहार, गुमला, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम के 214 गांवों को चिह्नित किया गया है। ... गांवों को खाली कराने के लिए नोटिस भेजा जा रहा है। ...

... वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर योजना के विरोध में ग्रामसभा

जान देंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे

वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर की कोई योजना नहीं

रांची। पीसीसीएफ वन्य प्राणी [illegible] सिंह ने कहा है कि फिलहाल [illegible] किसी जिले में एक भी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाने की कोई योजना नहीं है। [illegible] को चिह्नित नहीं किया गया है। केंद्रीय जन संघर्ष समिति लातेहार द्वारा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाने को लेकर आंदोलन की घोषणा के बाद श्री सिंह ने कहा कि वन विभाग के पास इस तरह का कोई प्रस्ताव न [illegible] है और न ही लंबित है। जिन संस्था को इन मुद्दों को लेकर कोई संशय है [illegible] विभागीय अधिकारियों से स्थिति समझ सकते हैं। [illegible] किसी गांव को खाली करने का कोई नोटिस नहीं दिया गया है।

पलामू में बाघों के लिए सरिस्का मॉडल अपनाएं

रांची | हिन्दुस्तान ब्यूरो

पलामू बाघ अभयारण्य में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए राजस्थान स्थित सरिस्का बाघ अभयारण्य की तरह आबादी को नए स्थानों पर बसाना होगा। यह सुझाव राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की तीन सदस्यीय टीम के विशेषज्ञ अध्यक्ष आरएन मल्होत्रा ने दिया है।

यह टीम पलामू बाघ अभयारण्य (पीटीआर) के प्रबंधन प्रभाव का मूल्यांकन कर दिल्ली लौटी है। मल्होत्रा ने बताया कि पीटीआर में कुछ स्थानों पर आबादी है। इससे वन्यजीवों का प्राकृतिक वास प्रभावित होता है। इस बारे में वन विभाग को गंभीरता से काम करना होगा। नहीं तो बाघों की संख्या में इजाफा मुश्किल होगा। दूसरे सुझाव के तौर पर उन्होंने राज्य में [illegible] वन रक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देने पर जोर दिया। टीम ने लोगों को जागरूक करने का भी सुझाव दिया है। ताकि वे प्रकृति और वन्य जीवों से प्यार करें। हालांकि वन विभाग को पिछली बार से बेहतर रैंकिंग की उम्मीद है। चार साल में एक बार देशभर के बाघ अभयारण्यों की रैंकिंग की जाती है। पिछली बार पीटीआर 35वें पायदान पर था। इस बार 16 या 17 वीं रैंक की उम्मीद है। एनटीसीए के मूल्यांकन के आधार पर अभयारण्य व राष्ट्रीय पार्कों की रैंकिंग तय होती है। नई रैंकिंग अगले वर्ष जारी होगी। टीम को पीटीआर का प्रबंधन पहले से बेहतर लगा है।

सिरसी-पालकोट-सारंडा परियोजना से 214 गांवों के लाखों लोग होंगे विस्थापित

वाइल्ड लाइफ कॉरीडोर के खिलाफ हल्ला बोल

वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के विरोध में प्रदर्शन

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवास (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

अध्याय–1
प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवास (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 है.

(2) इसका विस्तार जम्मू–कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है.

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें.

परिभाषाएँ 2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:–

(क) "सामुदायिक वन संसाधन" से ग्राम की परंपरागत या रूढ़िगत सीमाओं के भीतर रूढ़िगत सामान्य वनभूमि या चरागाही समुदायों की दशा में भू–परिदृश्य का मौसमी उपयोग अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत आरक्षित वन, संरक्षित वन और संरक्षित ऐसे क्षेत्रों की भूमि है जैसे अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान जिन पर समुदायों की परंपरागत पहुंच थी,

(ख) "संकटपूर्ण वन्य जीवन आवास" से राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत हैं, जहां वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर, मामलेवार, विनिर्दिष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से यह स्थापित किया गया

है कि ऐसे क्षेत्र वन्य जीव संरक्षण के प्रयोजनों के लिए अनतिक्रांत रखे जाने के लिए अपेक्षित है जैसा कि केंद्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा एक ऐसी विशेषज्ञ समिति से परामर्श की खुली प्रक्रिया के पश्चात अवधारित और अधिसूचित की जाए, जिसमें उस सरकार द्वारा नियुक्त उस परिक्षेत्र से विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे जिसमें धारा 4 की उपधारा (1) और उपधारा (2) से उद्भूत प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के अनुसार ऐसे क्षेत्रों का अवधारण करने में जनजातीय मंत्रालय का एक प्रतिनिधि भी सम्मिलित होगा,

(ग) "वन में निवास करनेवाली अनुसूचित जनजाति" से अनुसूचित जनजातियों के ऐसे सदस्य या समुदाय अभिप्रेत हैं, जो प्राथमिक रूप से वनों में निवास करते हैं और जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए वनों या वन भूमि पर निर्भर हैं और इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति चरागाही समुदाय भी है,

(घ) "वन भूमि" से किसी वन क्षेत्र के अंतर्गत आनेवाली किसी प्रकार की भूमि अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत अवर्गीकृत वन, असीमांकित विद्यमान वन या समझे गए वन, संरक्षित वन, आरक्षित वन, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान भी हैं,

(ङ) "वन अधिकारों" से धारा 3 में निर्दिष्ट वन अधिकार अभिप्रेत है,

(च) "वन ग्राम" से ऐसी बस्तियां अभिप्रेत हैं, जो किसी राज्य सरकार के वन विभाग द्वारा वन संबंधी संक्रियाओं के लिए वनों के भीतर स्थापित की गई है या जो वन आरक्षण प्रक्रिया के माध्यम से वन ग्रामों में संपरिवर्तित की गई हैं और जिनके अंतर्गत वन बस्ती ग्राम, नियत मांग धृति, ऐसे ग्रामों के लिए सभी प्रकार की वनकृषि बस्तियां भी है, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों और इसके अंतर्गत सरकार द्वारा अनुज्ञात कृषि तथा अन्य उपयोगों के लिए भूमि भी है,

(छ) "ग्राम सभा" से ऐसी ग्राम सभा अभिप्रेत है, जो ग्राम के सभी वयस्क सदस्यों से मिल कर बनेगी और ऐसे राज्यों की दशा में, जिनमें कोई ग्राम पंचायत नहीं है, पाड़ा, टोला और ऐसी अन्य परंपरागत ग्राम संस्थाएं और निर्वाचित ग्राम समितियां भी है जिनमें महिलाओं की पूर्ण और अनिबंधित भागीदारी है,

(ज) "आवास" के अंतर्गत ऐसा क्षेत्र भी है जिसमें आदिम जनजाति समूहों और कृषि पूर्व समुदायों और अन्य वन निवासी अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित वनों और संरक्षित वनों में परंपरागत आवास और ऐसे अन्य आवास सम्मिलित हैं,

(झ) "गौण वन उत्पाद" के अंतर्गत पादप मूल के सभी गैर-इमारती वनोत्पाद हैं, जिनमें बांस, झाड़-झंखाड़, ठूंठ, बेंत, तुसार, कोया, शहद, मोम, लाख, तेंदू या केंदू पत्ते, औषधीय पौधे और जड़ी-

बूटियां, मूल, कंद और इसी प्रकार के उत्पाद सम्मिलित हैं,

(ञ) "नोडल अभिकरण" से धारा 11 में विनिर्दिष्ट नोडल अभिकरण अभिप्रेत है,

(ट) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है,

(ठ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है,

(ड) "अनुसूचित क्षेत्र" से संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र अभिप्रेत है,

2003 का 18 (ढ) "सतत उपयोग" का वही अर्थ होगा, जो जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (ण) में है,

(ण) "अन्य परंपरागत वन निवासी" से ऐसा कोई सदस्य या समुदाय अभिप्रेत है, जो 13 दिसंबर, 2005 से पूर्व कम से कम तीन पीढ़ियों तक प्राथमिक रूप से वन या वनभूमि में निवास करता रहा है और जो जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए उन पर निर्भर है.

स्पष्टीकरण–इस खंड के प्रयोजन के लिए "पीढ़ी" से पच्चीस वर्ष की अवधि अभिप्रेत है,

1996 का 40 (त) "ग्राम" से निम्नलिखित अभिप्रेत है–

(i) पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों

पर विस्तार) अधिनियम, 1996 की धारा 4 के खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई ग्राम, या

(ii) अनुसूचित क्षेत्रों से भिन्न पंचायतों से संबंधित किसी राज्य विधि में ग्राम के रूप में निर्दिष्ट कोई क्षेत्र, या

(iii) वन ग्राम पुरातन निवासी या बस्तियां और असर्वेक्षित ग्राम, चाहे वे ग्राम के रूप में अधिसूचित हों या नहीं, या

(iv) उन राज्यों की दशा में, जहां पंचायतें नहीं हैं, पारंपरिक ग्राम, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों.

1972 का 53 (थ) "वन्य पशु" से वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 से 4 में विनिर्दिष्ट पशु की ऐसी प्रजातियां अभिप्रेत हैं, जो प्रकृति में वन्य के रूप में पाई जाती हैं.

अध्याय-2

वन अधिकार

3. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, वन में निवास करनेवाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के सभी वनभूमि पर निम्नलिखित वन अधिकार होंगे, जो व्यक्तिगत या सामुदायिक भूधृति या दोनों को सुरक्षित करते हैं अर्थात्:- वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकार.

(क) वन में निवास करनेवाली अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों के किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों द्वारा निवास के लिए या जीविका के लिए स्वयं खेती करने के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक अधिभोग के अधीन वनभूमि को धारित करने और उसमें रहने का अधिकार,

(ख) निस्तार के रूप में सामुदायिक अधिकार चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जिनके अंतर्गत तत्कालीन राजाओं के राज्यों, जमींदारों या ऐसे अन्य मध्यवर्ती शासनों में प्रयुक्त अधिकार भी सम्मिलित हैं,

(ग) गौण वन उत्पादों के, जिनका गांव की सीमा के भीतर या बाहर पारंपरिक रूप से संग्रह किया जाता रहा है स्वामित्व संग्रह करने के लिए पहुंच, उनका उपयोग और व्ययन का अधिकार रहा है,

(घ) बायावरी या चारागाही समुदायों की मत्स्य और जलाशयों के अन्य उत्पाद, चरागाह (स्थापित और घुमक्कड़) दोनों के उपयोग या उन पर हकदारी और पारंपरिक मौसमी संसाधनों तक पहुंच के अन्य सामुदायिक अधिकार,

(ङ) वे अधिकार, जिनके अंतर्गत आदिम जनजाति समूहों और कृषि पूर्व समुदायों के लिए
गृह और आवास की सामुदायिक भू-धृतिवां भी हैं,

(च) किसी ऐसे राज्य में जहां दावे विवादग्रस्त हैं, किसी नाम पद्धति के अधीन विवादित भूमि में या उस पर के अधिकार,

(छ) वन भूमि पर हक के लिए किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी राज्य सरकार द्वारा जारी पट्टों या धृतियों या अनुदानों के संपरिवर्तन के अधिकार,

(ज) वनों के सभी वन ग्रामों, पुराने आवासों, असर्वेक्षित ग्रामों और अन्य ग्रामों के बसने और संपरिवर्तन के अधिकार, चाहे वे राजस्व ग्रामों में लेखबद्ध हों, अधिसूचित हों अथवा नहीं,

(झ) ऐसे किसी सामुदायिक वन संसाधन का संरक्षण, पुनरुज्जीवित या संरक्षित या प्रबंध करने का अधिकार, जिसकी वे सतत उपयोग के लिए परंपरागत रूप से संरक्षा और संरक्षण कर रहे हैं,

(ञ) ऐसे अधिकार, जिनको किसी राज्य की विधि या किसी स्वशासी जिला परिषद या स्वशासी क्षेत्रीय परिषद की विधियों के अधीन मान्यता दी गई है या जिन्हें किसी राज्य की संबंधित जनजाति की किसी पारंपरिक या रुढ़िगत विधि के अधीन जनजातियों के अधिकारों के रूप में स्वीकार किया गया है,

(ट) जैव विविधता तक पहुंच का अधिकार और जैव विविधता तथा सांस्कृतिक विविधता से संबंधित बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान का सामुदायिक अधिकार,

(ठ) कोई ऐसा अन्य पारंपरिक अधिकार

जिसका, यथास्थिति, वन में निवास करनेवाली उन अनुसूचित जनजातियों या अन्य परंपरागत वन निवासियों द्वारा रुढ़िगत रूप से उपभोग किया जा रहा है, जो खंड (क) से खंड (ट) में वर्णित है, किंतु उनमें किसी प्रजाति के वन्य जीव का शिकार करने या उन्हें फंसाने या उनके शरीर का कोई भाग निकालने का परंपरागत अधिकार नहीं है,

(ड) यथावत पुनर्वास का अधिकार, जिसके अंतर्गत उन मामलों में आनुकल्पिक भूमि भी है जहां अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को 13 दिसंबर, 2005 के पूर्व किसी भी प्रकार की वनभूमि से पुनर्वास के उनके वैध हक प्राप्त किये बिना अवैध रूप से बेदखल या विस्थापित किया गया हो.

1980 का 69

(2) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार, सरकार द्वारा व्यवस्थित निम्नलिखित सुविधाओं के लिए वन भूमि के परिवर्तन का उपबंध करेगी जिसके अंतर्गत प्रति हेक्टेयर पचहत्तर से अधिक पेड़ों का गिराया जाना भी है, अर्थात:–

(क) विद्यालय,
(ख) औषधालय या अस्पताल,
(ग) आंगनबाड़ी,
(घ) उचित कीमत की दुकानें,
(ङ) विद्युत और दूरसंचार लाइनें,
(च) टंकियां और अन्य लघु जलाशय,
(छ) पेयजल की आपूर्ति और जल पाइपलाइनें,
(ज) जल या वर्षा जल संचयन संरचनाएं,
(झ) लघु सिंचाई नहरें,
(ञ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत,
(ट) कौशल उन्नयन या व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र,

(ठ) सड़कें और

(ड) सामुदायिक केंद्र,

परंतु वन भूमि के ऐसे परिवर्तन को तभी अनुज्ञात किया जायेगा, जब–

(i) इस उपधारा में वर्णित प्रयोजनों के लिए परिवर्तित की जानेवाली वनभूमि ऐसे प्रत्येक मामले में एक हेक्टेयर से कम है, और

(ii) ऐसी विकासशील परियोजनाओं की अनापत्ति इस शर्त के अधीन रहते हुए होगी कि उसकी सिफारिश ग्राम सभा द्वारा की गई हो.

अध्याय–3

2003 का 18

वन अधिकारों की मान्यता, उनका पुनः स्थापन और निहित होना तथा संबंधित विषय

वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकारों की मान्यता और उनका निहित होना.

4. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केंद्रीय सरकार,–

(क) ऐसे राज्यों या राज्यों के उन क्षेत्रों में वन में निवास करनेवाली अनुसूचित जनजातियों के, जहां उन्हें धारा 3 में उल्लिखित सभी वन अधिकारों की बात अनुसूचित जनजातियों के रूप में घोषित किया गया है,

(ख) धारा 3 में उल्लिखित सभी वन अधिकारों की बाबत अन्य परंपरागत वन निवासियों के वनाधिकारों को,

मान्यता प्रदान करती है और उनमें निहित करती है.

(2) राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के संकटग्रस्त वन्य जीव आवासों में इस अधिनियम के अधीन मान्यताप्राप्त वन अधिकारों को, पश्चातवर्ती रूप में उपांतरित या पुनः स्थापित किया जा सकेगा, परंतु किसी भी वन अधिकार धारक को पुनः स्थापित नहीं किया जायेगा या किसी भी रीति में उनके अधिकारों पर वन जीव संरक्षण के लिए अनतिक्रांत क्षेत्रों के सृजन के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित सभी शर्तों के पूरा करने की दशा में के सिवाय प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात्-

1972 का 53

(क) विचाराधीन सभी क्षेत्रों में धारा 6 में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारों की मान्यता और निहित करने की प्रक्रिया पूरी हो.

(ख) राज्य सरकार के संबद्ध अधिकरणों द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह स्थापित किया गया है कि अधिकारों के धारकों की उपस्थिति के वन्य पशुओं पर क्रियाकलाप या प्रभाव अपरिवर्तनीय नुकसान करने के लिए पर्याप्त हैं और उक्त प्रजाति के अस्तित्व और उनके निवास के लिए खतरा है,

(ग) राज्य सरकार यह निष्कर्ष निकाल चुकी है कि सहअस्तित्व जैसे अन्य युक्तियुक्त विकल्प उपलब्ध नहीं है,

(घ) एक पुनर्व्यवस्थापन या अनुकल्पी पैकेज तैयार और संसूचित किया गया है जो प्रभावित

व्यष्टियों और समुदायों के लिए सुनिश्चित जीविका का उपबंध करता है और ऐसे प्रभावित व्यष्टियों और समुदायों की केंद्रीय सरकार की सुसंगत विधियों और नीति में दी गयी अपेक्षाओं को पूरा करने की व्यवस्था करता है,

(ङ) प्रस्तावित पुनर्व्यवस्थापन और पैकेज के लिए संबद्ध क्षेत्रों में ग्राम सभाओं की स्वतंत्र सूचित सहमति लिखित में प्राप्त कर ली गयी है,

(च) कोई पुनर्व्यवस्थापन तभी होगा जब पुनर्वास अवस्थान पर सुविधाएं और भूमि आवंटन वायदा किये गये पैकेज के अनुसार पूरी की गयी हो

परंतु संकटग्रस्त वन्य जीव आवास, जिससे अधिकार धारकों को इस प्रकार वन्य जीव संरक्षण के प्रयोजनों के लिए पुनः स्थापित किया जाता है, पश्चात्वर्ती रूप से राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या किसी एक के द्वारा किसी अन्य उपयोगों के लिए अपवर्तित नहीं किया जायेगा.

(3) वन भूमि और उसके निवासियों की बाबत किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में वन में निवास करनेवाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को, इस अधिनियम, के अधीन वन अधिकारों की मान्यता देना और उनका निहित किया जाना इस शर्त के अध्यधीन होगा कि ऐसी जनजातियों या जनजाति

समुदायों या अन्य परंपरागत वन निवासियों ने 13 दिसंबर, 2005 से पूर्व वन भूमि अधिभोग में ले ली थी.

(4) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त कोई अधिकार वंशागत होगा किंतु संक्रमणीय या अंतरणीय नहीं होगा और विवाहित व्यक्तियों की दशा में पति-पत्नी दोनों के नाम में संयुक्त रूप से और यदि किसी घर का मुखिया एकल व्यक्ति है तो एकल मुखिया के नाम में रजिस्ट्रीकृत होगा तथा सीधे वारिस की अनुपस्थिति में वंशागत अधिकार अगले निकटतम संबंधी को चला जायेगा.

(5) जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, किसी वन में निवास करनेवाली अनुसूचित जनजाति या अन्य परंपरागत वन निवासियों का कोई सदस्य उसके अधिभोगाधीन वन भूमि से तब तक बेदखल नहीं किया जायेगा या हटाया नहीं जायेगा जब तक कि मान्यता और सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है.

(6) जहां उपधारा (1) द्वारा मान्यताप्राप्त और निहित वन अधिकार धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) में वर्णित भूमि के संबंध में हैं, जहां ऐसी भूमि इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को किसी व्यष्टि या कुटुंब या समुदाय के अधिभोगाधीन होगी और ऐसी भूमि वास्तविक अधिभोग के अधीन क्षेत्र तक निर्बंधित होगी और किसी दशा में इसका क्षेत्र चार हेक्टेयर से अधिक का नहीं होगा.

(7) वन अधिकार, सभी विल्लंगमों और प्रक्रिया संबंधी अपेक्षाओं से मुक्त रूप में 1980 का 69

प्रदत्त किया जायेगा, जिसमें वन (संरक्षण)अधिनियम, 1980 के अधीन अनापत्ति इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट के सिवाय वन भूमि में अपयोजन के लिए-"शुद्ध वर्तमान मूल्य" और प्रतिकात्मक वन रोपण का संदाय करने की अपेक्षा सम्मिलित है.

(8) इस अधिनियम के अधीन मान्यता प्राप्त और निहित वन अधिकारों में वन में निवास करनेवाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन भूमि अधिकार सम्मिलित होंगे जो यह साबित कर सकते हैं कि वे राज्य विकास हस्तक्षेप के कारण भूमि प्रतिकर के बिना उनके निवास और खेती से विस्थापित किये गये थे और जहां भूमि का उपयोग उक्त अर्जन से पांच वर्ष के भीतर उस प्रयोजन के लिए नहीं किया गया है, जिसके लिए वह अर्जित की गयी थी.

वन अधिकारों के धारकों के कर्त्तव्य

5. किसी वन्य अधिकार के धारक, उन क्षेत्रों में जहां इस अधिनियम के अधीन किन्हीं वन अधिकारों के धारक हैं, ग्राम सभा और ग्राम स्तर की संस्थाएं निम्नलिखित के लिए सशक्त हैं-

(क) वन्य जीव, वन और जैव विविधता का संरक्षण करना,

(ख) यह सुनिश्चित करना कि लगा हुआ जलागम क्षेत्र, जलस्रोत और अन्य पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र पर्याप्त रूप से संरक्षित हैं,

(ग) यह सुनिश्चित करना कि वन में निवास करनेवाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों का निवास किसी प्रकार के विनाशकारी व्यवहारों से संरक्षित है जो उनकी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को प्रभावित करती है,

(घ) यह सुनिश्चित करना कि सामुदायिक वन संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करने और ऐसे किसी क्रियाकलाप को रोकने के लिए, जो वन्य जीव, वन और जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, ग्राम सभा में लिए गये विनिश्चयों का पालन किया जाता है.

अध्याय–4

वन अधिकारों को निहित करने के लिए प्राधिकारी और प्रक्रिया

वन में निवास करनेवाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन अधिकारों को निहित करने के लिए प्राधिकारी और उसकी प्रक्रिया

6. (1) ग्रामसभा को, ऐसी किसी व्यष्टिक या सामुदायिक वन्य अधिकारों या दोनों की प्रकृति और सीमा को अवधारित करने के लिए प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार होगा जो इस अधिनियम के अधीन इसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वन में निवास करनेवाली और

सत्यापन तथा ऐसी रीति में, जो विहित की जाये, सिफारिश किये गये प्रत्येक दावे के क्षेत्र को अंकित करते हुए, मानचित्र तैयार करके दिये जा सकेंगे और तब ग्राम सभा उस आशय का संकल्प पारित करेगी तथा उसके पश्चात उसकी एक प्रति उपखंड स्तर की समिति को अग्रेषित करेगी.

(2) ग्राम सभा के संकल्प से व्यथित कोई व्यक्ति उपधारा (3) के अधीन गठित उपखंड स्तर की समिति को कोई याचिका दे सकेगा और उपखंड स्तर की समिति ऐसी याचिका पर विचार करेगी और उसका निपटारा करेगी:-

परंतु प्रत्येक ऐसी याचिका ग्राम सभा द्वारा संकल्प पारित करने की तारीख से साठ दिन के भीतर दी जायेगी :

परंतु यह और कि ऐसी याचिका का, व्यथित व्यक्तियों के विरुद्ध निपटारा तब तक नहीं किया जायेगा जब तक उन्हें अपने मामले को प्रस्तुत करने के लिए युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो.

2003 का 18

(3) राज्य सरकार, ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प की परीक्षा करने के लिए एक उपखंड स्तर की समिति का गठन करेगी और वन अधिकारों का अभिलेख तैयार करेगी तथा इसे उपखंड अधिकारों के माध्यम से अंतिम विनिश्चय के लिए जिला

स्तर की समिति को अग्रेषित करेगी.

(4) उपखंड स्तर की समिति के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, उपखंड स्तर की समिति के विनिश्चय की तारीख से 60 दिन के भीतर जिला स्तर की समिति को कोई याचिका दे सकेगा और जिला स्तर की समिति ऐसी याचिका पर विचार करेगी और उसका निपटारा करेगी:

परंतु ग्राम सभा के संकल्प के विरुद्ध कोई याचिका जिला स्तर की समिति के समक्ष सीधे तब तक नहीं दी जावेगी जब तक वह पहले उपखंड स्तर की समिति के समक्ष न दी गयी हो और उसके द्वारा उस पर विचार न कर लिया गया हो:

परंतु यह और कि याचिका का, व्यथित व्यक्तियों के विरुद्ध निपटारा तब तक नहीं किया जायेगा जब तक उन्हें अपने मामले को प्रस्तुत करने के लिए युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो.

(5) राज्य सरकार, उपखंड स्तर की समिति द्वारा तैयार किये गये वन अधिकारों के अभिलेख पर विचार करने और उनका अंतिम रूप से अनुमोदन करने के लिए एक जिलास्तर की समिति का गठन करेगी.

(6) वन अधिकारों के अभिलेख पर जिला स्तर की समिति का विनिश्चय अंतिम और आबद्धकर होगा.

(7) राज्य सरकार, वन अधिकारों को मान्यता देने और उन्हें निहित करने की प्रक्रिया को मानीटर करने और ऐसी विवरणियों और रिपोर्टों को, जो उस अभिकरण द्वारा मांगी

जायें, नोडल अभिकरण को प्रस्तुत करने के लिए एक राज्य स्तर की मॉनीटरी समिति का गठन करेगी.

(8) उपखंड स्तर की समिति, जिला स्तर की समिति और राज्य स्तर की मॉनीटरी समिति में राज्य सरकार के राजस्व विभाग, वन विभाग और जनजातीय मामले विभाग के अधिकारी और समुचित स्तर पर पंचायतीराज संस्थाओं के तीन सदस्य होंगे, जिन्हें संबंधित पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा नियुक्त किया जायेगा, जिनमें से दो सदस्य अनुसूचित जनजातियों के होंगे और कम से कम एक महिला होगी, जैसा विहित किया जाये.

(9) उपखंड स्तर की समिति, जिला स्तर की समिति और राज्य स्तर की मानीटरी समिति की संरचना और कृत्य तथा उनके द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरित की जानेवाली प्रकिया वह होगी, जो विहित की जाये.

अध्याय–5
अपराध और शास्तियां

इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरणों और समितियों द्वारा अपराध.

7. जहां कोई प्राधिकरण या समिति या ऐसे प्राधिकरण या समिति का कोई अधिकारी या सदस्य इस अधिनियम या उसके अधीन वन अधिकारों की मान्यता से संबंधित बनाये गये किसी नियम के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो वह या वे इस अधिनियम

के अधीन अपराध के दोषी समझे जायेंगे और उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडित किये जाने के भागी होंगे :

परंतु इस उपधारा की कोई भी बात इस धारा में निर्दिष्ट प्राधिकरण या समिति के किसी सदस्य या विभागाध्यक्ष या किसी व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनायेगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किये जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी.

अपराधों का संज्ञान

8. कोई भी न्यायालय इस अधिनियम की धारा 7 के अधीन किसी अपराध का तब तक संज्ञान नहीं लेगा जब तक कि कोई वन में निवास करनेवाली अनुसूचित जनजाति, किसी ग्राम सभा के संकल्प से संबंधित किसी विवाद के मामले में या किसी उच्च प्राधिकारी के विरुद्ध किसी संकल्प के माध्यम से

ग्राम सभा, राज्य स्तर की मॉनीटरी समिति को साठ दिन से अन्यून की सूचना नहीं दे देती है और राज्य स्तर की मॉनीटरी समिति ने ऐसे प्राधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही न कर ली हो.

अध्याय–6

प्रकीर्ण

प्राधिकरण, आदि के सदस्यों का लोक सेवक होना

9. अध्याय 4 में निर्दिष्ट प्राधिकरणों का प्रत्येक सदस्य और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करनेवाला प्रत्येक अन्य अधिकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थांतर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे. 1960 का 45

सदभावपूर्वक की गयी कार्रवाई के लिए संरक्षण

10. (1) इस अधिनियम के अधीन सदभावपूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी.

(2) इस अधिनियम के अधीन सदभावपूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशयित किसी बात से हुए या हो सकनेवाले किसी नुकसान के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या उसके किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी.

(3) इस अधिनियम के अधीन सदभावपूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही अध्याय 4 में यथानिर्दिष्ट किसी प्राधिकरण, जिसके अंतर्गत उसका अध्यक्ष, उसके सदस्य, सदस्य सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारी भी हैं, के विरुद्ध नहीं होगी.

केंद्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति,

11. जनजाति मामलों से संबंधित भारत सरकार का मंत्रालय या केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित प्राधिकृत कोई अधिकारी या प्राधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए नोडल अभिकरण होगा.

अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना

12. अध्याय 4 में निर्दिष्ट प्रत्येक प्राधिकारी इस

अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने और अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में, ऐसे साधारण या विशेष निदेशों के अध्यधीन होगा जो केंद्रीय सरकार, समय-समय पर लिखित में दे.

13. इस अधिनियम और पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार)अधिनियम, 1996 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में.

1996 का 40

नियम बनाने की

14. (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए नियम बना सकेगी.

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात:

(क) धारा 6 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया संबंधी ब्यौरे,

(ख) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन दावों को प्राप्त करने, उन्हें समेकित करने और उनका सत्यापन करने तथा वन अधिकारों के प्रयोग के लिए सिफारिश किये गये प्रत्येक दावे का क्षेत्र अंकित करते हुए मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया और उस धारा की उपधारा, (2) के अधीन उपखंड समिति को याचिका देने की रीति,

(ग) धारा 6 की उपधारा (8) के अधीन उपखंड स्तर की समिति, जिला स्तर की समिति और राज्य स्तर की मानीटरी समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त किये जानेवाले राज्य सरकार के राजस्व विभाग, वन विभाग और जनजाति मामले विभाग के अधिकारियों का स्तर,

(घ) धारा 6 की उपधारा (9) के अधीन उपखंड स्तर की समिति, जिला स्तर की समिति और राज्य स्तर की मानीटरी समिति की संरचना और उसके कृत्य तथा उनके द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में अपनायी जानेवाली प्रक्रिया.

2003 का 18

(ङ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाये.

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जायेगा. यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जायें कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात वह नियम, यथास्थिति, केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जायेगा, तथापि, ऐसे किसी परिवर्तन या निष्प्रभाव होने से उस नियम के अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा.

साभार : वन अधिकार कानून 2006 एक मार्गदर्शिका

जेरोम जेराल्ड कुजूर

लातेहार जिला अन्तर्गत महुआडाड़ प्रखंड के पेटमाडीह (खजूरला) गाँव में जन्म।

प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा- सत जोसेफ विद्यालय महुआडाड़, जिला- लातेहार, झारखंड।

स्नातक - सत जेवियर महाविद्यालय राँची, झारखंड

अध्यक्ष - पलामू छात्र संघ 1992–95

युवा प्रतिनिधि - पायलट प्रोजेक्ट नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज विरोधी जनसंघर्ष समिति, 1993–2000

समन्वय सदस्य - मूवमेंट अगेंस्ट डिसप्लेसमेंट, 1993–2000

सलाहकार - संयुक्त छात्र संघ, 1995–2000

सहायक संपादक - जनहक (हिंदी)पत्रिका, 1995– 2000

संपादक - हरी घाटी(हिंदी) 2001–03

संपादक - जनपथ (हिंदी), 2004–2005

राष्ट्रीय मीडिया फेलोशिप अवार्ड (भारतीय प्रतिष्ठान, नई दिल्ली) 2003–2004

सयोजक मंडल सदस्य - झारखंड इंडिजिनस पीपुल्स फोरम 2006 से अब तक